द्वितीय माला, खण्ड २२—अंक ७

२५ नवम्बर, १९५८ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खण्ड २२ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

253-(AI) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड २२—अंक १ से १०—१७ नवम्बर से २६ नवम्बर, १६५८]

अंक १—सोमवार, १७ नवम्बर, १६५८

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ८, ११ से १३ और १५ से १७	१—२४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६, १०, १४, १८ से २५ और २७ से ३२	२४—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २० और २२ से ३६	३२—४८
श्री सामी वेंकटाचलम् चेट्टी का निधन	४८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. पांडेचेरी में स्थिति ; और	४६—५०
२. पाकिस्तान से सम्बन्ध	५०—५३
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया निदेश	५७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५७—५८
गुड़गांव में विमान बल के सिगनल केन्द्र में अग्नि दुर्घटना के बारे म वक्तव्य	५८
समिति के लिये नि चिन	५६
केन्द्रीय नरतत्व विज्ञान सलाहकार बोर्ड	५६
दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना	५६
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६—६६
खंड २ से १० और १	६६—७८
पारित करने का प्रस्ताव	७८
चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७८—८६
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	८६
दैनिक संक्षेपिका	६०—६८

पृष्ठ

अंक २—मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३३, ३४, ३५, ३७ से ४४ . ९९—१२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६, ४५ से ६२ . १२१—२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४० से ९२ १२८—५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२—५३

प्राक्कलन समिति—

उन्तीसवां प्रतिवेदन . . १५३

तारांकित प्रश्न संख्या १३६० के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १५३

कार्य मंत्रणा समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन . १५३

चाय (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक—

विचार करने के लिये प्रस्ताव १५४—५६

खंड २, ३ और १ १५७—५८

पारित करने का प्रस्ताव . . . १५८

संघलोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद सम्बन्धी प्रस्ताव १५८—७७

एक सदस्य को सजा . . . १७७

रेलवे यात्रा में जीवन की असुरक्षा के संबंध में चर्चा १७८—९३

दैनिक संक्षेपिका . . १९४—९८

अंक ३—बुधवार, १९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७६ . १९९—२२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १०० . . . . २२१—३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३ से १४५ और १४७ से १५८ . . २३२—५९

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . २५९—६१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति उनतीसवां प्रतिवेदन २६१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

वित्त मंत्रालय से फाइलों का गायब हो जाना २६१—६२

आसाम तेल शोधन कारखाने के लिये भारत-रूमानियां करार के बारे में वक्तव्य २६२—६५

आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक—

पुरस्थापित . . २६५

विष (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २६५—२६८

खंड २ से ४ और १ . . . . २६८—७०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २७०

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . २७०—८४

गंगा बांध परियोजना के बारे में प्रस्ताव . . . २८५—९८

दैनिक संक्षेपिका . . २९९—३०५

अंक ४—बृहस्पतिवार, २० नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१, १०२, १०४, १०५, १०७, १०९ से ११५ और ११७ से १२१ . . . . ३०७—३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३, १०६, १०८, ११६ और १२२ से १२९ . ३३१—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १८२, १८४, १८६ से २०२ और २०४ से २१० . . . ३३७—६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६०—६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान की घटनायें . . . . ३६३—६५

सभा का कार्य ३६६

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . . ३६६—८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा . . ३८४—४११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४१२—१७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, २१ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३० से १४१ . . . ४१९—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२ से १६५ . . . ४४२—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २११ से २८१ . . . ४५१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४८१—८२

प्राक्कलन समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . . ४८२

सभा का कार्य . . . ४८३

जानकारी का प्रश्न . . . ४८३—८४

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति . . . ४८४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ४८५—९३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार का प्रस्ताव . . . ४९३—५०१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
उनतीसवां प्रतिवेदन . . . ५०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . . ५०१—२४

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . ५२४

दैनिक संक्षेपिका . . . ५२४—३०

अंक ६—सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६ से १७९ . . . ५३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . ५५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८० से २०७ और २१० से २१२ . . . ५५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३७७ . . . ५७०—६०८

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ६०८—१०

प्राक्कलन समिति—

इकतीसवां प्रतिवेदन . . . ६१०

१९५५–५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) ६१०

१९५६–५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) . . ६१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ब्रिटिश तेल वाहक जहाज स्टैनवाक जापान में विस्फोट . ६१०—१२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, वापस लिया गया . ६१२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक पुर-स्थापित ६१३

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण अध्यादेश संबंधी विवरण . . ६१३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार प्रस्ताव . ६१३—३६

सभा का कार्य ६३६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ६३७—४४

अंक ७—मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१३ से २२०, २२२, २२६, २२७ और २२९ . ६४५—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२१, २२३ से २२५, २२८ और २३० से २६० . ६६९—८४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ४४१ . . . . ६८४—७०९

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या ७०९–१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ७११

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति . . ७११—१३

पृष्ठ

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ७१३—२२

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . ७२२—३७

दैनिक संक्षेपिका ७३८—४३

अंक ८—गुरुवार, २७ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६५ से २७८ . . ७४५—६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . ७६८—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२, २६४, २७९ से २९० . . ७७०—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४२ से ४७९ . . . ७७५—९०

स्थगन प्रस्ताव—

रात की गाड़ी में हत्या . . . . ७९०—९२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७९२–९३

राज्य सभा से सन्देश ७९३

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—

दसवां प्रतिवेदन . . ७९३

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . ७९३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य-सभा-पटल पर रखा गया . ७९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम . . . ७९३–९४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक— . . ७९४

पुरस्थापित

विशेषाधिकार प्रस्ताव —

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य . . . ७९५—८१४

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ८१५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . ८२८—३२

अंक ६—शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५८	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २९१ से ३०१ .	८३३—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०२ से ३२७ . . .	८५४—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८० से ५२९, ५३१ और ५३२	८६४—८४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८८५
अनुपस्थिति की अनुमति . . .	८८५
एक प्रश्न के उत्तर की कथित अशुद्धता का उल्लेख .	८८६—८७
जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव	८८७—९९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति—	
तीसवां प्रतिवेदन	८९९
विधेयक :	
पुरस्थापित : . . .	९००—०३
(१) श्री नलदुर्गकर का व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा १०० का संशोधन)	९००
(२) श्री वाडीवा का हिन्दू दत्तकग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक (धारा १८ का संशोधन)	९००
(३) श्री अ० मु० तारिक का दूकानदार (मूल्यों की पर्चियां लगाना) विधेयक	९००
(४) श्री राम कृष्ण का कारखाना (संशोधन) विधेयक (धारा ४५ और ४७ का संशोधन तथा नई धारा ४७क, ४७ख और ४७ग का रखा जाना)	९०१
(५) श्री राम कृष्ण का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ३०, ७८, ८५ आदि का संशोधन)	९०१
(६) श्री राम कृष्ण का भारतीय कार्मिक संघ (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)	९०१
(७) श्री राम कृष्ण का संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) . . .	९०२
(८) श्री राम कृष्ण का प्रबन्ध परिषद् विधेयक . . .	९०२
(९) श्री राम कृष्ण का समवाय (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४३क और २५०क का रखा जाना तथा धारा २२४, २३७ आदि का संशोधन) .	९०२

पृष्ठ

(१०) श्री महन्ती का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) ९०३

मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक—
वापस लिया गया . . . ९०३

समवाय (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत हुआ . . . ९०३—२१

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . . . ९२१—२२

दैनिक संक्षेपिका ९२३—२८

अंक १०—शनिवार, २९ नवम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३९ . . . ९२९—५२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . ९५२—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३४० से ३९१ . . . . . ९५६—८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३३ से ५४७, ५४९ से ५८१ और ५८३ से ५९४ . ९८०—१००६

लुनेज में तेल के कुएं के स्थान पर आग लगने के बारे में वक्तव्य . १००६—०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १००७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सीमा समायोजना सम्बंधी समझौते की कार्यान्विति १००८—१०

सभा का कार्य . . . . १०१०—११

जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति के बारे में प्रस्ताव . . १०११—२९

समवाय अधिनियम के कार्य-संचालन तथा प्रशासन सम्बंधी प्रतिवेदन के बारे में चर्चा . . १०२९—४७

दैनिक संक्षेपिका १०४८—५४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
आगड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)
अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)
अचल सिंह, सेठ (आगरा)
अचिंत राम, श्री (पटियाला)
अजित सिंह, श्री (भटिण्डा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)
अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल रशीद, बख्शी, (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)
अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)
अमजद अली, श्री (धुबरी)
अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम्)
अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)
अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)
अय्यांकण्णु, श्री (नागपट्टिनम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अरुमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)
आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरि)

इ

इकबाल, सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री इयानी (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै,, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)
किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुमारन, श्री (चिरयिन्कील)
कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)
कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

क—(क्रमशः)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)
कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)
कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)
कृष्णैया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)
केंदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी——रक्षित——अनुसूचित आदिम जातियां)
केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)
केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)
केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर——रक्षित——अनुसूचित जातियां)
कोडियान, श्री (क्विलोन——रक्षित——अनुसूचित जातियां)
कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)
को कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खां, श्री सादत्त अली (वारंगल)
खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)
खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)
खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)
खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)
खेडकर, श्री गोपाल राव (अकोला)
ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव——रक्षित——अनुसूचित जातियां)
गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)
गणपति, राम, श्री (जौनपुर——रक्षित——अनुसूचित जातियां)
गांधी, श्री फीरोज (रायबरेली)
गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)
गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)
गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता–पूर्व)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)
गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूभ——रक्षित——अनुसूचित आदिम जातियां)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)
गोविन्द दास, सेठ (जबलपुर)

ग--(क्रमशः)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित--आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)
गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)
गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)
गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)
गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)
घोडासार, श्री फतहसिंहजी (कैरा)
घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)
घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)
घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशेदपुर)
घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)
घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)
चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चंद्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
चावन, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (छिन्दवाड़ा)
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातिया)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री केशवराव मारुतिराव (बारामती)

ज—(क्रमश:)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (उन्नाव)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम्)

द

दलजीत सिंह,, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खांडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)
देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)
देव, श्री प्रताप केशरी (कालाहांडी)
देव, श्री प्र० गं० (अंगुल)
देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)
दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)
द्रोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)
धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरि)
नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)
नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)
नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

न—(क्रमशः)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)
नल्लाकोया, श्री कोयिलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)
नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री गोविन्दराजुलू (तिरुवल्लूर)
नायडू, श्री मुतुकुमारसामी (कडलूर)
नायर, डा० सुशीला (झांसी)
नायर, श्री कुट्टिकृष्णन्, (कोजीकोड)
नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)
नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)
नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (फूलपुर)
नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)
पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)
पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)
पटेल, सुश्री मणिबेन वल्लभभाई (आनन्द)
पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)
पद्मदेव, श्री (चम्बा)
पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
परागीलाल, श्री सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)
पलनियाण्डी, श्री (पेरम्बलूर)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)
पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)
पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)
पांडे, श्री सरजू (रसरा)

प--(क्रमशः)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)
पाटिल, श्री नाना (सतारा)
पाटिल, श्री बालासाहेब (मिराज)
पाटिल, श्री र० ढो० (भीर)
पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)
पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर)
पिल्ले, श्री पे० ति० थानू (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)
ोकर साहेब, श्री (मंजेरी)
प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)
बदन सिंह, चौ० (बिसौली)
बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)
बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)
बनर्जी, श्री प्रमथनाथ (कण्टाई)
बनर्जी, श्री स० म० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)
बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदारी, श्री रामप्पा, बालप्पा (बीजापुर-दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

ब--(क्रमशः)

बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बैंक, श्री इगनेस (लोहरदगा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
बॅरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री प्रभात चन्द्र (धनबाद)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश' पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवनजी (अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपल कांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)
भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)
मतीन, काजी (गिरिडीह)
मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
मनायन, श्री (दार्जिलिंग)
मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)
मल्होत्रा, श्री ठाकुर दास (जम्मू तथा काश्मीर)
मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची-पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (फूलपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

म—(क्रमशः)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवान दीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)
मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तकृष्णन्, श्री मु० (बेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्म तथा काश्मीर)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० स० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर—उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)

म—(क्रमश:)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनालि)
रंगाराव, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंहजी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोत्ता (गुण्टूर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजाराम बालकृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम)
राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)
राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)
राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)
राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)
राम कृष्ण, श्री (महेन्द्र गढ़)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)
रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामधनी दास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)
राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)
रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)
रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रामस्वामी, श्री सें० ं० (सैलम)

र—(क्रमशः)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)
राम शरण, श्री (मुरादाबाद)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)
राय, श्री खुशवक्त (खेरी)
राय, श्री बीरेन (कलकत्ता–दक्षिण-पश्चिम)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)
राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्यमनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित–अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्य लाल (उदयपुर)
वर्मा श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

व –(क्रमशः)

वर्मा, श्री राम जी (देवरिया)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय राजे, कुंवररानी (छतरा)
विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)
वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)
वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)
वेरावन, श्री अ० (तंजोर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)
शव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शवनजप्पा, श्री (मंडया)
शवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

संगण्णा, श्री तो० (कोरापट--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)
सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)
सम्पत्, श्री (नामक्कल)
सरदार, श्री भोली (सहरसा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)
सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)
सहोदरा बाई, श्रीमती (सागर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
साधू राम, श्री (जालन्धर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)
सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)
साहु, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सिंह, श्री क० ना० (शहडोल--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगुजा)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)
सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)
सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद--बिहार)
सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिदय्या, श्री (मैसूर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)
सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)
सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर--उत्तर)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सुब्बारायन्, डा० (तिरुचेंगोड)
सुब्राह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

स--(क्रमशः)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)
सुल्तान, श्रीमती मैमना (भोपाल)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता--उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्निया)
सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
सैयद महमूद, डा० (गोपालगंज)
सोनावाने, श्री तयप्पा (शोलापुर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड़)
सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)
सोरेन, श्री देवी (दुमका--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)
स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
हजारनवीस, श्री रा० मा० (भंडारा)
हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)
हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)
हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)
हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
हिनिटा, श्री हूवर (स्वायत्त जिले--रक्षित--अनसूचित आदिम जातियां)
हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)
हेडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन
श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री शिवराम रंगो राने
श्री श्रीनारायण दास
श्री ब० स० मूर्ति
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री त० ब० विट्ठलराव
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी
श्री सुरेन्द्र महन्ती
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
श्री सत्य नारायण सिंह

234-A LSD—2.

विशेषाधिकार समिति—(क्रमशः)

श्री अशोक कुमार सेन
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
डा० सुब्बारायन
श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल
श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह
श्री ना० वाडीवा
श्री सारंगधर सिन्हा
श्री शिवराम रंगो राने
श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी
श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक
श्री विमल कुमार घोष
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री हूवर हिनिटा

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**
श्रीमती शकुन्तला देवी
श्री व० ना० स्वामी
श्री अय्याकण्णु
श्री राम कृष्ण
श्री अमल कृष्ण दास
श्री सूरती किस्तैया
श्री रूंग सुंग सुइसा
श्री बी० ल० चांडक
श्री क० र० आचार
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
श्री करसनदास परमार
श्री यादव नारायण जाधव
श्री हरिश्चन्द्र शर्मा
श्री इगनेस बैक

प्राक्कलन समिति

श्री ब० गो० मेहता—**सभापति**
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
सरदार जोगेन्द्रसिंह
डा० सुशीला नायर
श्री राधा चरण शर्मा
चौधरी रणवीर सिंह
श्री गोपालराव खेडकर

प्राक्कलन समिति—(क्रमशः)

श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री तिरुमल राव
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री रामनाथन् चेट्टियार
श्री न० रं० घोष
पंडित गोविंद मालवीय
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री मथुरा दास माथुर
श्री डोडा तिमैया
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री र० के० खाडिलकर
श्री भा० कृ० गायकवाड़
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
श्रीमती मफीदा अहमद
काजी मतीन
श्री नरेन्द्रभाई नथवानी
श्री राजेश्वर पटेल
श्री विजयराम राजू
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री शंकर पांडियन
श्री झूलन सिंह
श्री रामजी वर्मा

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री मूल चन्द दुबे
श्री भक्त दर्शन
श्री चि० र० बासप्पा
श्री सुब्बया अम्बलम्
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री नवल प्रभाकर
श्री जसवंत राज मेहता
श्री मोती लाल मालवीय
श्री कमल सिंह
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री रामजी वर्मा
श्री र० के० खाडिलकर
श्री वासुदेवन नायर

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्रीमती उमा नेहरू
पंडित द्वारिका नाथ तिवारी
श्रीमती कृष्णा मेहता
श्री अब्दुल सलाम
श्री जियालाल मंडल
श्री क० गु० वोडयार
श्री नानूभाई निन्छाभाई पटेल
श्री पेन्देकान्ति वेंकटासुब्बैया
श्री प्रताप सिंह दौलता
श्री द० रा० चावन
श्री ब्रैं० च० मलिक
श्री रामचन्द्र माझी
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**
सरदार अमर सिंह सहगल
श्री नरेन्द्र भाई नथवानी
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री कृष्ण चन्द्र
श्री झूलन सिंह
श्री संबंदम्
श्री स० अ० अगाड़ी
श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया
श्री सुन्दर लाल
श्री ईश्वर अय्यर
श्री बाला साहेब पाटिल
श्री प्रमथ नाथ बनर्जी
श्री श्रद्धाकर सूपकार
श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री रंगा—**सभापति**
डा० राम सुभग सिंह
पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी
श्री रामेश्वर साहू
श्री तो० संगण्णा

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री अ० चं० गुह
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दासप्पा
श्री अरविन्द घोषाल
श्री प्रभात कार
श्री जयपाल सिंह
श्री शिवराज
श्री खुशवक्त राय

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर
श्री अमोलक चन्द
श्री टी० आर० देवगिरिकर
श्री एस० वेंकटरामन
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
श्री रोहित मनुशंकर दवे
श्री एम० बसवपुनैय्या

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुकम सिंह—**सभापति**
श्री फणि गोपाल सेन
श्री अजित सिंह सरहदी
श्री ठाकुर दास मलहोत्रा
श्री क० स० रामस्वामी
श्री सिंहासन सिंह
श्री जितेन्द्र नाथ लाहिरी
श्री बहादुर सिंह
श्री विश्वनाथ रेड्डी
श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय
श्री अरविन्द घोषाल
श्री मोहम्मद इमाम
डा० कृष्णस्वामी
श्री ब्रजराज सिंह
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुकम सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री ब० गो० मेहता
श्री रंगा
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री मूलचन्द दुबे
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री श्रीपाद अमृत डांगे
आचार्य कृपालानी
श्री इन्दुलाल याज्ञिक
श्री जयपाल सिंह
श्री विजयराम राजू
श्री प्र० के० देव
श्री भा० कृ० गायकवाड़
डा० कृष्णस्वामी
श्री मोहम्मद इमाम
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या—**सभापति**
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री राजेश्वर पटेल
श्री मणिकलाल मगनलाल गांधी
श्री मि० सू० मूर्ति
श्रीमती मैमूना सुलतान
श्री कमल कृष्ण दास
श्री बैरो
श्रीमती पार्वती कृष्णन
श्री खुशवक्त राय
श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—**सभापति**
श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवन चन्द शर्मा

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य
श्री कन्हैयालाल खादीवाला
श्री रघुबर दयाल मिश्र
श्री दुरायस्वामी गौण्डर
श्री नारायण गणेश गोरे
श्रीमती पार्वती कृष्णन्
श्री उ० मयुरमलिंग तेवर

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाथन्
श्री अमर नाथ अग्रवाल
श्री जसपत राय कपूर
डा० आर० पी० दुबे
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**
सरदार हुक्म सिंह
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम
श्री राधे लाल व्यास
श्री तय्यपा हरि सानावने
श्री शिवराम रंगो राने
डा० सुशीला नायर
श्री तंगामणि
श्री पुरुषोत्तम दास पटेल
श्री अमजद अली
श्री मी० रु० मसानी
श्री भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री——श्री जवाहरलाल नेहरू
गृह-कार्य मंत्री——श्री गोविन्द वल्लभ पन्त
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री——श्री लाल बहादुर शास्त्री
रेलवे मंत्री——श्री जगजीवन राम
वित्त मंत्री——श्री मोरारजी देसाई
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री——श्री गुलजारी लाल नन्दा
परिवहन तथा संचार मंत्री——श्री स० का० पाटिल
विधि मंत्री——श्री अ० कु० सेन
इस्पात, खान और ईंधन मंत्री——सरदार स्वर्ण सिंह
सिंचाई और विद्युत् मंत्री——हाफिज मुहम्मद इब्राहीम
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री——श्री क० च० रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री——श्री अजित प्रसाद जैन
प्रतिरक्षा मंत्री ——श्री व० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री ——श्री सत्य नारायण सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्री——डा० बा० वि० केसकर
स्वास्थ्य मंत्री——श्री दी० प० करमरकर
सहकार मंत्री——डा० पंजाबराव शा० देशमुख
खान और तेल मंत्री——श्री केशव देव मालवीय
पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री——श्री मेहर चन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री——श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री——श्री राज बहादुर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री——श्री ब० ना० दातार
उद्योग मंत्री——श्री मनुभाई शाह
सामुदायिक विकास मंत्री——श्री सुरेन्द्र कुमार डे
शिक्षा मंत्री ——डा० का० ला० श्रीमाली
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री——श्री हुमायन कबिर
राजस्व और असनिक व्यय मंत्री——डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री——सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया
श्रम उपमंत्री——श्री आबिद अली

उपमंत्री (क्रमशः)

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा
कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र
वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत
वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास
रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां
रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा
प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया
असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहउद्दीन
खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस
पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर
विधि उपमंत्री—हजारनवीस
वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सभा सचिव

वैदेशिक-कार्यमंत्री के सभा सचिव—श्री सादत्त अली खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन
श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र
प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी
सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव—श्री ब० स० मूर्ति
इस्पात, खान और ईंधन मंत्रो के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार २५ नवम्बर, १५९८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी इमारतों का वातानुकूलन

†२१३. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकरण खरीदने में विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों में निर्माण की जा रही कार्यालय की इमारतों का वातानुकूलन न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधिकारियों के कमरों में वायु शीतक (एयर-कूलर) का उपबंध करने का विचार रखती है और इसमें कुल कितना खर्च होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी नहीं। केवल केन्द्रीय वातानुकूलन संयंत्र का प्रतिष्ठापन, जिसके लिये नई इमारतें बनाई गई हैं, उसे विदेशी मुद्रा की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) नई दिल्ली में किंग एडवर्ड रोड, क्वीन विक्टोरिया रोड और हार्डिग एवेन्यू स्थित कार्यालय भवनों में कुछ अधिकारियों के कमरों लगभग ६,५६,००० रुपये के मूल्य के छोटे वातानुकूलन एकक लगाये गये हैं, इनके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के बारे में मैं यह जानना चाहता हुं कि यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : क्वीन विक्टोरिया रोड़, किंग एडवर्ड रोड और हार्डिग एवेन्यू पर इमारतें कम खर्चीली हैं उनकी दीवारें बहुत पतली हैं और कमरों की ऊंचाई भी कम है, अतः इन कमरों में काम करना वस्तुतः असम्भव है । इन इमारतों का डिजाइन

†मूल अंग्रेजी में

253 (A) L.S.D.—1.

इस ढंग का है कि इनमें वातानुकूलन सुविधाओं का उपबंध कर दिया जायेगा किन्तु विदेशी मुद्रा की कमी और वित्त सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण हम पूरी इमारत में वातानुकूलन प्रणाली लागू नहीं कर रहे हैं और केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिये ही वातानुकूलन संयंत्रों का उपबंध किया गया है ।

†**श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या इसका यह अभिप्राय है कि छत नीची होने के कारण ही यह भेदभाव किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : सामान्य रूप में मेरा विचार यह है कि दिल्ली की जलवायु देखते हुए यहां के हर कार्यालय में वातानुकूलन व्यवस्था होनी चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार को मालूम है कि गत १०० वर्ष या इससे अधिक समय तक जब कि यहां शीत जलवायु के अभ्यस्त अंग्रेज रहते थे उस समय एक भी इमारत का वातानुकूलन नहीं किया गया ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : प्रथम, उन दिनों सरकारी कार्यालय गर्मियों में शिमला चले जाते थे और दूसरे उन दिनों वातानुकूलन प्रणाली इतनी पूर्ण नहीं हुई थी ।

सेठ गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में सिर्फ ऐसी ही सामग्री को मंगाया जा रहा है जिसमें कि हम को विदेशी मुद्रा की अड़चन न पड़े । मैं जानना चाहता हूं कि यह जो ९ लाख रुपये की सामग्री मंगाई गई वह विदेशों से मंगाई गई है या इसी देश में तैयार की गई है ।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मैंने अभी अपने उत्तर में बताया था कि इसमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसीलिये हम देश में निर्मित होने वाली वातानुकूलन की छोटी छोटी मशीनों का आश्रय ले रहे हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश स्थानों में कार्यालय और निवास स्थानों का वातानुकूलन किया जाता है जबकि अस्पतालों के आपरेशन भवनों में ऐसा नहीं किया जाता है तब क्या हम वातानुकूलन संयंत्रों के आबंटन की प्राथमिकता की कोई पद्धति क्यों नहीं खोजते हैं और यदि हां, तो फिर यह प्राथमिकता प्रणाली किस प्रकार क्रियान्वित होती है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इसका निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है। यदि कोई प्राइवेट सिनेमा अपने यहां वातानुकूलन संयंत्र लगाना चाहे तो यह सिनेमा का दृष्टिकोण है कि वह सामान खरीद कर उसका व्यवहृत करें।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि अस्पतालों में भी उपकरण नहीं हैं ।

†**श्री तंगामणि** : यह सिनेमा के बारे में नहीं था।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं यह निवेदन कर दूं कि अस्पतालों को प्राथमिकता देना सरकार की नीति है और शाकभाजी आदि के बारे में भी शीतागार और कम से कम वैयक्तिक उपकरणों की प्राथमिकता देना सरकार की नीति है।

†**श्री प्रभात कार** : यह कहा गया था कि यह इमारतें मितव्ययतायुक्त प्रारूप पर बनाई गई हैं । इन इमारतों के निर्माण में कितनी बचत हुई है और वातानुकूलन सम्बन्धी खर्च से इसकी तुलना किस प्रकार हो सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : मैं इसका विस्तृत उत्तर नहीं दे सका किन्तु इमारतों के ढांचे से ही यह स्पष्ट हो जायेगा कि पहले एक निर्धारित ऊँचाई तक एक या दो मंजिलें बनती थीं अब वहां चार या पांच मंजिलें खडी हो रही हैं। फिर इनके निर्माण में पर्याप्त बचत होना चाहिये।

†श्री नारायणनकुट्टि मेनन : माननीय उद्योग मंत्री ने कहा था कि सरकार की नीति अस्पतालों को प्राथमिकता देना है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि दिल्ली में ही ऐसे अनेक अस्पतालों में आपरेशन कक्ष हैं जहा वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं है और अन्य स्थानों में इसकी व्यवस्था करने के पहले यहां इन्हें लगाना चाहिये ?

†उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह सुझाव स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया जा सकता है।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अभी कहा है कि यह कार्यवाही के लिये सुझाव है।

†श्री स० म० बनर्जी : दिल्ली में १९५६–५७ और १९५७-५८ में सरकारी इमारतों को वातानुकूलित करने में कुल कितनी रकम खर्च की गई है।

†श्री अनिल कु० चन्दा : मेरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है किन्तु जहां किंग एडवर्ड रोड, क्वीन विक्टोरिया रोड और हार्डिंग एवेन्यू पर स्थित इमरतों का सम्बन्ध है––यह सब नये कार्यालय हैं––इन पर हमने ९,५९,००० रुपये से कुछ अधिक खर्च किया ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो ९ लाख रुपये की सामग्री मंगाई गई है उसके बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था कि वह बाहर से मंगाई गई है या इसी देश में तैयार हुई है ?

†श्री अनिल कु० चन्दा : यह सब नये वातानुकूलन एकक हैं जो स्व भारत में उपलब्ध हैं। मैं उत्तर में बताया था कि इसमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त नहीं है। भारत में अनेक कम्पनियां हैं जैसे सूर रेफ्रीजरेटर्स, कलकत्ता और वोल्टास, बम्बई––यह वातानुकूलन एकक का उत्पादन करती हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे––

†उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न। आजकल सर्दियों में वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं है ।

इटली को लौह अयस्क का संभरण

†२१४. श्री वि० च० शुक्ल :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बहादुर सिंह :
श्री वाजपेयी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली द्वारा पश्चिमी तट से दीर्घ सूत्री आधार पर लौह अयस्क खरीदने के प्रस्ताव का परीक्षण पूरा हो गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किये गये मुख्य मुख्य निर्णयों का क्या ब्यौरा है?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) अभी नहीं।

(ख) यह विषय अभी विचाराधीन है।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या इस समझौते के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा केवल निम्न श्रेणी के अयस्क का ही निर्यात किया जा रहा है?

†श्री कानूनगो : अभी तक कोई समझौता नहीं है। केवल प्राथमिक वार्ता हुई है क्योंकि इस परियोजना के लिये रेलवे और पत्तन विकास के रूप में काफी पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता है।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या दोनों श्रेणियों का अयस्क भेजा जायेगा?

†श्री कानूनगो : जी हां, क्योंकि यूरोपीय महाद्वीप की मिल अच्छी किस्म के लौह अयस्क को भी काफी परिमाण में प्रयुक्त करेगी।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने ६५ प्रतिशत लौह तत्व वाली अयस्क निर्यात न करने का दृढ़ परामर्श दिया था और सरकार ने उक्त परामर्श के विरुद्ध ६५ प्रतिशत लौह तत्व वाला लौह अयस्क प्रति वर्ष निर्यात करने का समझौता किया है?

†श्री कानूनगो : किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इस प्रकार का परामर्श देने के बारे में मुझे जानकारी नहीं है—सरकार को यह बात मालूम नहीं है—परन्तु उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का निर्यात हम लगभग पचास वर्ष से कर रहे हैं।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या सामान्य दीर्घकालीन आधार पर लौह अयस्क खरीदने का कोई नया प्रस्ताव है?

†श्री कानूनगो : जापान के साथ पांच वर्ष से भी अधिक समय से दीर्घकालीन संविदा है। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है। अभी तक कोई संविदा नहीं हुआ है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या लौह अयस्क के संभरण के लिये पश्चिमी तट पर बीच के पत्तनों का नवीकरण करने के लिये इटली ने आस्थगन भुगतान के आधार पर कुछ ऋण देने का प्रस्ताव रखा है?

†श्री कानूनगो : अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था पश्चिमी तट के पत्तनों के विकास के लिये कुछ प्रारम्भिक वार्ता हुई है ताकि महाद्वीप के देशों के खरीदार कुछ मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त कर सकें।

†श्री वि० च० शुक्ल : इस लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये पश्चिमी तट के कौन कौन से पत्तनों का विकास सरकार के विचाराधीन है?

†श्री कानूनगो : मंगलौर, होनावर, करवाड़ तथा बीच के कुछ अन्य पत्तन किन्तु यह सब चर्चा के उद्भुत पर निर्भर है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या यह सच है कि इटली की एक फर्म ने मंगलौर पत्तन का सुधार करने और हसन मंगलौर रेलवे परियोजना के बारे में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ताकि उपरोक्त पत्तन से निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के निर्यात में सुविधा हो सके?

†श्री कानूनगो : पहले के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†श्री आचार : निर्यात के लिये उपलब्ध होने वाले लौह अयस्क का क्या स्वरूप है? यह सुझाव रखा गया था कि यह निम्न श्रेणी का रहेगा। क्या यह निम्न श्रेणी का है?

†श्री कानूनगो : जी हां, क्योंकि निम्न श्रेणी का अयस्क आजकल गोआ होकर भेजा जाता है। उस दिशा में—हसन मैसूर में अच्छी और हलकी किस्म का लौह अयस्क ५३ और ६५ के बीच है।

स्ट्रोन्टियम-९०[1]

†*२१५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री १० मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देशवासियों की हड्डियों में रेडियो सक्रियता (स्ट्रोन्टियम-९०) के जमाव के नमूने सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ है?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : मनुष्य की हड्डियों में स्ट्रोन्टियम-९० तत्त का निर्धारण करने की निश्चित पद्धति हाल ही में ढूंढ़ी गई है और नमने के विश्लेषण पर नियमित कार्य शीघ्र आरम्भ होगा।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह मालूम किया गया है कि १९५७–५८ में जन संख्या पर विस्फोट परीक्षणों का क्या प्रभाव हुआ है?

†श्री सादत अली खां : १९५७–५८ में परीक्षण विस्फोटों पर विचार करते हुए मौजूदा स्तर अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र में २ या ३ यूनिट से अधिक नहीं हो सकता है। चूंकि भारत अधिकतम प्रभाव वाले क्षेत्र में नहीं है अतः इस देश में यह और भी कम होगा।

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या सरकार को मालूम है कि बारह सिंघों में रेडियो धर्मी स्ट्रोन्टियम का रेकार्ड सब से अधिक पाया जाता है? अमेरिका का अणु शक्ति आयोग इस प्रकार की गवेषणा कर रहा है। क्या हम भी बारह सिंघों में पाई जाने वाली रेडियो धर्मी स्ट्रोन्टियम की गवेषणा कर रहे हैं?

†श्री सादत अली खां : मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ट्राम्बे प्रतिष्ठान ने मानव हड्डी में स्ट्रोन्टियम-९० के निर्धारण की प्रक्रिया को पूर्ण रूप प्रदान किया है। जैसा मैंने कहा था नमूने के विश्लेषण के बारे में नियमित कार्य अगले कुछ महीनों में प्रारम्भ होने वाला है।

†श्री दी० चं० शर्मा : आयोग को यह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा तथा क्या जनता को इसके प्रभाव के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा?

†श्री सादत अली खां : हम अगले दो या तीन महीनों में यह कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Strontium—90

†श्री बोस : क्या रेडियो धर्मिता वायु में भी संग्रहीत है अथवा अन्य धुलनशील गैसों की भांति यह भी वातावरण में विलीन हो जाती है ?

†श्री सादत अली खां : स्ट्रोन्टियम ९० का रासायनिक आचरण कैलसियम की भांति ही है। स्ट्रोन्टियम ९० भी कैलसियम की भांति मानव हड्डी पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और यह पौधे, घास तथा पत्तियों पर जम जाती हैं। इसे पशु खाते हैं और इस प्रकार दूध के माध्यम से यह मानव हड्डी में प्रवेश करती है।

ग्वाडुर एनक्लेव (समावृत बस्ती)[1]

+

†*२१६. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री संगण्णा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री वोडयार :
श्री आाड़ी : }

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वाडुर एनक्लेव में जो अब पाकिस्तान में मिल गया है कितने भारतीय हैं;

(ख) वहाँ भारतीयों के वाणिज्यक तथा नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सत्ता परिवर्तन के पश्चात् वहां भारतीयों की अवस्था देखने के लिये भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि गया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) २७५ ।

(ख) और (ग) . पाकिस्तान द्वारा इस प्रदेश को लेने के पश्चात् भारतीयों को तुरन्त ही कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। सत्ता परिवर्तन के पश्चात् कराची स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के प्रथम सचिव और मस्कत में नियत भारतीय दूत ग्वाडुर गये थे। उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उस परिवर्तन के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या तस्कर व्यापार तथा अन्य विषयों पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

†श्री सादत अली खां : हमने उक्त अधिकारियों को भेजा था और हम उनके प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं। मैं सरकार की ओर से इस समय निश्चित उत्तर नहीं दे सकता हूं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस प्रदेश का पाकिस्तान में विलय होने के पहले किसी प्रकार की वार्ता हुई थी तथा क्या परिवर्तन के पहले हम इससे अवगत थे ?

†श्री सादत अली खां : किसी प्रकार की वार्ता नहीं हुई थी।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या भारतीयों के प्रति भेदजनक व्यवहार किया जा रहा है और क्या सरकार ने इसकी पुष्टि की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gwadur Enclave.

†श्री सादत अली खां : मैंने अभी कहा था कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमने अपने अधिकारी वहां भेजे थे और वह लौट आये हैं। जहां तक हमें याद है इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया।

†श्री बोडयार : क्या यह सच है कि एक पश्चिमी राष्ट्र ने इस एनक्लेव को खरीदने के लिये काफी बड़ी रकम पाकिस्तान को सहायता के रूप में दी थी ; यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है तथा क्या भारत सरकार को इस सौदे की जानकारी थी ?

†श्री सादत अली खां : इस विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

†श्री त्यागी : इस क्षेत्र में रहने वाले २७५ भारतीयों की कैसी अवस्था है, क्या वह लौटा दिये गये हैं अथवा अभी उस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों के रूप में रह रहे हैं ?

†श्री सादत अली खां : वह अभी भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं।

†श्री त्यागी : क्या वह अभी भी भारतीय नागरिक हैं अथवा पाकिस्तानी नागरिक बन गये हैं ?

†श्री सादत अली खां : वह पाकिस्तानी नागरिक बन गये हैं किन्तु मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता हूं।

†श्री त्यागी : क्या भारतीयता से पाकिस्तानी नागरिकता बदलने के लिये उनकी सम्मति प्राप्त की गई थी ?

†श्री सादत अली खां : इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री हेम बरुआ : यदि वहां के भारतीय राष्ट्रजन इस देश में लौटना चाहें तो क्या सरकार उन्हें सहायता और पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें देगी ?

†श्री सादत अली खां : हम रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में कुछ लिखा पढ़ी हुई है और यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ?

†श्री सादत अली खां : कुछ लिखा पढ़ी नहीं हुई है।

†श्री बोडयार : क्या यह सच है कि कराची में पाकिस्तानी व्यापारी ग्वादुर एनक्लेव में भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता रोकने के लिये गये थे और इस एनक्लेव में भारतीयों सरीखी अल्प संख्यक जाति में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिये पाकिस्तान सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†श्री सादत अली खां : हमें पाकिस्तानी व्यापारियों के वहां जाने के बारे में जानकारी नहीं है।

†श्री त्यागी : मैं यह जानने के लिये उत्सुक हूं कि किस कानून के अधीन भारतीय राष्ट्रजनों को स्थानान्तरित किया गया। किसी भूप्रदेश के स्थानान्तरण की बात समझ में आ सकती है किन्तु भारतीय नागरिकों के बारे में क्या किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** जैसा मैंने कहा था जिन दो अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी :** किसी भूप्रदेश को अन्य के अधिकार में सौंपा जा सकता है परन्तु क्या भारत के नागरिकों को भी भेजा जा सकता है ?

†**श्री सादत अली खां :** वह वहां बस गये हैं ।

†**श्री रंगा :** क्या हमारे नागरिकों की हैसियत के बारे में कानूनी स्थिति निश्चित की गई थी ? क्या विधि मंत्री से परामर्श किया गया था ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** वह भारतीय व्यापारी के रूप में वहां व्यापार कर रहे हैं और उन पर भारतीय नागरिकता विधि लागू होगी । यदि वह भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिक ही रहेंगे ।

†**श्री त्यागी :** माननीय उपमंत्री कहती हैं कि "यदि" ऐसा हो इसका अर्थ है मंत्रालय इस तथ्य से बेखबर है कि वह भारतीय नागरिक हैं अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पिछली बार जब माननीय प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था तब श्री त्यागी ने यही बात पूछी थी कि यह विधिसम्मत तथा संवैधानिक है अथवा नहीं और प्रधान मंत्री ने उत्तर में कहा था कि वह इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं ।

†**सरदार हुकम सिंह :** यह तो भूप्रदेश की बात है ।

†**श्री त्यागी :** वह राज्यक्षेत्र के विषय में था ; यहां हम नागरिकता का प्रश्न उठा रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में कानूनी कठिनाई नागरिकता से भी सम्बन्धित है प्रश्नकाल कानूनी विषयों पर जनमत जानने के लिये नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ; यह कानूनी विषय के बारे में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कई प्रश्नों की अनुमति दे दी है । क्या मुझसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं ?

†**श्री हेम बरुआ :** जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्नकाल में नहीं हो सकता है ।

फिल्म एकक[1]

+

†*२१७. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बर्मन : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वथा श्रम सम्बन्धी समस्याओं को समाविष्ट करने वाली फिल्मों का निर्माण करने वाले फिल्म एकक की स्थापना के प्रस्ताव की कितनी प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Film Unit.

(ख) इस कार्य पर होने वाला व्यय श्रम मंत्रालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय किस-किस अंश में वहन करेगा ; और

(ग) क्या इस विषय में शीघ्रता करने के लिये कोई समिति स्थापित की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क). कच्ची फ़िल्मों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा के अभावस्वरूप यह प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : लगभग दस फिल्में बनाई गई हैं। उनमें से अभी तक प्रदर्शन हेतु दो फिल्में मुक्त की गई हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या किन्हीं कोयला खानों ने अपने खर्च से ही ऐसी फिल्में प्रदर्शन के लिये तैयार की हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुझे याद नहीं है ।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : यदि दो फिल्मों को ही प्रदर्शित किया गया है तो अन्य फिल्मों के विषय में क्या हुआ है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : उन्हें भी प्रदर्शित किया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार किन्हीं श्रम क्षेत्रों में दृश्य-श्रव्य पद्धति पुरःस्थापित की है ? यदि हां, तो श्रमिकों में निरक्षरता दूर करने में उपरोक्त प्रणाली कहां तक सफल सिद्ध हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमारे पास दृश्य-श्रव्य शिक्षा सम्बन्धी एक योजना थी और हम १०० फिल्में उत्पादन करना चाहते थे । किन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के परिणामस्वरूप हम ऐसा नहीं कर सके ।

†**श्री तंगामणि** : क्या उक्त दो फिल्में उस स्कूल में प्रदर्शित की जायेंगी जो भावी प्रशासकों को बम्बई में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ? क्या उन केन्द्रों में भी यह फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी जो अब भविष्य में स्थापित किये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : वे सब श्रमिक क्षेत्रों में प्रदर्शित की जायेंगी । यदि सम्भव हुआ तो यह बम्बई के प्रशिक्षण केन्द्र में भी बताई जायेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या स्वतंत्र रूप से फिल्में उत्पादन करने वाले श्रमिक संघों को भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी उदाहरणार्थ, इन्टक जो आसाम में चाय बागान के सम्बन्ध में ऐसा कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूटान को सहायता

†*२१८. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री सूपकार :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० च० प्रधान :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय योजना अवधि में अभी तक भूटान को कितनी वित्तीय तथा अन्य सहायता दी गई है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने हाल की अपनी भूटान यात्रा में उस देश में विकास कार्यों की क्रियान्विती के लिये सहायता देने के लिये कहा था ;

(ग) यदि हां तो किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था ; और

(घ) क्या इस दिशा में भूटान की ओर से कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) १९४९ की संधि के अधीन भूटान को प्रतिवर्ष दी जाने वाली ५ लाख रुपये की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त वित्तीय तथा अन्य सहायता का परिमाण हर वर्ष निर्धारित किया जाता है। १९५६ और १९५७ में भूटान को क्रमशः ३,२२,८०० रुपये और २,४५,००० रुपये की सहायता अस्पतालों के सामान, सीमेंट, इस्पात आदि के खर्च के लिये दी गई थी।

उपकरण, निर्माण सम्बन्धी वस्तुयें आदि के सम्भरण के लिये ३,६०,००० रुपये की और रकम चालू वर्ष में भूटान को देने के लिये निर्धारित की गई है। और नारंगी का रस निकालने की फैक्टरी स्थापित करने के लिये लगभग २ लाख २० हजार रुपये का ऋण देने का प्रस्ताव भी है ।

(ख) सामान्यतः प्रधान मंत्री ने यह कहा था ।

(ग) भूटान को प्रायः यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वह चाहे तो विकास योजनाओं की कार्यान्विती के लिये उन्हें वित्तीय तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों के रूप में सहायता देने के लिये भारत तैयार है ।

(घ) अभी तक भूटान से इस प्रकार की प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या इस भाग के विकास के लिये भारत सरकार के अधीन कोई और विकास योजनायें विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इन योजनाओं का सुझाव भूटान सरकार की ओर से दिया गया है। हम उन्हें वित्तीय सहायता देते हैं और आवश्यकता होने पर कर्मचारियों को भी भेजते हैं। हम भूटान सरकार को किसी प्रकार की विकास योजनाओं का सुझाव नहीं देते हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या प्रधान मंत्री ने भूटान के महाराजा से आसाम में भूटान और रांगिया को मिलाने वाली सब ऋतुओं में प्रयुक्त हो सकने योग्य सड़क निर्माण करने के प्रस्ताव पर चर्चा की थी और यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रधान मंत्री ने अपनी भूटान यात्रा में इस विषय पर चर्चा की थी।

†**श्री हेम बरूआ** : इसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मेरा विचार है कि भूटान सरकार इस विषय पर हमारी सरकार से बातचीत कर इसका निर्णय कर लेगी।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच है कि १६४६ की संधि के पश्चात् भूटान के साथ हमारे सम्बन्ध अधिक मैत्रीपूर्ण नहीं थे और यह आर्थिक सहायता इसीलिये दी जा रही है कि पुनः मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये जायें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : भारत और भूटान के बीच अमैत्रीपूर्ण व्यवहार की हमें कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भूटान का व्यवहार हमारे प्रति अधिक मित्रतापूर्ण नहीं है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम सदैव अत्यधिक मित्रतापूर्वक रहे हैं।

†**श्री मोहम्मद इलियास** : यह वित्तीय सहायता किन शर्तों और अवस्थाओं के अधीन दी जाती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसके लिये कोई शर्तें नहीं हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या भूटान के विकास के लिये किसी और देश ने सहायता दी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

अनबिका कपड़ा

\+

१६. **श्री तंगामणि** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ अगस्त, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनबिके कपड़े का स्टाक कितना कम हो गया है ; और

(ख) इस स्टाक को शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]

†श्री तंगामणि : विवरण से पता लगता है कि पिछले वर्ष के नवम्बर के स्टाक की तुलना में इस वर्ष का स्टाक ३८,००० गांठें कम है। क्या इसका यह अर्थ है कि अब कपड़ा उद्योग पर संकट नहीं है ?

†श्री कानूनगो : यह अपनी अपनी राय है। हम जो कार्यवाही कर रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है।

†श्री तंगामणि : भारतीय सूती कपड़े के कारखाने हर माह औसतन कितना कपड़ा बनाते हैं ?

†श्री कानूनगो : लगभग ४,५०,००० गांठ।

†श्री स० म० बनर्जी : क्या अनबि के कपड़े का अधिकांश भाग मोटा और मीडियम प्रकार का है, यदि हां, तो अनबिके कपड़े का एक हिस्सा एशियाई देशों को निर्यात करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री कानूनगो : यह तो स्पष्ट ही है कि स्टाक मोटे और मीडियम कपड़े का ही होगा क्योंकि हम कुल उत्पादन का ७० प्रतिशत कपड़ा मोटा और मीडियम ही बनाते हैं। जहां तक निर्यात प्रोत्साहन का सम्बन्ध है, इस माह के पहिले सप्ताह में जारी की गई अधिसूचनाओं के प्रभाव की प्रतीक्षा की जानी चाहिये।

†श्री रामेश्वर टांटिया : इस बात के बावजूद भी कि सरकार ने उत्पादन शुल्क में कमी कर दी है और अन्य रियायतें दी हैं, अनबिके कपड़े की मात्रा कम नहीं हुई। उस दृष्टि से क्या सरकार पटसन मिलों के समान ही उत्पादन को कम करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†श्री कानूनगो : जैसा कि आंकड़े बताते हैं, स्टाक कम हो रहा है और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ कार्यवाही की गई है। फिलहाल और अन्य कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

†श्री अ० चं० गुह : क्या यह सच है कि अनबिके कपड़े के संग्रह के कारण कपड़े का उत्पादन पिछले कुछ महीनों से हर माह कम होता जा रहा है ? और यदि स्टाक में कोई कमी हुई है तो क्या वह उत्पादन में कमी के कारण हुई है अथवा संग्रहीत कपड़े की अधिक बिक्री के कारण हुई है ?

†श्री कानूनगो : जुलाई और नवम्बर के बीच का समय कम बिक्री का होता है और दिवाली के बाद ही कपड़े का उठान होता है।

†श्री अ० चं० गुह : मेरा प्रश्न उत्पादन के बारे में है।

†श्री कानूनगो : मैं उस पर आ रहा हूं। उत्पादन के आंकड़ों में वृद्धि नहीं हो रही है परन्तु पिछले सालों की तुलना में उनमें काफी कमी भी नहीं हो रही है।

†श्री च० द० पाण्डे : इस तथ्य की दृष्टि से कि उत्पादन में तथा साथ ही साथ कपड़े के निर्यात में सामान्य कमी हुई है, क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि हमारी योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसार हमें जनता को प्रति व्यक्ति १८ गज कपड़ा उपलब्ध कराना है ? अब वह १५ गज प्रति व्यक्ति हो गया है।

†**श्री कानूनगो** : हम आशा करते हैं कि योजना के अन्त तक खपत प्रति व्यक्ति १७·५ गज हो जायेगी।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या माननीय मंत्री रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष मार्च से हर माह कपड़े का उत्पादन कम होता गया है ?

†**श्री कानूनगो** : आंकड़ों से पता चलेगा कि कुछ कमी हुई है। परन्तु यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुह** : काफी कमी हो गई है।

†**श्री त्यागी** : चूंकि यह सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये बड़ी चिन्ता का विषय है कि हम विदेशों में अपना बाजार खो रहे हैं, क्या मंत्रालय ने उद्योग का विश्वास प्राप्त करने का और उस सम्बन्ध में सुझाव मांगने के प्रयत्न किये हैं कि वे नये बाजारों की स्थापना किस प्रकार करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : यह सच है कि पिछले एक वर्ष से कपड़ा इकट्ठा हो रहा है। परन्तु स्टाक में वृद्धि नहीं हो रही। मैं ने कुछ आंकड़े देखें हैं और मैं अभी भी उनकी परीक्षा कर रहा हूं और इन आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तव में उत्पादन कम नहीं हुआ। मिलों ने अपना स्टाक बाजार को भेज दिया है और बाजार को भेजी गई मात्रा यदि पिछले वर्ष की तुलना में वास्तव में अधिक नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। परन्तु इन आंकड़ों की जांच होनी है। यदि इस वर्ष कपड़े की अधिक खपत हुई है और बाजार को अधिक कपड़ा भेजा गया है तो इससे पता चलता है कि उत्पादन अधिक कम नहीं हुआ। अन्य संस्थाओं द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़े भी हैं। उनकी भी जांच होनी है। कुछ ही दिन पहिले मैं ने ये आंकड़े कपड़ा मंत्रणा बोर्ड के समक्ष रखे थे और उद्योगपतियों ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इससे हमें अधिक चिन्ता नहीं होनी चाहिये। निर्यात के बारे में हमें अवश्य ही कार्यवाही करनी है। परन्तु मैं यह कह देना चाहूंगा कि सरकार जो कुछ कर सकती है वह कर दिया गया है। उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है। कुछ प्रोत्साहन भी दिया गया है। हमने अन्य सुविधायें भी दे दी हैं। अब उद्योग के ऊपर निर्भर है कि वह प्रेरणा ले और साहस से काम करे। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व, बम्बई में कपड़ा मंत्रणा बोर्ड ने उद्योग के दो सदस्यों और कपड़ा आयोग के एक सदस्य की एक छोटी सी समिति बनाई है जो कपड़ा फेडरेशन से इस बात पर चर्चा करेगी कि पिछले कुछ महीनों से कपड़े का जो स्टाक पड़ा हुआ है उसे बेचने के लिये क्या कार्यवाही की जाये।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता चलता है कि नवम्बर में स्टाक ३,६५,००० गांठ था। क्या यह स्टाक दीपावलि अर्थात् १० नवम्बर, के बाद का है अथवा उसके पहिले का है?

†**श्री कानूनगो** : यह दीपावलि के उठान के पहिले का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय कार्यान्विति एवं मूल्यांकन समिति[1]

+

†*२२०. श्री स० म० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दामानी :
श्री तंगामणि :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कार्यान्वित एवं मूल्यांकन समिति की बैठक सितम्बर, १९५८ में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी और उन पर क्या निर्णय हुआ है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां।

(ख) लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(१) श्रमिकों और मालिकों के संगठनों को एक ऐसी समिति स्थापित करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी चाहिये जो अन्तिम रूप से उच्च न्यायालयों को मामले ले जाने के पहिले उनकी छानबीन कर ले।

(२) न्यायालयों में औद्योगिक पंचाटों और करारों के खिलाफ की गई अपीलों के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में न्यायालयों के बाहर विवादों को तय करने के लिये पक्षों को एक साथ लाने की संभावना पर विचार करें।

(३) औद्योगिक न्यायाधिकरणों में निर्धारकों की हैसियत से कार्य करने के लिये निष्पक्ष लेखा परीक्षकों को सम्बन्धित करने के प्रश्न पर विचार किया जाये जिससे कि लेखा सम्बन्धी मामलों में विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त हो सके।

(४) चूंकि संहिता की औपचारिक रूप से मई १९५८ में नैनीताल में हुए भारतीय श्रमिक सम्मेलन के १६वें सत्र में पुष्टि की गई थी अतएव यह समझा जाये कि वह १ जून, १९५८ से लागू होगा।

(५) सरकार के मनोनीत व्यक्तियों, श्रमिकों और मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों को त्रिदलीय संस्था के द्वारा अनुशासन संहिता के अन्तर्गत कलकत्ता ट्राम कर्मचारियों की हड़ताल के स्थान पर जा कर अध्ययन किया जाये।

†श्री स० म० बनर्जी : इस विशेष समिति में कितने पंचातों और करारों पर चर्चा हो चुकी है और इस बात की जांच के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि मालिक उन्हें स्वीकार कर लें।

†श्री आबिद अली : मैं ने प्रश्न नहीं सुना।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Implementation and Evaluation Committee.

†श्री प्र० प० वार्ता : मेरा प्रश्न यह है कि क्या करार या पंचाट का पालन किया जा रहा है। मेरी जानकारी यह है कि मालिकों ने बहुत से पंचाटों और करारों को मंजूर नहीं किया। यह जांच करने के लिये कि उन्हें अपनाया जाये क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री आबिद अली : आवश्यक होने पर उन पर दबाव डालने और कानूनी कार्यवाही करने की कार्यवाही की गई है।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : समिति ने यह तय किया है कि कलकत्ता ट्रामवे की हड़ताल का अध्ययन त्रिदलीय समिति द्वारा किया जाये। क्या समिति की नियुक्ति कर दी गई है और यदि कर दी गई है तो क्या उसने घटना-स्थल पर जा कर जांच की है और क्या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

†श्री आबिद अली : जी, नहीं अभी तक घटना स्थल पर जा कर जांच नहीं की गई। समिति बनाई जा रही है। सम्बन्धित अधिकारी ने प्रारम्भिक आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं। ऐसी आशा की जाती है कि अगले माह में यह काम पूरा हो जायेगा।

†श्री प्रभात कार : इस समिति के सामने पंचाट-भंग के कितने मामले प्रस्तुत किये गये हैं ?

†श्री आबिद अली : इस समिति के समक्ष कोई पंचाट पेश नहीं किया गया।

†श्री प्रभात कार : उन्हें अपनाये जाने के बारे में कोई उल्लंघन हुआ है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : समिति की पिछली बैठक में मंत्रालय ने बहुत ही विस्तृत सूचना दी थी और इसमें इससे सम्बन्धित स्थिति का उल्लेख किया गया था अर्थात् इस मूल्यांकन विभाग के सामने विभिन्न पंचाटों और उल्लघंनों के जो मामले आये थे, वे बताये गये थे तथा उससे सम्बन्धित सभी जानकारी समिति को दी गई थी।

†श्री तंगामणि : नैनीताल की यह संहिता १-६-५८ से लागू होगी। संहिता में बताया गया है कि मुकदमेबाजी करना उल्लंघन समझा जायेगा। क्या इस मूल्यांकन समिति ने उन मालिकों पर विचार किया है जो पंचाटों को १ जून के बाद न्यायाधिकरणों, उच्च-न्यायालयों, तथा उच्चतम न्यायालय में ले गये हैं और इस प्रकार उन्होंने नैनीताल संहिता का उल्लंघन किया है।

†श्री नन्दा : यह बात नहीं है कि यदि कोई मालिक किसी मामले को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ले जाता है तो उससे संहिता का उल्लंघन होता है। मालिकों के संगठनों से कहा गया है कि वे सूक्ष्म जांच-समितियां नियुक्त करें, जिससे कि अत्यन्त ठोस मुकदमे ही अदालतों में भेजे जायें। ऐसे मामलों में जिन में अदालतों से बचा जा सकता है, बचने की कोशिश की जाये।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जैसा कि माननीय मंत्री बता रहे हैं, क्या समिति को मद्रास राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है कि वे वर्तमान पंचाटों को अपनाने के लिये मालिकों पर दबाव डालने में असफल रहे हैं ?

†श्री नन्दा : मुझे कोई खास मामला नहीं मालूम। मैं ने स्वयं कोई रिपोर्ट नहीं देखी।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में पंचाटों को अधिक सख्ती से कार्यान्वित किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नंदा :** यह तो किया जाता रहा है। इस प्रयोजन के लिये श्रमिकों से कहा गया है कि वे राज्य के सम्बन्धित विभाग तथा केन्द्रीय सरकार को सूचना दें और इस मामले में प्रतिदिन कार्यवाही की जाती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** सभा पटल पर रखे गये विवरण के पहिले पैरा में सूक्ष्म जांच समितियों के बारे में कुछ बताया गया है। अब तक कितनी सूक्ष्म जांच-समितियां बनी हैं और क्या श्रम मंत्रालय को इनके बारे में सूचना मिली है ?

†**श्री नन्दा :** मालिकों को एक केन्द्रीय संगठन ने सूचित किया है कि उन्होंने इस प्रकार की एक समिति नियुक्त कर ली है। अन्य संगठनों से हमें कोई सूचना नहीं मिली।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** जानकारी से ऐसा लगता है कि अधिकांश पंचाटों को कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि उनके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपीलें की गई हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए क्या मंत्रालय ने कुछ ऐसी कार्यवाही सोची है जिससे कि इस प्रवृत्ति को रोका जा सके क्योंकि यह मालिकों की ओर से देर लगाने की चाल ही है।

†**श्री नंदा :** उत्तर दिया जा चुका है। इन संस्थाओं के ऐसे मामलों की जांच करने के लिये अब सूक्ष्म जांच-समितियां बनाने की कार्यवाही की गई है। सरकार भी पक्षों को एक साथ बुलाकार हस्तक्षेप कर सकती है तथा यह देखेगी कि क्या मामले आपस में ही वार्त्ता कर के निपटाये जा सकते हैं। यही कार्यवाही की गई है।

†**श्री हेम बरुआ :** जहां तक कलकत्ता ट्रामवे की हड़ताल का सम्बन्ध है, क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार अब हड़ताल की जांच का कुछ विरोध कर रही है और यदि कुछ ऐसी बात है तो जांच में देर लगाने का क्या यही कारण है ?

†**श्री नन्दा :** प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर 'नहीं' है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या राज्य सरकारों ने मूल्यांकन समितियां नियुक्त की हैं ; और यदि हां, तो किन राज्यों ने ?

†**श्री नन्दा :** मेरा विश्वास है कि प्रायः सभी राज्यों ने उनकी स्थापना कर ली है। शायद एक या दो राज्य ऐसे होंगे जिन्होंने यह व्यवस्था नहीं की है। मुझे ऐसी आशा है कि हर राज्य उनकी स्थापना कर लेगा।

†**श्री तंगामणि :** सोलहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन के निर्णयों से नैनीताल संहिता बनी है। भारत सरकार सोलहवें भारतीय श्रमिक सम्मेलन के निर्णयों को उसी प्रकार कब प्रकाशित कर रही है जिस प्रकार अखिल भारतीय कर्मचारी संघ ने प्रकाशित कर दिये हैं ?

†**श्री नन्दा :** इन कार्यवाहियों अथवा रिकार्ड का सारांश विभिन्न सम्बन्धित संस्थाओं को भेज दिया गया है। जो निर्णय किये गये थे वे समाचार पत्रों को भेज दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्राम्बे में उर्वरकों का बनाया जाना

+

† २२२. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे में तेल शोधक कारखाने की गैसों से नाइट्रोजनस उर्वरक बनाने की योजना का अन्तिम निर्णय हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो ट्राम्बे में गैस से कुल कितनी मात्रा में उर्वरक बनने की संभावना है ;

(ग) ट्राम्बे में गैसों से उर्वरक बनाने वाला संयंत्र कब स्थापित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं। प्रविधिक समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसकी जांच हो जाने के बाद ही योजना का अन्तिम निर्णय किया जायेगा। यह समिति यह तय करने के लिये बनाई गई है कि विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाने की प्रणालियों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ट्राम्बे में किस प्रकार के उर्वरक तैयार किये जायें। ऐसी आशा है कि उस समिति की रिपोर्ट अगले माह के प्रारम्भ में मिल जायेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** इसमें जो खर्च निहित है क्या उसका कोई अनुमान तैयार किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग २५ करोड़ रुपये।

†**पंडित द्वा० नाथ० तिवारी :** क्या उत्पादन-क्षमता का भी अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सालाना अनुमान लगभग ३,७५,००० टन है बशर्ते की हम अमोनियम सल्फेट तैयार करें। यदि दूसरा हुआ तो वह ७५,००० टन नाइट्रोजन होगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** चूंकि देश में उर्वरकों की भारी कमी है अतएव क्या सरकार आसाम आयल कम्पनी में एक संयंत्र खोलने का विचार करेगी क्योंकि चाय-बागानों में उर्वरकों की बड़ी मांग है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उर्वरकों के लिये आसाम गैस का उपयोग करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†**श्री दासप्पा :** किन विशेज्ञों से मंत्रणा ली गई है ? क्या वे भारतीय हैं अथवा विदेशी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** दोनों ही हैं। अनेकों विशेषज्ञ हैं। जब परियोजना का निर्णय हो जायेगा, तब टेंडर मांगे जायेंगे। अनेक दल टेंडर भेजेंगे और तब ठेके का निर्णय किया जायेगा।

†**श्री दासप्पा :** कौन कौन विशेषज्ञ हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** फिलहाल, इसमें भारतीय विशेषज्ञ हैं। ये भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र में स्थापित उर्वरक कारखानों से सम्बन्धित हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सेठ गोविन्द दास : इस फैक्ट्री के बनने के बाद क्या और कहीं भी इस प्रकार की फैक्ट्रियां बनाने की योजना है और अगर है तो कहां कहां वे स्थापित की जायेंगी ? साथ ही हम को जितने फरटिलाइजर की आवश्यकता है वह हमारे ही देश में कब तक पूरी हो सकेगी ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि हाउस को पता है, जहां तक फरटिलाइजर्स का ताल्लुक है गवर्नमेंट ने उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है और हमारे सैकिंड फाइव यीर प्लान का जो लक्षांक है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और १९६१ में दो मिलियन टन अमोनियम सलफेट के रूप में पैदा होगा। इसके अलावा जब भी कोई खानगी क्षेत्र में इस काम के लिये प्रोपोजल्स आती है उन पर अच्छी तरह से विचार किया जाता है और जो अच्छी प्रोपोजल्स होंगी उनको मंजूर भी किया जायेगा। ये सब अलग अलग प्रदेशों में हो सकती है।

श्री विभूति मिश्र : यह जो फरटिलाइजर पैदा होगा और सिंदरी का जो फरटिलाइजर है इन दोनों की कीमत में क्या फर्क होगा और किस कीमत पर इसको उपलब्ध किया जायेगा ।

श्री मनुभाई शाह : हर एक फैक्ट्री के उत्पादन का जो खर्चा होता है वह अलग अलग होता है। वहां किस किस्म का काम होता है, क्या रा मैटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, किस किस्म का प्लांट लगाया जाता है इन सब चीजों पर जो औसत खर्चा होता है वह निर्भर करता है। यह खर्चा इतना होगा जो कि अधिक नहीं होगा और हमारे लिये फायदेमन्द होगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या कीमत पड़ेगी, क्या इसका कोई अन्दाज़ा लगाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जब तक प्लांट नहीं लगेगा तब तक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। प्लांट लगेगा, कितनी कैपिटल कास्ट होगी, क्या उत्पादन शक्ति होगी इत्यादि सब बातों का पता लगने के बाद ही कीमत का कोई अन्दाजा लग सकता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** सरकार द्वारा इस बात की घोषणा किये जाने के बाद वह गैर-सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने के खोले जाने के प्रश्न पर उदारता पूर्वक विचार करेगी, क्या किसी गैर-सरकारी पक्ष ने सरकार को अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अनेक ने किया है।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने बड़े एककों के बदले में छोटे उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह एक बहुत ही उचित प्रश्न है । हमारा विशाल देश है उसके अनुसार हम केवल बड़े कारखाने ही नहीं खोलें । अतएव इस संबंध में पहिले ही अन्वेषणात्मक चर्चा चल रही है कि मझौले तथा छोटे आकार के संयंत्र भी स्थापित किये जाएं परन्तु निश्चित रूप से यह नहीं बताया जाता कि वे कितने और कहां कहां खोले जायेंगे ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या उस परियोजना में कोई विदेशी हिस्सा है और यदि है तो विदेश में भाग लेने वाले व्यक्तियों को क्या प्रतिशत मिलेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं, यह बात विचाराधीन है कि किस क्षमता का संयंत्र स्थापित किया जाएगा और किस प्रकार के उर्वरक बनाए जाएंगे। तब उसमें भाग लेने या इस प्रकार के अन्य प्रश्न आएंगे। साधारणतया बाद में चुकाये जाने वाली राशि की शर्तों पर केवल प्रविधिक सहयोग ही है।

†श्री प्र० चं० बरूआ : आसाम उर्वरक कारखाना जल्दी से जल्दी कब तक स्थापित हो जाएगा ?

†श्री मनुभाई शाह : वर्तमान हालात के अनुसार, यदि आसाम फैक्टरी का निर्णय हो गया तो उसमें तीन वर्ष से अधिक समय न लगेगा।

संयुक्त राष्ट्र का मानचित्र

+

†*२२६. { श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के मानचित्र में काश्मीर की गलत स्थिति दर्शाये जाने के बारे में हमारी जो चर्चा हुई थी उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : न्यूयार्क में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से अनेकों बार इस संबंध में चर्चा की है। सभा-पटल पर हाल के पत्र व्यवहार की प्रतियां रखी हुई हैं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २**]। संयुक्त राष्ट्र सचिव का जो सबसे नवीनतम दृष्टिकोण है वह हमें स्वीकार्य नहीं है और हम यह विचार कर रहे हैं कि आगे क्या कार्यवाही संभव है ?

†श्री ही० ना० मुकर्जी: सभा पटल पर रखे गये पत्र-व्यवहार की प्रतियां इस वर्ष के (जनवरी से अक्तूबर तक के) १० माहों से ही संबंधित है। जम्मू और काश्मीर की स्थिति से संबंधित कार्यपालक-सहायक का संयुक्त राष्ट्र सचिव को लिखे गये १० अक्टूबर, १९५८ के पत्र पर अभी तक विचार क्यों नहीं किया गया तथा उसका जवाब नहीं दिया गया और इसलिये संयुक्त राष्ट्र के नक्शे में काश्मीर की गलत स्थिति ज्यों कि त्यों रहेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगस्त, १९५८ के हमारे अंतिम पत्र के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारे और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बीच जो कुछ भी पत्र व्यवहार हुआ है वह सब सभा-पटल पर रख दिया गया है। मुझे और कुछ नहीं कहना।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : ११ अगस्त, १९५८ के पत्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने बताया है कि काश्मीर तथा अन्य मामलों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के सूचना विभाग द्वारा रखे गये साधनों के जरिये भारत की स्थिति के संबंध में अनेकों गलत प्रतिनिधित्व किये गये हैं और उन्होंने यह भी लिखा है कि वे उसका सख्ती से विरोध कर रहे हैं परन्तु यह अन्तिम पत्र है जो हमने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को लिखा है। अक्टूबर में उन्होंने

---

†मूल अंग्रेजी में

बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के नक्शे में जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति को नहीं बदलेंगे। यह गम्भीर स्थिति है। हमने क्या कार्यवाही की है और यदि हमने कोई कार्यवाही नहीं की तो हमारी यह निष्क्रियता क्यों बनी हुई है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उत्तर के बाद के भाग में मैं यह बताया था कि हमें संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के विचार स्वीकार्य नहीं हैं और हम यह विचार कर रहे हैं कि आगे क्या कार्यवाही संभव है।

†**श्री मोहम्मद इलियास :** ऐसा पता चलता है कि यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की भारत विरोधी गतिविधि है। क्या भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रतिरोध करने का विचार कर रही है कि वह उन भारत-विरोधी गतिविधियों को बदलदे जो हमारे हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** पत्र-व्यवहार में यह बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई राजनैतिक दांव पेंच नहीं है और इसलिये वह भारत विरोधी अथवा पाकिस्तान का पक्षपाती नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह आधार लिया है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** मैं माननीय उपमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में किस प्रकार का अभ्यावेदन किया गया है और क्या किन्हीं अन्य तरीकों से हमारे प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार की स्पष्टतः भारत विरोधी कार्यवाहियों को रोकने की संभावना है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में किस प्रकार का अभ्यावेदन किया गया है यह पूछने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री जोकीम आल्वा :** संयुक्त राष्ट्र ने कब से भारत के नक्शे में गड़बड़ी शुरू की थी? क्या श्री बोकारी के संयुक्त राष्ट्र में सूचना प्रभारी की हैसियत से सहायक महासचिव नियुक्त किये जाने के बाद से ही ऐसा हो रहा है? इस नियुक्ति का हमने विरोध किया था।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं उस दोषारोपण की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती परन्तु मैं यह बताना चाहती हूं कि यह नक्शा २४ अक्तूबर, १९५७ को संयुक्त राष्ट्र दिवस पर एक स्कूल पत्रिका के रूप में छापा गया था।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि ऐसा श्री बोकारी की नियुक्ति के पहिले या बाद में हुआ है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी, हाँ। वे अभी भी वहीं हैं। यह श्री बोकारी की नियुक्ति के बाद हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या ऐसा उक्त सज्जन के सहायक महासचिव नियुक्त होने के पूर्व या बाद में हुआ है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी हां, बाद में।

†**अध्यक्ष महोदय :** इससे इन्हें संतोष हो गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जोकीम आल्वा : १६ अगस्त को कार्यपालक सचिव द्वारा महा सचिव को लिखे गये पत्र में कहा गया है :

"आपने जो गलती बताई है, उसके लिये हमें खेद है। ऐसा दिखता है कि जिस कलाकार ने यह नक्शा बनाया है उसकी अपर्याप्त कुशलता और जल्दबाजी के कारण ही ऐसा हुआ है। कार्यपालक सहायक द्वारा महासचिव से यह स्वीकार कर लेने के बाद हमने आगे की कार्यवाही क्यों नहीं की, विशेषकर इस तथ्य की दृष्टि से कि वे अल्जीरिया और साइप्रस को उसी तरह से चिन्हित नहीं कर रहे जिस प्रकार वे काश्मीर को कर रहे हैं।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य केवल पत्र के वस्तु विषय का ही उल्लेख कर रहे हैं। मैं पहिले ही बता चुकी हूं कि सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि इस नक्शे को बदलने के लिये क्या कार्यवाही संभव है?

चाय पर उत्पादन और निर्यात शुल्क

†*२२७. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय पर उत्पादन और निर्यात शुल्क के बदल जाने के बाद से क्या उसकी विश्व बाजार की सामान्य प्रवृत्ति में कोई लाभप्रद प्ररिवर्तन हुआ है?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : चाय की नयी उत्पादन और आयात शुल्क २७ नवम्बर से प्रभावी होंगी और निर्यात पर इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा इसके बारे में कुछ कहना बहुत शीघ्रता होगी।

†श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह सच नहीं है कि उत्पादन शुल्क में कमी होने के बावजूद भी संयुक्त राज्य और ईरान को हमारा निर्यात कम हो रहा है?

†श्री सतीश चन्द्र : यह ठीक नहीं है। अभी केवल एक माह ही हुआ है और हमारे निर्यात का वही स्तर बना हुआ है जो गतवर्ष इन्हीं महीनों में था।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने एक्साइज और इम्पोर्ट ड्यूटी टी पर जो घटाई है उसके फलस्वरूप क्या कोई अंदाजा लगाया है कि हमारा एक्सपोर्ट इतना बढ़ा है?

श्री सतीश चन्द्र : यही मैंने अर्ज किया है कि यह ड्यूटी सितम्बर के आखिर में घटाई गई थी। इसको घटाये हुए अभी सिर्फ एक महीना ही बीच में गुजरा है। जो फिगर्स हमारे पास आई हैं उनसे पता चलता है कि एक्सपोर्ट जो घट रही थी वे घटनी बन्द हो गई हैं और जो कमी हो रही थी वह रुक गई है। अक्तूबर में तकरीबन उतनी ही एक्सपोर्ट हुई है जितनी की पहले अक्तूबर महीनों में हुआ करती थी।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यू० के० और ईरान में जो हमारी टी की एक्सपोर्ट होती है, क्या उसमें कोई खास कमी हुई है या नहीं हुई है? मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सतीश चन्द्र : मैं यही अर्ज कर रहा था कि ज्यादा कमी नहीं हुई है। अक्तूबर की अभी पूरी फिगर्स नहीं आई हैं। अक्तूबर के आधे महीने की फिगर्स आई हैं। जो फिगर्स हमारे पास हैं उनसे यही अंदाजा लगता है कि उसमें ज्यादा कमी नहीं हुई है।

†श्री अ० चं० गुह : यदि निर्यात की मात्रा कम नहीं भी हुई तो क्या ब्रिटिश आयात की भारतीय मात्रा में कमी नहीं हुई है?

†श्री सतीश चन्द्र : ऐसा कहना ठीक न होगा क्योंकि मेरे पास अगस्त तक के आंकड़े हैं जिनमें संयुक्त राज्य के लंका से आयात कम हो गया है। लंका ब्रिटिश बाजार में मुख्य प्रतिस्पर्धी है। अगस्त १९५८ में लंका से ब्रिटेन को २६३० लाख पौंड चाय निर्यात की गई थी जबकि अगस्त १९५७ में निर्यात २५३० लाख पौंड था। अतएव यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आजकल भारत की चाय की प्रतिशत ब्रिटेन के बाजारों में कम हो रही है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : कुछ ही दिन पहिले चाय (समुद्र सीमा और उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक की चर्चा के दौरान में राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री ने बताया था कि चाय का निर्यात बढ़ रहा है। क्या माननीय मंत्री के पास उस कथन को पुष्ट करने के लिये आंकड़े हैं।

†श्री सतीश चन्द्र: जी हां, इस वर्ष चाय का कुल निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छा रुख बता रहा है।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : निर्यात शुल्क और उत्पादन-शुल्क में कमी हो जाने के बाद से क्या स्थिति है?

†श्री सतीश चन्द्र : इसके बारे में, मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसके बारे में कुछ कहना बहुत जल्दी होगी। मेरे पास अभी भी पूरे आंकड़े नहीं हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार को यह मालूम है कि चाय के निर्यात और उत्पादन शुल्क में परिवर्तन से चाय-बागानों की हालत में कोई अंतर नहीं होगा वरन् चाय बागानों में नई मशीनों और विकास की अत्यंत आवश्यकता है? चाय सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा की आमदनी की वस्तु है इस दृष्टि से क्या सरकार इन बागानों में सुधार करने के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के समान ही कोई वित्त निगम खोलने का विचार कर रही है?

†अध्यक्ष महोदय : इसका एक अंश प्रश्न है और एक सुझाव।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार कोई वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या शुल्क घटाने पर भी चाय बागान में पुरानी और खराब मशीनें होने के कारण चाय का निर्यात नहीं बढ़ा है।

†श्री सतीश चन्द्र : इसका चाय के निर्यात से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह चाहते हैं कि चाय बागान में खराब मशीनों को बदलने के लिये कोई आर्थिक व्यवस्था की जाये। वह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि पहले आठ मास में केवल ब्रिटेन को किये गये चाय के निर्यात से हमें २२ करोड़ रुपये कम की आय हुई है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस वर्ष ब्रिटेन की चाय का निर्यात लगभग उतना ही हुआ है जितना गत वर्ष हुआ था।

†श्री प्र० चं० बरूआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गत आठ मास में आय में २२ करोड़ रुपये की कमी हुई है।

†श्री सतीश चन्द्र : और मूल्य जो प्रारम्भ में गत वर्ष से कम थे बढ़ना शुरू हो गये हैं और पिछले कुछ महीनों के मूल्य पहले के महीनों से बेहतर.थे ?। इसलिये जब तक पूरे प्राक्कलन नहीं मिलते तब तक यह सब बताना कठिन है।

†श्री प्र० चं० बरूआ : मेरा प्रश्न यह था कि क्या गत आठ महीनों में आय में २२ करोड़ रुपये की कमी हुई है।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यदि आप की अनुमति हो तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि जब राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री ने यह कहा कि निर्यात पुन: बढ़ रहा है तब उन्होंने यह नहीं बताया कि उत्पादन शुल्क कब कम किया गया था; वास्तव में उन्होंने यह कहा था कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनवरी से अक्तूबर की अवधि में निर्यात अधिक हुआ है। १९५७ में कुल ३,५३,८५७ पौंड निर्यात हुआ था जबकि इस वर्ष तत्स्थानी अवधि मे ३,७७,१६१ पौंड, हुआ है। वास्तव में इस अवधि में उत्पादन बढ़ा है। शुल्क में कमी अथवा दी गई सहायता के प्रभाव का थोड़ी देर में पता चलेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

+

†*२२९. श्री पाणिग्रही :
श्री दामानी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री राम कृष्ण :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५८ में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय किये गये; और

(ख) क्या इसने उस ज्ञापन पर सहमति दी जो योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पुर्नमूल्यांकन के बारे में प्रस्तुत किया था ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र): (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पाणिग्रही :** हाल ही में योजना का जो मूल्यांकन किया गया है उसके अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र में १९८ करोड़ रुपये की और राज्य क्षेत्र में ८० करोड़ रुपये की कमी है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का निश्चय किया है अथवा करने का विचार है जिससे कि ४,५०० करोड़ रुपये के मूल्य लक्ष्य की पूर्ति हो जाये?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** गत सप्ताह मैंने यह वचन दिया था कि इस सत्र में योजना आयोग की ओर से एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें योजना में संसाधनों तथा पूंजी की लागत के बारे में पूरे तथ्य दिये जायेंगे। इसलिये माननीय सदस्य उस विवरण की प्रतीक्षा करें।

†**श्री पाणिग्रही :** जब यह निश्चय हो चुका है कि योजना पर पूंजी की लागत ४,५०० करोड़ रुपये से कम नहीं की जायेगी तो क्या योजना आयोग ने अभी यह निर्णय नहीं किया कि इस कमी को किन संसाधनों से पूरा किया जायेगा?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह निश्चय व्यक्त किया जा चुका है कि योजना की पूंजी लागत ४,५०० करोड़ रुपये रहेगी और हम अब भी इससे इनकार नहीं करते।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** विवरण के पेरा २ में विशेष रूप से यह बताया गया है कि अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जायेगी परन्तु मैंने देखा है कि निर्माण की लागत को कम करने और अनिवार्य बचत के कुछ अस्पष्ट से सुझावों में अतिरिक्त, जिन पर अभी राष्ट्रीय विकास परिषद ने विचार नहीं किया है, किसी विशेष निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने का क्या अभिप्राय है? कौन से विशेष निर्णय किये गये हैं?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के लिये फिर से कोई निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मई में हुई राष्ट्रीय विस्तार परिषद् की बैठक में वे मदें स्वीकार कर ली गई थीं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण के दूसरे सैक्शन से पता चलता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया है कि खाद्य का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ले। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इसके लिये क्या सुझाव दिये हैं कि प्रत्येक राज्य के थोक व्यापारी, जिन्हें लाइसेंस दिया जायेगा, चोर बाजारी न करें?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** अभी तो केवल मूल सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है योजना का ब्यौरा अभी समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** विवरण से पता चलता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निश्चय किया है कि यदि राज्य २५ से ३० करोड़ रुपये के संसाधनों की व्यवस्था कर लें तो योजना की कुल पूंजी की लागत बढ़ाई जा सकती है। प्रत्येक राज्य को २५ से ३० करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किस प्रकार किया गया है और वे किस प्रकार इसकी व्यवस्था करेंगे। क्या वे अतिरिक्त कर लगायेंगे या ऋण प्राप्त करेंगे?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मूल विवरण के अनुसार राज्यों को २२० से २२५ करोड़ रुपये के लगभग संसाधनों की व्यवस्था करनी थी। वास्तव में जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कराधान द्वारा १२ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करने का भी वायदा किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री विमल घोष : क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सभी सम्भव संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया था कि योजना की पूंजी की लागत ४,२२० करोड़ रुपये रहे और उसके पश्चात राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया कि वह ४५०० करोड़ ही रहनी चाहिये ? क्या इसका यह अर्थ है कि योजना आयोग अब महसूस करता है कि अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करके योजना की पूंजी की लागत ४,५०० करोड़ रुपये रखी जा सकती है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र): योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को कभी यह सुझाव नहीं दिया कि अधिक संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। वास्तव में पूंजी की लागत का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् को ही करना होता है। संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में योजना आयोग को कोई निराशा नहीं है।

†श्री ब्रज राज सिंह : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अनाज का थोक व्यापार सरकार द्वारा हाथ में लेने का जो निर्णय किया है उस के बारे में अनाज के थोक व्यापारियों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हम थोक व्यापारियों की प्रतिक्रिया क्या है परन्तु यह निर्णय बड़ा आशाजनक और उत्साहपूर्ण है।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि राज्यों से कहा गया था कि वे वित्तीय संसाधनों की पूरी कोशिश करें परन्तु उन्होंने यह उत्तर दिया है कि कराधान चरम सीमा तक पहुंच चुका है।

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस मामले पर सविस्तार चर्चा हुई थी। राज्यों के प्रतिनिधियों अर्थात् मुख्य मंत्रियों ने अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त किया कि वे इस महान कार्यक्रम में अपना अंशदान अवश्य देंगे और वे इस वर्ष २५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने योजना के लिये अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करने के हेतु नये कर लगाने में असमर्थता प्रकट की थी ?

†श्री ल० ना० मिश्र : यह ठीक नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लकड़ी का गूदा और कागज बनाने की मशीनों का निर्माण

†*२२१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीडन की एक कम्पनी ने भारत सरकार को लकड़ी का गूदा और कागज बनाने की मशीनें तैयार करने की जो योजना भेजी थी क्या उस पर विचार करके उसका अनुमोदन कर दिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस परियोजना में भारतीय और विदेशी अंश कितने-कितने होंगे; और

(घ) इस परियोजना की पूंजी और क्षमता क्या है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). स्वीडन की एक कम्पनी ने एक भारतीय कम्पनी के सहयोग से लकड़ी का गूदा और कागज बनाने की मशीनें बनाने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। भारतीय कम्पनी ने यह सूचना भेजी है कि वह उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र देते समय योजना का ब्यौरा बतायेंगे जिस पर सरकार विचार कर सके।

फर्नीचर की आवश्यकतायें

†*२२३. **श्री वें० प० नायर**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार की फर्नीचर की कुल आवश्यकता निर्धारित की गई है;

(ख) इस में से कितना स्वयं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग बनवा रहा है; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई इमारतों में रखे गये फर्नीचर के लिये भारत सरकार ने १९५६-५७ में कितना बिल चुकाया?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल क० चन्दा)**: (क) और (ख). भारत सरकार की फर्नीचर की कुल आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि प्रायः सभी कार्यालय अपनी-अपनी आवश्यकतायें निर्धारित करके फर्नीचर स्वयं लेते हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केवल अपने कार्यालयों और संसद् सदस्यों के निवासस्थान और उन बंगलों के लिये, जहां बिना किराये का फर्नीचर दिया जाता है, फर्नीचर की आवश्यकता निर्धारित करता है और उसका संभरण करता है। यदि अन्य कार्यालय विशेष रूप से कहें तब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उनके लिये भी फर्नीचर की व्यवस्था कर देता है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों और उनसे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से, जो देश भर में फैले हुए हैं, यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी?

बहादुरगढ़ में औद्योगिक बस्ती

†*२२४. **श्री राम कृष्ण**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहादुरगढ़ में औद्योगिक बस्ती बसाने के संबंध में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने बहादुरगढ़ में औद्योगिक बस्ती बसाने की प्रास्थापना को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

खेल के सामान का निर्यात

†*२२५. श्री कोडियान : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के सामान के निर्यात में इस वर्ष कमी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]

होजरी के सामान का निर्यात

†*२२८. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक होजरी के सामान के निर्यात में कमी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, जहां तक होजरी के सूती सामान का संबंध है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

होजरी के सूती सामान के निर्यात में कमी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) सामान के गुण व प्रकार के प्रमाणीकरण का अभाव।

(२) जिस मूल्य पर होजरी के सामान विदेशी बाजारों में दिये जाते हैं, उनका प्रतिस्पर्द्धाहीन होना ।

(३) अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा मुख्य रूप से जापान और हांगकांग से।

---

†मूल अंग्रेजी में

आधारभूत औषधियों का विकास

†*२३०. श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० च० मांझी :
श्री हेम राज :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आधारभूत औषधियों के विकास के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये हाल ही में आठ रूसी विशेषज्ञों का जो दल भारत आया था उसने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). विशेषज्ञों ने यह सिफारिश की है कि आधारभूत औषधियों के उत्पादन के लिये कुछ एक उत्पादन केन्द्र स्थापित किये जायें। प्रतिवेदन पर अभी विचार किया जा रहा है।

हीराकुड में अल्युमिनियम की फैक्टरी

†*२३१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुड में एक गैर-सरकारी सार्थ की ओर से एक अल्युमिनियम की फैक्टरी की स्थापना के लिये मंजूरी दे दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन अल्युमिनियम कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता ने एक अल्युमिनियम स्मेलटर स्थापित किया है जिसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता १०,००० टन अल्युमिनियम पिंड प्रति वर्ष है। आशा है कि उत्पादन फरवरी, १९५९ में प्रारम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल सरकार का पुनर्वास विभाग

†*२३२. **श्री विमल घोष :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों की संख्या के बारे में पुनर्विचार करने के लिये कोई विशेष-कार्य अधिका ी नियुक्त किया है ;

(ख) क्या उस विशेष कार्य अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य **उपपत्तियां** तथा सिफारिशें क्या क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (घ). पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी क्षेत्र के अन्य राज्यों के पुनर्वास विभागों के कर्मचारियों की स्थिति पर विचार करने के लिये हाल ही में एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके प्रतिवेदन के आने में कुछ एक मासों का समय अभी लगेगा।

सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योगों का आधुनिकीकरण

†*२३३. **श्री मुरारका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) इस राशि में से कितना भाग सरकार द्वारा दिया गया था ; और

(ग) योजना के आगामी दो वर्षों में कितनी राशि खर्च की जाने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). इन उद्योगों के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम द्वारा अभी तक २·२६ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। पटसन और वस्त्र उद्योग आधुनिकीकरण के लिये अपनी ओर से भी धन लगा रहे हैं। उन राशियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि इस सम्बन्ध में आगामी दो वर्षों में कितनी प्रस्थापनायें प्राप्त होंगी।

मोटर गाड़ियों का उत्पादन

†*२३४. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'फीएट' तथा 'डॉज' गाड़ियों का दैनिक उत्पादन कितना है ;

(ख) सरकार द्वारा उनके लिये कितना-कितना विक्रय मूल्य निश्चित किया गया है ; और

(ग) १६५७ में और १६५८ में अभी तक उनका कितना उत्पादन हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]

कोरलिया आदि मौजों में विस्थापित व्यक्ति

†*२३५. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यूबैरकपुर, २४ परगना के, कोरलिया आगापुर और मासेस्दां मौजों में भूमि के स्वामियों से फैसला करने और वहां पर ठहरे हुए ४०० परिवारों को नियमित रूप से वहीं पर बसाने का विचार रखती है ;

(ख) ये परिवार वहां पर कितने समय से अकर्म वेतनों[1] पर निर्वाह कर रहे हैं ;

(ग) इस अवधि में उन्हें अकर्म वेतनों के रूप में कुल कितनी राशि अदा की जा चुकी है ; और

(घ) इस क्षेत्र में भूमि का उचित दाम क्या है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) सरकार इस समय उक्त मौजों में ठहरे हुए ४२४ परिवारों को उस भूमि पर बसाने का विचार रखती है जिसके अधिग्रहण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

(ख) ७ नवम्बर, १९५१ से ।

(ग) नगद तथा सामान के रूप में १७,०१,११४ रुपये ३५ नये पैसे।

(घ) १९४६ की दर के अनुसार ४९५ रुपये ५९ नये पैसे प्रति एकड़ ।

कपास के भाव

†*२३६. डा० राम सुभग सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपास के इस वर्ष के भाव गत वर्ष के भावों की तुलना में कैसे हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : सितम्बर, १९५८ से प्रारम्भ होने वाले कपास के चालू मौसम में भारतीय कपास की कुछ एक किस्मों के भाव गत मौसम की उसी अवधि के भावों की तुलना में कुछ कम हैं।

भारतीय चाय का ब्रिटेन तथा ईरान को निर्यात

†*२३७. श्री हेम राज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन तथा ईरान को भेजी जाने वाली चाय का निर्यात अब प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Doles.

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). इस वर्ष के प्रथम ८ मासों में इंगलैंड को भेजी गयी चाय की मात्रा गत वर्ष के प्रारम्भिक ८ मासों की मात्रा के लगभग बराबर ही है। उसके बाद चाय प्रायः वर्ष के अन्तिम महीनों में भेजी जाती है, इसलिये उस सम्बन्ध में इसी समय कुछ भी नहीं बताया जा सकता। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि जनवरी, १९५५ से अगस्त, १९५८ तक इंगलड और ईरान को कितनी भारतीय चाय भेजी गयी थी।

विवरण

वर्ष	ब्रिटेन (हजार पौंडों में आंकड़े)	ईरान
१९५५ . . .	२५१,०२९	१०,७०९
१९५६ . . .	३६५,३९५	८,३०६
१९५७ . . .	३०१,७१७	६,६४४
१९५८ (अगस्त तक) . .	१७२,०९२	५,२२१
१९५७ (अगस्त तक) . .	१७३,६००	५,३९४

भारत-पाक सीमा घटनायें

†२३८. { श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजस्थान की भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तान राइफल्ज के सैनिकों ने छापे मारे थे, जिनमें वे आठ भारतीय ग्रामीणों का अपहरण कर ले गये थे और सैकड़ों ढ़ोर हांक कर ले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). माननीय सदस्यों का ध्यान २० नवम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर आकृष्ट किया जाता है।

रेडियो सक्रियता

†*२३९. श्री पांगरकर : क्या प्रधान मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो सक्रियता के स्तर में कोई परिवर्तन दिखाई दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में रेडियो सक्रियता का वर्तमान स्तर क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख). देश की रेडियो सक्रियता के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अक्टूबर, १९५८ के मास में औसत लगभग २.५ माइक्रोमाइक्रो-क्यूरीस प्रति घन मीटर वायु है, जो कि अधिकतम स्वीकृत सीमा से बहुत कम है।

नेपाल के लिये विमान

†*२४०. श्री वि० च० शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने अपनी विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिये भारत सरकार से कुछ एक विमान मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में नैपाल सरकार को किस प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख). जी, हां। इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने रायल नेपाल लाइन्स कार्पोरेशन को एक डकोटा जहाज बेच दिया है। उस विमान से १-७-१९५८ से नैपाल के अन्दर आन्तरिक विमान सेवा आरम्भ कर दी है।

चाय उद्योग

†*२४१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के चाय उद्योग में कितना विदेशी धन लगा हुआ है ;

(ख) इस समय इस उद्योग में भारतीय धन विनियोग कितना है; और

(ग) इस उद्योग में भारतीय धन विनियोग को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री श्री सतीश चन्द्र) : (क) अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार १९५६ के अन्त में भारतीय चाय उद्योग में कुल ८७·६ करोड़ रुपयों का विदेशी धन लगा हुआ था।

(ख) ३० जून, १९५४ को भारतीय चाय उद्योग में लगभग ४०·५१ करोड़ रुपयों का भारतीय धन लगा हुआ था।

(ग) आशा है कि भारत में विदेशी स्वामित्व की परिसम्पत्तियों को भारतीय लोगों को बेच देने की सामन्य प्रक्रिया के अधीन चाय उद्योग में भारतीय धन विनियोग क्रमशः बढ़ता जायेगा। फिलहाल और कोई विशेष कार्यवाही करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केरल की विकासता का खतरा

†*२४२. { श्री संगण्णा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोडियान :

क्या प्रधान मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका व्योरेवार अध्ययन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, नहीं। अभी तक अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। अध्ययन के अन्तर्गत जटिल वैज्ञानिक जांच करनी पड़ेगी और उसके लिये नियमित तथा व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

छावनी बोर्ड के कर्मचारी

†*२४३. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री बहादुर सिंह :
श्री त० ब० बिट्ठल राव :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हना :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड के कर्मचारियों की शेष सभी मांगों पर विचार करने के लिये एक राष्ट्रभूमि न्यायाधिकरण स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण को कौन कौन सी विशेष मांग सौंपी गयी है ; और

(ग) यदि राष्ट्रीय न्यायधिकरण स्थापित करने के बारे में निर्णय नहीं किया गया है, तो इसके विलम्ब का क्या कारण है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उस विवाद को एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरन को सौंप देने के आदेश की एक प्रति निहित है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

चाय बागान के मजदूरों की मजूरी

†*२४४. { श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय बागान के सभी मज़दूरों को एक जैसी मजूरी देने के नियम को लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) एक यह सुझाव दिया गया है कि एक अखिल भारतीय आधार पर एक मजूरी बोर्ड स्थापित किया जाये ताकि चाय बागान उद्योग में काम करने वाले सभी मजदूरों को एक समान मजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जाये। इस सुझाव के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार मांगे गये हैं।

(ख) राज्य सरकारों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अणु शक्ति के सम्बन्ध में प्रशिक्षण

†*२४५. श्री श्रीनारायण दास : क्या प्रधान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अणु अभिकरण से इस बात का प्रस्ताव किया है कि यदि वह ट्राम्बे के अणु शक्ति प्रतिष्ठान में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना चाहें, तो दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशिया के देशों के व्यक्तियों को अणुशक्ति कार्य में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण के प्रतिष्ठान का क्षेत्र तथा क्षमता कितनी होगी ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई संकेत दिया है कि वह कितनी सीमा तक इस प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं ;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अणु अभिकरण ने इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये किसी देश को कोई छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया गया है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी, हां। इस क्षेत्र के वज्ञानिकों को ट्राम्बे प्रतिष्ठापन में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं और सभी मित्र देशों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को गवेषणा कार्य सम्बन्धी सुविधाओं के सामान्य प्रस्ताव के अतिरिक्त सरकार ने अणु अभिकरण को विशेष रूप से पांच छात्रवृत्तियां का प्रस्ताव किया है। ये छात्रवृत्तियां अर्थ विकसित देशों के अभ्यार्थियों को एलेक्ट्रानिक्स फिजिक्स, कास्मिक रेज़, सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान, रेडियो-रसायन शास्त्र तथा विश्लेषण रसायन शास्त्र के अध्ययन तथा प्रशिक्षण के लिये दिये जायेंगे।

(ग) जी हां। अभिकरण ने प्रस्तावित छात्रवृत्तियों में से दो का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) और (ङ). अभिकरण ने अपने सभी सदस्य देशों को छात्रवृत्तियां प्रस्तावित की हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न देशों के विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्थाओं, विशेष प्रयोगशालाओं तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सामान्य प्रविधियों और विशेषज्ञ प्रशिक्षण के अतिरिक्त गवेषणा कार्य भी किया जा सकेगा।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के कैम्प

†*२४६. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री पाणिग्रही :

क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यककार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के कैम्पों को समाप्त करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें आवश्यक जानकारी निहित है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]

विस्थापित व्यक्तियों के लिये चारबतिया कैम्प

†*२४७. श्री पाणिग्रही : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चारबतिया कैम्प के निकट विस्थापित व्यक्तियों को प्रविधिक प्रशिक्षण देने के एक योजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रशिक्षण योजना का व्योरा क्या है?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए २०० विस्थापित व्यक्तियों को मोटर/ट्रक ड्राइवर और मैकैनिको के कार्य का प्रशिक्षण देने के लिये एक योजना मंजूर की गयी है। उस पर ५,२१,००० रुपये के व्यय का अनुमान है।

कोयला खान लाभांश योजना

†*२४८. श्री राम कृष्ण : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयला खान लाभांश योजना के अधीन साप्ताहिक अथवा मासिक आधार पर लाभांश अदा करने की योजना की इस समय क्या स्थिति है?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मामला अभी विचाराधीन है।

परियोजना समन्वय समिति

†*२४९. श्री विमल घोष : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्थापित परियोजना समन्वय समिति की कितनी बैठकें हो चुकी हैं ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उन बैठकों में किन किन विषयों पर विचार किया गया था ;

(ग) क्या समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें मुख्य रूप से क्या क्या सिफारिशें की गयी हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]

ट्रैक्टर

†*२५०. श्री पंगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों के पुर्जों के भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भाव कम करने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं। सरकार को ट्रैक्टरों के पुर्जों के भावों में कोई विशेष वृद्धि की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

झींगा (प्रौन), लाबस्टर व मेंढक का मांस

†*२५१. श्री वें० पे० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झींगा (प्रौन) लावस्टर व मेंढक के मांस के निर्यात को बढ़ाने के लिये किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]

पशुओं की खालों का निर्यात

†*२५२. श्री वि० च० शुक्ल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २२ अगस्त १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य पशु बोर्ड ने किस कारण से मगरों तथा वेरानस साल्वेटर[1] किस्म की छिपकलियों की खालों तथा अन्य उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने की सिफारिश की थी ;

(ख) प्रतिबन्ध लगने से पहले पिछले दो वर्षों में उक्त वस्तुओं के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में नीति का अन्तिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है; ौर

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) इस का कारण यह था कि उन जानवरों का भंयकर रूप से शोषण किया जा रहा था और इस बात का खतरा था कि कहीं जानवरों की यह किस्में पूर्णरूपेण समाप्त न हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Varanes Salvator Species.

(ख) १९५६ में प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५७ के अनुमानतः आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

मगर की खाल	७ लाख रुपये
वेरानस साल्वेटर .	शून्य

(ग) जी हां।

(घ) यह निर्णय किया गया है कि फिलहाल उनके निर्यात पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्ध को न हटाया जाय क्योंकि यह किस्में देश में बहुत कम पाई जाती हैं। परन्तु इस दृष्टि से कि कहीं विदेशों में इस संबंध में हमारी मार्किट समाप्त ही न हो जायें, हमने पाकिस्तान से छिपकलियों तथा सरीस्टयों की कच्ची खालों का आयात करने और उन्हे सामान्य खुली अनुज्ञप्ति (ओ० जी० एल०) के अधीन विदेशों में भेजने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

पाकिस्तान को भारतीय यात्री

†*२५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ११ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के संबंध में यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जून १९५८ से पाकिस्तान में लागू की गई निवास परमिट पद्धति को सख्ती से लागू किये जाने के कारण भारतीय यात्रियों को जिन कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है उनके सम्बन्ध में भारतीय सरकार और पाकिस्तान सरकार में कोई पत्र व्यवहार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** :(क) जी हां।

(ख) पहले तो पाकिस्तान प्राधिकारियों ने पाकिस्तान जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिये यह आवश्यक कानून बना दिया था कि वे पाकिस्तान में प्रवेश करते ही २४ घंटों के अन्दर अन्दर जिला पंजीयन प्राधिकारी को रिपोर्ट करें, परन्तु भारत में आने वाले पाकिस्तानी यात्री १४ दिनों के अन्दर किसी समय भी रिपोर्ट कर सकते थे। अतः इस सम्बन्ध में जो हमने अभ्यावेदन किया तो पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने २४ घंटों की अवधि बढ़ा कर ७२ घंटे कर दिया। हम समझते हैं कि यह अवधि भी पर्याप्त नहीं है, इसलिये हम इस सम्बन्ध में और आगे बातचीत कर रहे हैं।

उड़ीसा में सीमेंट फैक्टरी

†*२५४. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ अगस्त, १९५८ के उड़ीसा में सीमेंट फैक्टरी सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन में भारतीय

†*२५५. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री अ० क० गोपालन :

(क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्र जनों विशेषकर विद्यार्थियों को लम्बे अरसे से गुण्डागर्दी का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) क्या इस प्रकार की कोई घटना भारत सरकार के ध्यान में आई है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां के भारतीय राष्ट्र जनों के हितों की रक्षा के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) और (ख). ब्रिटेन के कुछ एक भागों में जो जातिगत झगड़े हुये थे, और जो कि मुख्य रूप से पश्चिमी द्वीप समूह के व्यक्तियों के विरुद्ध थे, उनके दौरान में चार भारतीय विद्यार्थियों को भी एक आक्रमण का भी सामना करना पड़ा जिन में उन्हें गहरी चोटें आईं थीं ।

(ग) ब्रिटेन के लोक मत ने इन जातिगत झगड़ों का बड़ा भारी विरोध किया है, और ब्रिटेन सरकार ने भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये विशेष कार्यवाही की है, इन उपद्रवों के जिम्मेवार कुछ एक नवयुवकों को बड़ा कठोर कारावास दिया गया है । वहां से यह समाचार मिला है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप अब वहां की स्थिति में सामान्य सुधार हो गया है ।

बादली के निकट ग्राम्य औद्योगिक बस्ती

†*२५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बादली के निकट एक ग्राम्य औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना इस समय किस स्थिति में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : बादली के निकट एक ग्राम्य औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना तैयार हो चुकी है और उसे सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है ।

भूमि के अभिग्रहण के लिये प्रारम्भिक कार्यवाईयां भी की जा चुकी हैं, अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कारखाने की इमारत का विस्तृत नक्शा और बस्ती के निर्माण के ब्यौरे आदि तैयार किये जा रहे हैं ।

विकास ऋण निधि के अधीन अमरीकी सहायता

†*२५७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन और सीमेंट तथा पटसन उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में विशेष परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन विशेष परियोजनाओं में अमरीका की विकास ऋण निधि से धन लगाया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]**

एक्स–रे उपकरण कारखाना

†*२५८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में एक्स-रे उपकरण बनाने के लिये कारखाने स्थापित करने की एक योजना भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किया जाने वाला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ग). विदेशी सहयोग की शर्तें स्वीकार हो जाने पर जिनकी जांच की जा रही है, सरकार ने बड़े पैमाने के क्षेत्र में तीन और छोटे पैमाने के क्षेत्र में एक योजना के लिये सहमति दे दी है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

वस्त्र आयुक्त

†*२५९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े की मिलों को कुशलतापूर्वक चलाने के बारे में वस्त्र आयुक्त को परामर्श देने के लिये एक समिति बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†***वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख). वस्त्र जांच समिति की सिफारिश के अनुसार, जो सरकार ने स्वीकार कर ली है, उद्योग के एककों को चलाने के बारे में वस्त्र आयुक्त को परामर्श देने के लिये एक समिति नियुक्त की जा रही है । सदस्यों के बारे में घोषणा शीघ्र ही कर दी जायेगी ।

कनाडा के साथ व्यापार

†*२६०. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा के साथ १९५७–५८ में भारत के व्यापार सन्तुलन को अधिक उपयुक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) कनाडा से हमारे निर्यात और आयात संबंधी वर्तमान स्थिति कैसी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). १९५७ और १९५८ के प्रथम आठ महीनों में कनाडा से भारत के आयात और उसके निर्यात के आंकड़े बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]

सामान्य निर्यात सवर्द्धन संबधी उपायों के अलावा निर्यात बढ़ाने विशेषकर कनाडा को निर्यात बढ़ाने के उपाय किये गये हैं, ये विवरण में दिखाये गये हैं जो सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]

भारत का निर्यात व्यापार

†*३७८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्यात व्यापार में जापान उसका प्रतिद्वंदी है ;

(ख) यदि हां तो वे वस्तुएं कौन सी हैं जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कौन-कौन से विदेशी बजारों में यह प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) इससे हमारे निर्यात व्यापार पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) जापान की प्रतिद्वंदिता लगभग सभी निर्मित वस्तुओं और कपड़ों में चल रही है तथा उसका प्रभाव उत्तर पूर्व और पश्चिम एशिया के हमारे अधिकांश निर्यात पर पड़ता महसूस होता है।

(ग) हमारे निर्यात व्यापार में न केवल जापान ही अपितु और भी कुछ देश प्रतिद्वंदी हैं इस कारण जापान की प्रतिद्वंदिता के परिणामस्वरूप ही हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा इसका पता लगा सकना सम्भव नहीं है।

किंग्जवे कैम्प, दिल्ली

†३७९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुनर्वास मंत्री २२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में किंग्सवे कैम्प के निवासियों की मांगे पूरी करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : शौचालयों में कुछ अतिरिक्त नल पहले ही लगवाये जा चुके हैं तथा कुछ और लग रहे हैं। कुछ और शौचालय शीघ्र ही बनवाये जायेंगे। किराये के प्रश्न पर भी शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

कपड़े का उत्पादन

†३८०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े के कुल उत्पादन में वृद्धि के लिये प्रथम अथवा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†वणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). जी हां। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सभी क्षेत्रों में कपड़े के कुल उत्पादन के लिये निर्धारित लक्ष्य क्रमश: ६४,००० लाख, और ८४,००० लाख गज था। जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् १९५५–५६ में कपड़े का उत्पादन सभी क्षेत्रों में ६८,५१० लाख गज तथा द्वितीय योजना के द्वितीय वर्ष अर्थात् १९५७–५८ में सभी क्षेत्रों में ७२,०२० लाख गज कपड़ा तैयार किया गया था। चालू वर्ष (अप्रैल-अगस्त) में कपड़े का उत्पादन २९,१८० लाख गज है।

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार सन्तुलन

†३८१. **श्री राम कृष्ण** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजारों में पश्चिमी जर्मनी के सामान की अच्छी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७–५८ में कितने सामान का आयात और निर्यात हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) पश्चिमी जर्मनी से आयात किये गये सामान के बारे में किसी खास शिकायत का पता सरकार को नहीं है।

(ख) भारत और पश्चिमी जर्मनी के साथ १९५७–५८ की व्यापार स्थिति निम्न प्रकार थी :—

	(लाख रुपये)
पश्चिमी जर्मनी से भारत में आयात . . .	१२४,०७
निर्यात जिसमें भारत से पश्चिमी जर्मनी को पुनर्निर्यात भी शामिल है	१५,५२
भारत से जाने वाले माल में अपेक्षाकृत कमी . .	१०८,५५

टिप्पणी :—आंकड़े अस्थायी हैं जिनका पुनरीक्षण होना है।

विदेशी दूतावासों में भारतीय कर्मचारी

†३८२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत स्थित विदेशी दूतावासों में से प्रत्येक दूतावास में कितने भारतीय काम कर रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत में नई दिल्ली स्थित विदेशी तथा राष्ट्रसंघ कूटनीतिक मिशनों में (मिशनवार) सेवा नियोजित भारतीय कर्मचारियों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट का कोटा

†३८३. { श्री राम कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को १९५८–५९ के लिये अब तक कितनी सीमेंट का कोटा नियत किया गया है ; और

(ख) पंजाब द्वारा अब तक उसकी कितनी मात्रा उठाई गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १ अप्रैल, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ के बीच राज्य के कोटे में से पंजाब के लिये ३४०,२६९ टन सीमेंट आवंटित किया गया है ।

(ख) १७७,३०३ टन ।

कपड़ा

†३८४. श्री राम कृष्ण : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जापान में कपड़े की उत्पादन लागत की तुलना में भारत में कपड़े की औसत उत्पादन लागत क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सूती कपड़े की उत्पादन लागत प्रत्येक मिल तथा कपड़े की किस्म के अनुसार अलग-अलग होती है । मोटे तौर से भूरे किस्म के दरमियाने कपड़े की उत्पादन लागत जो २० × २०,५२ तानांक और ५२ बानांक तथा ३० × ३०,५६ तानांक और ५६ बानांक होता है जो जापान भी बनाता है, उसकी कीमत क्रमश: ०–९–० तथा ०–११–६ प्रतिगज होती है । ऐसे सूती वस्त्र के कपड़ों की उत्पादन लागत जापान में कितनी है इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात

†३८५. श्री राम कृष्ण : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छे किस्म के सिले सिलाये कपड़े निर्यात करने की काफी सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं जहां इसकी काफी संभावना पाई जाती है ; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक कितनी मात्रा में सिले-सिलाये कपड़े निर्यात किये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां ।

(ख) सिले सिलाये सूती कपड़ों के निर्यात की ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका रोडेशिया और न्यासलैंड, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, ब्रिटेन, अमरीका तथा मलाया में एवं नकली रेशम के बने कपड़ों की अदन, बेहरीन, कुवात, सऊदी अरब, सूडान और तंगानीका में अच्छी मांग है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ३० लाख रुपये के मूल्य के सूती और २·४ लाख रुपये के मूल्य के नकली रेशम के मिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात चालू वर्ष में किया गया है ।

उड़ीसा में कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत

†३८६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की वे कम्पनियां कौन-कौन सी हैं जिनके विरुद्ध १९५७–५८ में समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन करने के बारे में शिकायत की गई थी ; और

(ख) प्रत्येक मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) : मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**

अलौह धातुएं

†३८७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में बेलन मिलों द्वारा अलौह धातुओं की कुल वार्षिक निकासी क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उड़ीसा की किसी भी बेलन मिल में अलौह धातु का कुछ भी उपयोग नहीं बन पड़ता है । पहले कितना उपभोग किया गया, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश में कम्पनियां

३८८. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी कम्पनियां पंजीबद्ध की गई ;

(ख) इन कम्पनियों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) उपरोक्त कालावधि में उत्तर प्रदेश में कितनी कम्पनियां बन्द हो गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ३६ कम्पनियां ।

(ख) २.११ लाख रु० (प्राप्त पूंजी) ।

(ग) ११ कम्पनियां ।

नोट:—उत्तर के भाग (ख) और (ग) में दिये गये आंकड़े अस्थाई हैं और ३१ मार्च, १९५८ तक प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं । भाग (ग) उन कम्पनियों की संख्या जो अन्तिम रूप से बन्द की गयीं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

स्रोत :—मंथली ब्लू बुक आन ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज़, मार्च १९५८ जिसकी प्रतियां लोक-सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई

३८९. **श्री सरजू पांडे** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी-धन राशि नियत की गयी है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये नियत की गयी धन-राशि में से राज्य सरकार ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) १.९६ करोड़ रुपये।

(ख) ३१ मार्च, १९५८ तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १५.५० लाख रुपये दिये गये थे। दिसम्बर, १९५७ में उत्तर प्रदेश की गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये १.९६ करोड़ रुपये लागत की प्रयोजनाएं स्वीकृत की गईं ।

हथकरघा उद्योग के प्रशिक्षण केन्द्र

३९०. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा उद्योग के कितने प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये हैं ; और

(ग) इन केन्द्रों पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) वाराणसी का सेंट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट ही वह एक मात्र शाला है, जिसे केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश में चला रही है। केन्द्रीय सरकार ने इस शाला को सितम्बर, १९५६ से अपने हाथ में लिया है।

(ख) इस शाला से १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में क्रमशः ४९ और ५२ प्रशिक्षार्थियों ने अन्तिम परीक्षा पास की है ।

	रुपये
(ग) १९५६–५७ (१७–९–१९५६ से)	१९,१९५.५५
१९५७–५८	६१,९१७.६०
१९५८–५९ (३१–१०–१९५८ तक)	३७,४४६.३८

उड़ीसा में कम्पनियां

†३९१. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में प्रत्येक जिले में इस समय कौन-कौन सी रजिस्टर्ड कम्पनियां हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उड़ीसा में जिलेवार रजिस्टर्ड कम्पनियों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है, और उसे एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उस से प्राप्त होने के परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। राज्य के प्रत्येक जिले में रजिस्टर्ड कम्पनियों के बारे में जानकारी 'मन्थली ब्लू बुक आन ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज इन इण्डिया' के मार्च १९५८ अंक के पृष्ठ १५३ पर दी हुई है। जिसकी प्रतियां लोक-सभा सचिवालय के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उड़ीसा में बुनकरों की सहकारी समितियां

†३९२. **श्री कुम्भार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय जिलेवार बुनकरों की कितनी सहकारी समितियां हैं, और

(ख) इन में से जिलेवार अनुसूचित जातियों की कितनी सहकारी समितयां काम कर रही हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये कोई अलग बुनकरों की सहकारी समितियां नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में बिजली लगाना

३९३. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे कार्यों पर व्यय करने के लिये कितनी राष्ट्रीय तथा विदेशी मुद्रा दी गयी, जिन से बिजली का उत्पादन बढ़ाया जायेगा; और

(ख) ये अनुदान किन-किन कार्यों पर व्यय किये गये ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्र ने उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सहायता दी :—

(क) रिहंद बांध योजना

(१) नकद ऋण	३८९ लाख रुपये
(२) टी० सी० एम० सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरण	५५.३३ लाख रुपये
योग	४४४.३३ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छोटे नगरों और देहातों के विद्युतीकरण की योजनायें (रोजगार बढ़ाने के लिये बिजली की सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत) ६० लाख रुपये

(ग) विविध विकास निधि ९१७ लाख रुपये

विविध विकास निधि से जो ९१७ लाख रुपये दिये गये हैं वह राशि केवल विद्युत् योजनाओं के लिये ही नहीं अपितु सिंचाई, सड़कों, आदि जैसे अन्य स्वीकृत विकास कार्यों के लिये भी है। इस सहायता में से विद्युत् योजनाओं पर कितनी राशि व्यय की गई इसकी तथा जिन विद्युत् योजनाओं के लिये इस में से धन की व्यवस्था की गई है उन की सूची के बारे में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है। विद्युत् योजनाओं को पूरा करने के लिये जो विदेशी मुद्रा दी गयी उस का विवरण उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार से इस के आने की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान से व्यापार

†३९४. **श्री उ० चं० पटनायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल, १९५७ और ३१ मार्च, १९५७ के बीच पाकिस्तान से हमारे निर्यात और आयात संबंधी व्यापार मूल्य का सन्तुलन कैसा था ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :

(लाख रुपये में मूल्य)

(१९५७-५८)

पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात	व्यापार सन्तुलन
७२५	११४०	(—)४१५

औद्योगिक विस्तार केन्द्र

†३९५. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के किन-किन औद्योगिक विस्तार केन्द्रों में उत्पादन आरम्भ हो गया है; और

(ख) इन केन्द्रों में फिलहाल प्रतिमास कितना उत्पादन होता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†३९६. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये १९५८-५९ में अब तक नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किस प्रकार की मशीनों का सम्भरण किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सामान्य कार्य की मशीनें जैसे खराद, आकार बनाने, घिसने वाली, छेद करने वाली बेंचनुमा और दलने की मशीनें, तथा टीन के डिब्बे, पेंच और डिब्बियां तथा कीलें बनाने, आल पिनें, तथा जेम क्लिप बनाने, साइकिल के पुर्जे और इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, रेशम बुनने तथा बिजली के मोटरों के लिये रील बनाने, दोहरा करने तथा क्वायल बांधने के लिये विशेष प्रकार की मशीनें दी गई हैं।

मराठवाड़ा (बम्बई) में छोटे पैमाने के उद्योग

†**३९७. श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेशों में १९५८–५९ में बेकारों की सहायता करने के लिये छोटे पैमाने के कितने उद्योगों की स्थापना की जाने वाली है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले छोटे पैमाने के उद्योगों की विशिष्ट योजनाओं की स्थिति का मामला ऐसा है जिसका निर्णय राज्य सरकार ही करेगी। १९५८–५९ अथवा १९५९–६० में बेकारों की सहायता करने के लिये मराठवाड़ा प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों की नई योजना के लिये बम्बई सरकार ने अभी तक कोई वित्तीय सहायता नही मांगी है ।

बम्बई में उद्योग

†**३९८. श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में उद्योगों के विकास के लिये १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक आवंटित राशि में से उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर कुछ राशि व्यय की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं जो सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे ।

बम्बई में कम्पनियां

†**३९९. श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई की वे कम्पनियां कौन-कौन हैं जिनके विरुद्ध समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में १९५७–५८ में शिकायत की गई थी ; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघे के कपड़े का निर्यात

†४००. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघे के कपड़े के निर्यात में वृद्धि करने को कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति, हथकरघा बुनकरों की राज्य शीर्ष समितियों और अन्य ऐसे सहकारी संगठनों को, जिनका संबंध बुनकरों से है, १०० काउंट, अथवा इससे अधिक और/अथवा हथकरघा वस्त्र के निर्यात के नौतब पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर कुछ विशेष प्रकार की कपड़ा रंगने की सामग्री आयात करने के लाइसेंस दिये जायेंगे ।

बम्बई को केन्द्रीय सहायता

†४०१. **श्री पांगरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन १९५८-५९ में बम्बई राज्य की वार्षिक योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित राशि में कोई कटौती हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जम्मू तथा काश्मीर में उद्योग

†४०२. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) राज्य में उद्योगों के विकास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी फिल्मों का आयात

†४०३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी फिल्मों के आयात पर १९५८-५९ में अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा (स्टर्लिंग, डालर तथा अन्य मुद्रा) व्यय की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : १९५८-५९ में (अप्रैल—अगस्त) तक चित्र उतारी गई फिल्मों के आयात का मुद्रावार मूल्य नीचे दिया गया है। अगस्त, १९५८ के बाद की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

	(मूल्य हजार रुपयों में) (१९५८—५९ अप्रैल—अगस्त)
चित्र उतारी गयीं फिल्में	
१. स्टैंडर्ड ३५ मिलीमीटर	
डालर	१८०
स्टर्लिंग	२९९
अन्य मुद्रा	३६१
योग	८४०
२. सब-स्टैंडर्ड	
डालर	३८
स्टर्लिंग	८८
अन्य मुद्रा	४७
योग	१७३

सीमान्त दुर्घटनाएं

†४०४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री ११ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५७ में अगरताला के जलालपुर नामक सीमांत गांव में सशस्त्र व्यक्तियों के अनधिकृत रूप से घुस आने के बारे में पाकिस्तान सरकार से किये गये विरोध के संबंध में क्या प्रगति की गई है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पाकिस्तान सरकार के पास से अभी कोई अन्तिम उत्तर नहीं मिला है। कराची स्थित भारत के उच्चायुक्त पाकिस्तान सरकार पर इसके लिये जोर डाल रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सिन्दरी में उर्वरकों का उत्पादन

†४०५. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री उ० च० पटनायक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी कारखाने में १९५७–५८ में कुछ उर्वरकों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वे मद कौन-कौन से हैं जिनका उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है ;

(ग) क्या १९५७–५८ में कारखाने ने कुछ लाभ भी कमाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) . सिन्दरी उर्वरक कारखाना फिलहाल केवल अमोनियम सल्फेट ही बना रहा है। १९५७–५८ में अमोनियम सल्फेट का लक्ष्य ३,३०,००० टन था जबकि उत्पादन लक्ष्य से २,०३१ टन अधिक हुआ है।

(ग) जी हां ।

	रुपये
(घ) सकल लाभ . . .	३,५२,११,२४६
अवक्षयण के लिये उपबंधित राशि .	१,९६,११,२३०
शुद्ध लाभ	१,५६,००,०१६

हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने

४०६. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने खोलना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित होने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) . हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का कारखाना खोलने के लिये इस समय सरकार की कोई योजना नहीं है। लेकिन इस बात की जांच की जा रही है कि शाफ्ट भट्ठी वाले छोटे कारखाने वहां स्थापित करना संभव है या नहीं ।

नैनी उद्योगिक बस्ती योजना

४०७. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनी उद्योगिक क्षेत्र योजना पूर्ण हो चुकी है ;

(ख) वहां कौन–कौन से उद्योग चल रहे हैं और उनमें क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इन उद्योगों में तैयार माल भी बाहर भेजा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) प्रश्न का अभिप्राय शायद नैनी की औद्योगिक बस्ती से है। वह बनकर पूरी हो गयी है।

(ख) २५ कारखानों को जगह अलाट कर दी गयी है। ये कारखाने फाउन्टेनपेन के पुर्जे, निब, बोल्ट, ढिबरियां तथा रिपट, पैनल पिन तथा तार की कीलें, इस्पात का फर्नीचर तथा कांटेदार तार, खेती के उपकरण, दरवाजे में लगाने के कब्जे, टीन पर छपाई और औजार, मशीनी खिलौने बाइकिलों के हिस्से, वैज्ञानिक दार्ष्टिक तथा वैद्युत यंत्र, नरम इस्पात अल्मोनियम के खिड़की दरवाजे, लकड़ी में लगने वाले पेच तथा मशीनी पेच काबले, कंडूइट पाइप और बांस की बनी चीजें आदि बनायेंगे। अधिकांश कारखाने लगाये जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ तीन कारखानों में उत्पादन शुरू हुआ है। ये कारखाने फाउन्टेनपेन, लोहा ढल कर रेलवे के स्लीपर तथा ढलाकर सीमेंट कंकरीट के पाइप बनाते हैं।

(ग) अभी यहां बनने वाली किसी भी चीजों का विदेशों को निर्यात नहीं होता।

खेल का सामान

४०८. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खेलों का कोई सामान आयात करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस आयात को बन्द करने का विचार कर रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां। खेल कूद का जो सामान देश में नहीं बनता सिर्फ उसी का विदेशों से आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी नहीं ।

मण्डी में नमक की खानें

४०९. श्री पद्म देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मण्डी की नमक की खानों में इस समय कितने प्रवीण तथा अप्रवीण श्रमिक काम कर रहे हैं ;

(ख) उनकी मासिक मजूरी क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनके रहने की व्यवस्था की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) खानों में काम करने वाले प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूरों की संख्या क्रमशः २७ और ९७ है।

(ख) प्रवीण तथा अप्रवीण मजदूरों की मासिक मजदूरी निम्नानुसार है :—

	प्रवीण	अप्रवीण
दैनिक मजदूरी वाले श्रमिक .	९० रु० से ९४ रु० तक	४४.५० रु० से ५१ रु० तक
मासिक मजदूरी वाले श्रमिक .	११० रु० से १४० रु० तक	७० रु० से ८० रु० तक ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) खानों में काम करने वाले मजदूरों के रहने की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है क्योंकि ये मजदूर वहीं के हैं और आस-पास के गांवों से भरती कर लिये गये हैं जहां उनके अपने मकान हैं। फिर भी उनके लिये खानों पर विश्राम-घरों की व्यवस्था कर दी गयी है।

कुटीर उद्योग

†४१०. { श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योगों के विकास और विस्तार के लिये विभिन्न राज्यों को १९५८-५९ में कुछ राशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मद्रास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) मद्रास राज्य को कुटीर उद्योगों के लिये निम्न राशि मंजूर की गई है :—

उद्योग का नाम	मंजूर की गई राशि (१९५८-५९) (रुपये)	
(१) हस्तशिल्प उद्योग . .	३,५१,७२५	इतनी राशि तक के लिये
(२) हथकरघा उद्योग . . .	७४,२१,८६२	
(३) रेशम कीट पोष उद्योग . . .	८४,५०४	टेक्निकल सह-मति केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
(४) खादी (परम्परागत और अम्बर) . .	८३,२५,०५९	
(५) ग्रामोद्योग	२४,९१,८३५	

कपड़े की मिलें

†४११. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बन्द कपड़े की मिलें फिर से चालू हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की संख्या कितनी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १-१-१९५८ से १-११-१९५८ के बीच सूती कपड़े की १० मिलें फिर से पूर्णरूपेण फिर से चालू हो गई हैं, जबकि २ मिलों में आंशिक रूप से काम होने लगा है। दो मिलों में से एक मिल चार मास के पश्चात् फिर बन्द हो गई है।

कपड़े का उत्पादन

†४१२. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कुल कितना कपड़ा तैयार किया गया ;

(ख) पिछले वर्ष इसी काल में कपड़े का उत्पादन कितना था ; और

(ग) इस काल में सूती कपड़े की कितनी मिलें बन्द हो गईं तथा उससे कितने मजदूर प्रभावित हुये ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). जनवरी-अक्तूबर १९५८ में मिल के कपड़े का उत्पादन ४१,०७० लाख गज था जो १९५७ में उसी काल की तुलना में ४४,४८० लाख गज था।

(ग) इस काल में पूर्ण रूप से बन्द हुई मिलों की संख्या १९ थी तथा इससे प्रभावित मजदूरों की संख्या २८,६१२ थी।

खानों के उप-प्रमुख निरीक्षक

†४१३. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के उप-प्रमुख निरीक्षकों के दो पदों की पूर्ति कर ली गई है ;

(ख) निरीक्षणालय में इस समय कितने लोग काम कर रहे हैं ; और

(ग) कितने निरीक्षकों की आवश्यकता है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) ४५।

(ग) निरीक्षण पदाधिकारियों की कुल स्वीकृत संख्या ८६ है।

वाशिंगटन में भारत संभरण मिशन

†४१४. श्री राम कृष्ण : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के अनेक बड़े इस्पात के कारखानों ने इस्पात के सामान के निर्यात के लिये भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन से अपना संविदा समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो जापान से कितनी राशि का इस्पात का सामान आयात किया जाने वाला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संविदा की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) ९९,७१७.३१ टन ।

(ग) संविदा भारत संभरण मिशन की स्टैंडर्ड शर्तों तथा विदेशी सहायता क्रय के संबंध में अमरीकी सरकार के विनियमों के अधीन है ।

कार्यालयों का शिमला भेजा जाना

†४१५. श्री राम कृष्ण : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से कार्यालय स्थित हैं ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली से कुछ और कार्यालय शिमला स्थानान्तरित हो रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन कार्यालयों के नाम क्या हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) शिमला में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालय शिमला स्थानान्तरित करने की संभावना पर पंजाब सरकार के कार्यालय चंडीगढ़ स्थानान्तरित हो जाने पर वहां कितना स्थान खाली होगा उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

नकली रेशम का सूत

†४१६. श्री केशव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक भारत में नकली रेशम के कुल कितने सूत का आयात किया गया ;

(ख) यह आयात किन-किन देशों से किया गया ; और

(ग) रेशम के हथकरघा बुनकरों में इस सूत का वितरण किस प्रकार से किया जा रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) भारत में किया गया नकली रेशम के सूत का कुल आयात इस प्रकार है :—

वर्ष	परिमाण लाख पौंडों में	कीमत लाख रुपयों में
१९५६-५७	६१६.९	१७४७.५
१९५७-५८	३९३.५	११०५.६
१९५८-५९ (अप्रैल-जुलाई)	७८.१	२०६.८

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नकली रेशम के सूत का आयात मुख्यतः ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, स्विटजरलैण्ड, नीदरलैण्ड, स्वीडन, बेल्जियम और अमरीका से किया जाता है।

(ग) आयात किये हुए सूत का वितरण केवल हथकरघा बुनकरों में करने की कोई योजना नहीं है। आयात के लाइसेंस सहकारी समितियों को दिये जाते हैं जो लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकार को यह वचन देती हैं कि वे यह आयात किया गया सूत हथकरघा बुनकरों को वे देंगी।

आंध्र प्रदेश की राज्य योजना

†४१७. { श्री नागी रेड्डी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन करने में आंध्र प्रदेश की योजना में भी कुछ परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) आगामी दो वर्षों के लिये सभी राज्यों का व्यय एक साथ मंजूर कर दिया गया है। अलग-अलग राज्यों के व्ययों का निर्णय वार्षिक योजनाओं संबंधी चर्चा के समय किया जायगा।

औद्योगिक बस्तियां

†४१८. श्री रा० च० माझी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी औद्योगिक बस्तियां पूरी हो चुकी हैं और कितनी बस्तियां में लोग आ चुके हैं ;

(ख) कितनी अब भी बन रही हैं ; और

(ग) उद्योगपतियों को ये किस प्रकार दी जाती हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) अब तक १६ बस्तियां पूरी हो चुकी हैं और उनमें लोग आ चुके हैं।

(ख) अट्ठाईस औद्योगिक बस्तियां अभी बन रही हैं।

(ग) कारखानों के शेड आमतौर पर किराये के आधार पर उद्योगपतियों को पट्टे पर दे दिये जाते हैं। कारखानों के किराया-खरीद अथवा एक दम खरीद लेने की व्यवस्था है।

श्रम न्यायाधिकरण

†४१९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के श्रम न्यायाधिकरणों के समक्ष कितने-कितने मामले क्रमशः तीन वर्षों से दो वर्षों से और एक वर्ष से विचाराधीन हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्रम न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन मामलों का विवरण नीचे दिया जाता है :—

तीन वर्ष	दो वर्ष	एक वर्ष
१६	२५	७७

इन मामलों में से कुछ के निबटारे में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के स्थगन आदेश के कारण विलम्ब हो गया।

इन आंकड़ों में बम्बई, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, आसाम और मैसूर के राज्य न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या शामिल नहीं है।

नानकाना साहिब के लिये सिख तीर्थ यात्री

†४२०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने सिख तीर्थ यात्रियों ने नानकाना साहिब की यात्रा की ; और

(ख) क्या दृष्टांकों[1] के कारण कुछ कठिनाई हुई थी ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ठीक-ठीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि मौजूदा पद्धति के अनुसार नानकाना साहिब को सिख तीर्थ यात्रियों की यात्रा का आयोजन सरकार नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान सरकार से सरकार को यह सूचना मिली है कि उन्होंने २४ से २७ नवम्बर, १९५८ तक नानकाना साहिब की यात्रा करने के लिए ५०० तीर्थ यात्रियों के एक दल को अनुमति दी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय रूपांकन प्रतियोगिता[2]

†४२१. श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने १९५८ के लिये एक "राष्ट्रीय रूपांकन प्रतियोगिता" का आयोजन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतियोगिता का ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां।

(ख) दस्तकारी के रूपांकनों को पुनरुज्जीवित करने की दृष्टि से उपलब्ध कलाकारों का मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड ने पहली बार "राष्ट्रीय रूपांकन प्रतियोगिता" का आयोजन किया है। अभी यह प्रतियोगिता तीन प्रमुख दस्तकारियों—अर्थात् (१) मिट्टी के बर्तन, (२) कपड़े और (३) खिलौने बनाने के काम तक ही सीमित है। बाद के वर्षों में इसे अन्य वस्तुओं के लिए भी बढ़ा देने का प्रस्ताव है। इस प्रतियोगिता में भारत के शिल्पी रूपांकन-कर्ता कलाकार और अन्य निवासी भाग ले सकते हैं। पूर्तियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख १५ जनवरी, १९५९ है। प्रमुख कलाकारों का एक बोर्ड इन पूर्तियों का निर्णय करेगा और प्रत्येक वर्ग के लिए १,००० रुपये, ५०० रुपये, २५० रुपये और २५० रुपये के चार पुरस्कार प्रदान करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Visas.

[2]National Design Competition.

विदेशी अतिथि

†४२२. श्री राम कृष्ण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष विदेशी अतिथियों के लिए की गयी चाय-पार्टियों और औपचारिक भोजों पर कितना व्यय हुआ है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस वर्ष विदेशी अतिथियों के स्वागत समारोहों और औपचारिक भोजों पर कुल ३४,९०० रुपये का व्यय हुआ है।

चपड़ा कारखानों के श्रमिक

†४२३. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चपड़ा कारखानों में काम करने वाले श्रमिक बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). यह मसला राज्यों के क्षेत्र में पड़ता है। अब तक राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†४२४. श्री राम कृष्ण : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश को एक छोटी औद्योगिक बस्ती आवंटित की गयी है। राज्य प्रशासन ने यह औद्योगिक बस्ती सोलन में रखने का सुझाव दिया है और इसके लिए उन्होंने स्थान भी चुन लिया है। योजनायें और प्राक्कलन लोक-निर्माण विभाग (हिमाचल प्रदेश) द्वारा तैयार किये जा रहे हैं और इस बस्ती के लिए भूमि प्राप्त करने की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

आसाम की सिंचाई संबंधी क्षमता

†४२५. श्री बसुमतारी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के कार्यक्रम परामर्शदाता आसाम की सिंचाई सम्बन्धी क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के प्रश्न पर राज्य सरकार से चर्चा करने के लिए आसाम गये थे; और

(ख) जिन क्षेत्रों में सिंचाई सम्बन्धी सुविधायें नहीं हैं क्या उनके लिए कुछ विशेष सिफारिशें की गयी हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सर्किल

†४२६. श्री तंगामणि : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५८ को केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में कितने सर्किल थे और उनके क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक सर्किल के अधीन कौन-कौन से डिवीजन हैं;

(ग) विभिन्न सब-डिवीजन कौन-कौन से हैं; और

(घ) प्रत्येक सब-डिवीजन में प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने कर्म-भारित कर्मचारी हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]

(घ) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये सब-डिवीजन देश भर में, और कोई कोई तो विदेशों में भी, फैले हुए हैं। यह जानकारी एकत्र की जायेगी लेकिन इसमें बड़ा समय लग जायगा।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर का कार्यालय

†४२७. श्री कोडियान : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के चीफ़ इंजीनियर के कार्यालय में चीफ़ आर्किटेक्ट के विभाग में इस समय कितने अफ़सर और कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते कितने हैं;

(ग) चीफ़ आर्किटेक्ट के विभाग पर पिछले दो वर्षों में कुल कितना व्यय हुआ है और चालू वर्ष के बजट में उसके लिए कितना उपबन्ध किया गया है;

(घ) पिछले दो वर्षों में से प्रत्येक में इस विभाग ने कितनी योजनायें तैयार की हैं; और

(ङ) क्या इस विभाग में बचत करने के प्रश्न पर कोई विचार किया गया है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) और (ख). विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]

(ग)	१९५६-५७	१२,०९,४७३ रुपये
	१९५७-५८	१२,६७,०४० रुपये
	१९५८-५९	१७,०५,७०० रुपये (बजट)

१९५६-५७ और १९५७-५८ के व्यय और १९५८-५९ के बजट में अन्तर इन कारणों से है :

(१) उन पदों के लिए वेतन का उपबन्ध जो अभी भरे नहीं गये हैं १.६० लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(२) कलकत्ता और बम्बई स्थित आर्किटेक्चरल कर्मचारियों पर व्यय जिसको पिछले व्यय सम्बन्धी आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया	२.६५ लाख रुपये
(३) आकस्मिक और सामान्य वेतन-वृद्धि की सानुपातिक लागत	१.९० लाख रुपये
जोड़ .	४.१५ लाख रुपये

(घ) १९५६-५७ . १२२६

१९५७-५८ . १२२२ ।

(ङ) जी हां,

(१) सीनियर आर्किटेक्ट के एक पद की पूर्ति का काम टाल दिया गया और वह १-१०-५५ से ३१-१०-५८ तक खाली रहा।

(२) सीनियर ड्राफ्टसमैन के नौ पदों को चीफ़ ड्राफ्ट्समैन के पदों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को टाल दिया गया है।

(३) जूनियर आर्किटेक्ट का एक पद भरा नहीं गया है।

मैसूर राज्य में खादी के लिये सहकारी समितियां

†४२८. श्री वोडयार : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में खादी सम्बन्धी सहकारी समितियां किन-किन स्थानों में हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन समितियों को किस प्रकार की सहायता दी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ऋण तथा अनुदान, जैसे कार्य-पूंजी, अंश पूंजी, रूई खरीदने आदि के लिए ऋण, और खादी के उत्पादन तथा बिक्री, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं आदि के लिए अनुदान और राज-सहायता, देकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खादी उद्योग के विकास के लिए सहकारी समितियों को अन्य प्रकार से भी (जैसे प्रशिक्षण, बिक्री और प्रविधिक) सहायता प्रदान की जाती है।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†४२९. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में कितनी सहायता दी गयी है; और

(ख) यह सहायता किस श्रेणी के उद्योगों को दी गयी है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]

†मूल अंग्रेजी में

श्रम लागत

†४३०. **श्री राम कृष्ण** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्पादन लागत के सम्बन्ध में श्रम लागत का विश्लेषण करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक समिति ने किस प्रकार का कार्य किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) मजूरी सम्बन्धी कार्य-संचालन दल[1] ने एक उपसमिति बनाई है ।

(ख) अभी उपसमिति की बैठक हुई नहीं है ।

इंग्लैंड जाने वाले भारतीय

†४३१. **श्री जाधव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (प्रत्येक वर्ष में) इंग्लैण्ड के लिये कुल कितने पासपोर्ट दिये गये; और

(ख) कितने प्रवासी इस समय इंग्लैण्ड में हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) यह जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी ।

कनाडा से अलौह-धातुओं का आयात

†४३२. { **श्री अ० के० [illegible]** :
श्री वि० चं० [illegible] :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से कितने टन अल्युमिनियम, तांबे और अन्य अलौह धातुओं का आयात किया गया है ;

(ख) किस मूल्य पर; और

(ग) भुगतान रुपयों के रूप में किया गया है या विदेशी मुद्राओं में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से लगभग १०,००० टन अल्युमिनियम, ६,००० टन तांबे और २५० टन निकल का आयात हो रहा है । जो माल आ चुका है उसके परिमाण और कीमतों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) रुपयों या विदेशी मुद्राओं के रूप में भुगतान करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह आयात सहायता कार्यक्रम के अधीन कोलम्बो योजना प्रशासन के खर्च से किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]The Steering Group on wages.

बर्दवान जिले के शरणार्थी शिविरों के लिये चलता-फिरता चिकित्सा-दल

†४३३. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के शरणार्थी शिविरों के लिये एक चलते-फिरते चिकित्सा-दल की मंजूरी दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पु० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के विस्थापित शिविरों और बस्तियों में क्षय रोगियों के इलाज के लिये एक चलते फिरते चिकित्सा-दल की मंजूरी १५ अक्तूबर, १९५६ को दी गयी थी ।

खेल का सामान

४३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में कितने मूल्य का खेल का सामान निर्यात किया गया ;

(ख) यह माल किन-किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने रुपये का सामान निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) १०·२९ लाख रु० का सामान निर्यात किया गया ।

(ख) खेल कूद का हमारा अधिकांश सामान ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा, सं० रा० अमेरिका, स्वीडन, अफगानिस्तान, फिजी द्वीप समूह, कुवैत, बहरीन द्वीप समूह, बरमा, लंका तथा सिंगापुर को निर्यात किया जाता है ।

(ग) चालू वित्तीय साल (अप्रैल-अगस्त, १९५८) में ४.२१ लाख ० के मूल्य का खेल कूद का सामान निर्यात किया गया । अगस्त के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन कटक में श्रमिक बस्ती

†४३५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन उड़ीसा में कटक के राजबगीचा स्थान में केन्द्रीय सहायता से किसी श्रमिक बस्ती का निर्माण किया गया है ;

(ख) इस बस्ती में कितने मकानों का निर्माण किया गया है ;

(ग) क्या राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन मकान बनाने के लिये कुछ विवरणी निर्धारित की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कटक में राजबगीचे की उक्त कथित बस्ती का निर्माण सरकार द्वारा निर्दिष्ट विवरणी और नक्शों के आधार पर ही किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख) जी हां। इस योजना के अधीन उड़ीसा सरकार ने कटक के राजबगीचा स्थान में १६० एक कमरे वाले एक मंजिले मकानों का निर्माण किया है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता २,७०० रुपये प्रति मकान के अधिकतम मूल्य के आधार पर दी गयी थी।

(ग) इस योजना में स्थान, विन्यास, घनत्वों और विवरणियों के न्यूनतम प्रमापों का उपबन्ध है। फिर भी स्थानीय मौसम और तुरन्त उपलब्ध हो सकने वाले इमारती सामान के आधार पर इस विवरणी में परिवर्तन किया जा सकता है।

(घ) उड़ीसा सरकार से अपेक्षित जानकारी देने का अनुरोध किया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं संबंधी औद्योगिक समिति

†४३६. सरदार इकबाल सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति गठित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन अखिल भारतीय संगठनों के प्रतिनिधि लिये गये हैं ;

(ग) समिति की पहली बैठक के लिये कौनसी तारीख निश्चित की गयी है ; और

(घ) इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब में शक्तिचालित करघे

†४३७. सरदार इकबाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में इस समय कितने शक्ति चालित करघे हैं ;

(ख) यह किन किन स्थानों में स्थित हैं और प्रत्येक स्थान पर कितने कितने शक्ति चालित करघे हैं ;

(ग) १९५६ के अन्त में कितने शक्ति चालित करघे थे ;

(घ) १९५७ और १९५८ में उस राज्य में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने शक्ति चालित करघे लगाने की अनुमति दी गयी ; और

(ङ) उनमें से कितनों की अनुमति अलग-अलग व्यक्तियों को दी गयी और कितने करघों की अनुमति सहकारी समितियों को दी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) सूती सूत के शक्ति चालित करघे ११७९।

अन्य सूतों के शक्ति चालित करघे ५,१०४।

(ख)	अमृतसर	४,८०५
	लुधियाना	१,३८७
	अन्य जिले	९१

(ग) ५,९६०।

(घ) १४९ इनके स्थानों का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त १४९ शक्ति चालित करघों में से सभी अलग-अलग व्यक्तियों को दिये गये हैं।

पंजाब में कुटीरोद्योग

†४३८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुटीरोद्योगों के सुधार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में पंजाब को कितना धन आवंटित किया गया था ; और

(ख) अब तक प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें कुटीरोद्योगों के सुधार के लिये दिये गये और खर्च किये गये धन का व्यौरा दिया हुआ है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]

पंजाब में उद्योग

†४३९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में पंजाब में विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो राशि दी थी उसमें से पंजाब राज्य सरकार ने कितनी राशि व्यय की है ; और

(ख) ये कौन-कौन से उद्योग हैं और किन-किन स्थानों में स्थित हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

दस्तकारियां

†४४०. **श्री पांगरकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के मार्ग-दर्शन और संरक्षण में बम्बई में किसी दस्तकारी का विकास किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्ति लगे हैं और प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां। अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड की सिफारिश पर दस्तकारियों के विकास की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये बम्बई की राज्य सरकार को वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है। ये योजनायें मिट्टी के बर्त्तन, रंगाई और छपाई, चटाई बनाने, सुनहरी काम का सामान बनाने, सूरत का जरदोज़ी के काम के कांच के खिलौनों के, धातु की सजावट व उपयोग की वस्तुओं के, कागज़ की लुगदी के, रेशे के, कशीदाकारी और खिलौनों तथा गुड़ियों के उद्योगों के सम्बन्ध में हैं। ये योजनायें, प्रशिक्षण, रूपांकन और बिक्री आदि में सुधार करने की हैं। इसके अलावा, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड जरी, बुनाई, गुड़ियों, शिक्षाप्रद खिलौनों, मिट्टी के बर्त्तनों, सुनहरी कामदार वस्तुओं और रूपांकन विकास आदि कुछ चुनी हुई दस्तकारियों के विकास के लिये केन्द्र भी चला रहा है

(ख) सीधे अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन वाले केन्द्रों में स्थिति इस प्रकार है :

(१) रोज़गार . .	१२० व्यक्ति—जिन में से ६५ दस्तकार और कलाकार हैं।
(२) दस्तकारों को छोड़ कर अन्य लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय	१६५ रुपये प्रति माह
(३) दस्तकार और कलाकार .	औसतन ४.७५ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

ग्राम्य गृह निर्माण परियोजनाओं संबंधी योजना

†**४४१. श्री बं० च० मलिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के पुनर्मूल्यन के पश्चात् ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाओं सम्बन्धी योजनाओं के अधीन द्वितीय योजना काल के लिये प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली राशि को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अधीन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये उड़ीसा को कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) १९५८-५९ के लिये दिये गये ३ लाख रुपयों में से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक उड़ीसा राज्य सरकार कुल कितनी राशि ले चुकी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख) योजना आयोग योजना के अधीन नये सिरे से संसाधनों और व्ययों के मूल्यांकन का एक विवरण संसद् के समक्ष रखने वाला है। इसके पश्चात् 'गृह-निर्माण' के लिये स्वीकृत अनुबंध का विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं में, जिन में ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाओं सम्बन्धी योजना भी शामिल है वितरण संभव हो जायगा। राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं पर चर्चा के समय विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली राशियों को राज्य सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप प्रदान किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत सरकार ने मई, १९५८ में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की जो प्रक्रिया निर्धारित की थी उस के अनुसार राज्यों की विकास योजनाओं के लिये (जिनमें ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाओं सम्बन्धी योजना भी है) वर्ष की केन्द्रीय सहायता मई, १९५८ से आरम्भ कर नो बराबर की किश्तों में एकमुश्त अर्थोपाय पेशगी के रूप में आप से आप दे दी जाती है। अन्तिम रूप से हिसाब चालू वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में ठीक कर लिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव

रात की गाड़ी में हत्या

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री ब्रज राज सिंह से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिस में रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण २३ नवम्बर, १९५८ की रात को होशियारपुर से आने वाली गाड़ी में आदमपुर द्वाबा और जालन्धर कैन्टूनमेण्ट स्टेशनों के बीच प्रधान अध्यापिका, श्रीमती हरजीत कौर की हत्या दूसरी श्रेणी के एक कम्पार्टमेण्ट में हो गई। अतः रात्रि में सफर करने वाले यात्रियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : पहले भी टूण्डला में तीन या चार व्यक्तियों की हत्या हो गई थी। ऐसा लगता है कि रात में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिये हमने कुछ समय आवंटित कर दिया है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : चोरियों के सम्बन्ध में एक चर्चा हुई थी। उस समय आश्वासन दिया गया था कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम): चर्चा के अन्त में माननीय उपमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसकी बाद में बड़ी आलोचना पत्रों में छपी। जब दूसरी श्रेणी के यात्रियों की सुरक्षा का यह हाल है तब अन्य श्रेणी के यात्रियों की सुविधा के बारे में क्या कहा जाये।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** यह दुर्घटना बहुत दुखद है। पर यह सूचना मंत्रालय में केवल एक घंटे पूर्व प्राप्त हुई है। हम जानकारी इकट्ठा करने का प्रयत्न करते रहे हैं और जो जानकारी उपलब्ध है वह पूर्ण नहीं है। हम बड़े पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। यदि यह विषय परसों लिया जाये तो कुछ अधिक जानकारी प्रस्तुत कर सकना संभव होगा। आज शायद हमें सारी जानकारी न मिल सके; कल छुट्टी है अतः इस विषय को यदि परसों लिया जाये तो ज्यादा अच्छा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** मैं इस विषय को परसों के लिये स्थगित करता हूं। पर मुझे खेद है कि माननीय मंत्री के पास कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सूचना मिलने के पूर्व ही जानकारी इकट्ठी करनी चाहिये थी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मेरा निवेदन है कि जानकारी प्राप्त हो गई है पर वह सभा के सामने रखने के लिये पर्याप्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह विषय परसों के लिये स्थगित किया जाता है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस गाड़ी में रेलवे सुरक्षा पुलिस थी या नहीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह सारी जानकारी परसों सभा के सामने रखी जायेगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के बारे में पांचवां मूल्यांकन प्रतिवेदन

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : मैं सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्य के पांचवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०४२/५८]

चलचित्र (विवाचन) नियम

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५८ की, जो दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ९४५ में प्रकाशित हुए हैं, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०४३/५८]

सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३११ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०४४/५८]

काफी नियमों में संशोधन

†**श्री कानूनगो** : मैं काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०४५/५८]

पटसन उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ के उत्तर की शुद्धि

†**श्री कानूनगो** : मैं पटसन उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ पर श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा २७ अगस्त, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०४६/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय की सम्पुष्टि

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं काम दिलाऊ सेवा संगठन के सम्बन्ध में १९४८ में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या ८८ की भारत द्वारा सम्पुष्टि के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिये संख्या एल० टी० १०४७/५८]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिण्डा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : (वेल्लोर) : नियम १९७ के अधीन मैं माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों की समस्या ।"

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : गत महीने में एक समाचार पत्र में यह समाचार था कि लंका मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने बताया है कि लंका सरकार ने बागान जनसंख्या के लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार देने का निर्णय कर लिया है और अगला कदम यह होगा कि शेष भारतीयों को धीरे-धीरे भारत लौटने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा । इन अखबारी समाचारों से सभा के सदस्यों को चिन्ता पैदा हो गई है तथा सरकार इस अवसर पर उन भारतीयों के सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण करना चाहती है जिन्होंने लंका में बसने का निश्चय किया है ।

समाचारपत्र में बागानों की जनसंख्या के जिन भारतीय व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, वे लंका में रहने वाले अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों से भिन्न हैं । प्रथम श्रेणी में लंका के तामिल लोग हैं । ये लोग तामिल भाषा बोलते हैं पर वे पिछले सैकड़ों वर्षों से लंका के राष्ट्रजन हैं जैसे कि लंका के अन्य राष्ट्रजन हैं । कुछ ऐसे भी भारतीय हैं, जो व्यापार तथा अन्य कार्यों के लिये लंका में गये हुए हैं । इन भारतीय तथा उनके हितों के लिये हम उत्तरदायी हैं । इन में से सैकड़ों व्यक्ति भारत लौट आये हैं या उन्हें लंका सरकार ने वापस भेज दिया है । १९५४ के आरम्भ से १९५७ के अन्त तक लगभग आधे लाख (४८,३०३) व्यक्ति वापस आये । लंका की सरकार को यह निश्चय करने का अधि-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

कार है कि वह भारतीय नागरिकों या किसी अन्य देश के नागरिकों को कब तक लंका में रहने दे। ये भारतीय नागरिक लंका में उतने समय तक ही रह सकते हैं जितने समय के लिये लंका सरकार उन्हें दृष्टांक देगी।

भारतीय उद्भव के बागान कर्मचारी लंका के निवासियों की तीसरी श्रेणी में आते हैं। उनकी संख्या लगभग ९ लाख है। वे बहुत समय से बागान कर्मचारियों के रूप में लंका में हैं। उनमें से अधिकांश वहीं पैदा भी हुए है। भारत-लंका समस्या इन्हीं व्यक्तियों की नागरिकता की समस्या है। इन्हीं व्यक्तियों ने लंका को समृद्ध बनाया है और उन्हें लंका की नागरिकता मिलनी चाहिये। इन लोगों के सम्बन्ध में भारत तथा लंका सरकार के बीच बातचीत हुई है। सभा को पता है कि इस सम्बन्ध में जनवरी १९५४ में एक करार पर हस्ताक्षर भी हो गये थे और बाद में अक्तूबर में उसमें कुछ परिवर्तन भी हुआ। तब से, करार के कुछ खण्डों की व्याख्या के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच कुछ मतभेद हो गया और समय-समय पर उस के बारे में बातचीत होती रही है। इन व्यक्तियों में से अधिकांश लोग लंका के नागरिक बनना चाहते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि उन्होंने लंका की नागरिकता के लिये आवेदन पत्र दिये हैं।

इन व्यक्तियों के लंका नागरिक के रूप में रजिस्टर हो जाने के सम्बन्ध में लंका सरकार समय समय पर आंकड़े निकालती रहती है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग ८,२९,६१९ व्यक्तियों के २,३७,०३४ आवेदनपत्रों में से केवल २४,५५६ आवेदनपत्रों को, जिनके अनुसार ९६,९२३ भारतीयों को लंका की नागरिकता दी गई है, अगस्त, १९५८ के अन्त तक स्वीकार कर लिया गया है।

१,९६,०९३ आवेदनपत्रों को, जो ६,९६,२५२ व्यक्तियों के बारे में थे, अस्वीकृत कर दिया गया है। बताया गया है कि ७,३९७ आवेदन पत्र वापस ले लिये गये हैं और ९,०२० आवेदनपत्र अभी लम्बित हैं।

लंका के मंत्री का जो वक्तव्य समाचारपत्रों में छपा है वह लंका सरकार की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगले ही दिन लंका के प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दिया कि उन के सहकारी ने जो कुछ कहा है वह गलत है और लंका सरकार ने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि कितने व्यक्तियों को नागरिकता दी जायेगी। दिसम्बर १९५७ में जब हमारे प्रधान मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनका दृष्टिकोण भी इस समस्या के सम्बन्ध में हमारा-सा ही है कि यह एक मानव समस्या है और इसे उसी ढंग से हल किया जाना चाहिये। अगस्त १९५८ में, इस विषय पर वादविवाद होते समय संसद में उन्होंने कहा था कि इस सम्बन्ध में कोई अमानवीय रवैया असंभव तथा अनुचित है और उन्होंने आशा प्रकट की कि "समुचित ढंग से समस्या को हल किया जा सकेगा।" उन्होंने यह भी माना था कि लंका के प्रति भारत में बहुत सद्भावना है।

जिन लोगों को लंका की नागरिकता देने से इन्कार कर दिया गया है उन्हें 'राज्यहीन' बना दिया गया है। वे भारतीय नागरिक भी नहीं हो सकते जब तक कि वे भारत में अपना रजिस्ट्रेशन न करायें। जब तक वे स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र न दें और नागरिक बनने के लिए अर्ह न हों तब तक उन्हें भारतीय नागरिक भी नहीं बनाया जा सकता।

इन व्यक्तियों के संबंध में हमारा यही कहना है कि सदियों से लंका में रहने तथा लंका की समद्धि में योग देने के कारण अब इन लोगों को इतना अधिकार है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार पसंद देश में अपना जीवन व्यतीत करें। जो लोग स्वयं इच्छा से भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं वे लंका स्थित हमारे उच्च आयुक्त के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं और यदि ये रजिस्ट्रेशन विधि के अधीन अर्ह होगें तो उच्च आयुक्त उन्हें नागरिक के रूप में रजिस्टर कर लेगा लंका के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते समय हमने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है। लंका स्थित हमारे उच्च आयुक्त लंका के पदाधिकारियों से इस विषय में तथा अन्य विषयों पर बातें कर रहे हैं। भारत स्थित लंका के उच्च आयुक्त हम से इस विषय तथा अन्य विषयों पर बाते करते हैं। इस प्रकार की बातें और चर्चायें चल रही हैं पर इन दिनों कोई नई बात नहीं हुई है।

इस प्रकार हमारे दृष्टिकोणों में कुछ सहमति है। लंका के पदाधिकारी तथा हम लोग जिनका इस समस्या से संबंध है सतर्क है कि हमारी मित्रता तथा हमारी सुन्दर परिपाटियों पर हमारे किसी भी गलत या जल्दबाजी की कार्यवाही से कोई धब्बा न आये। हम दोनों सरकारों को पता है कि जल्दी इसका कोई हल नहीं मिल सकेगा अतः इस आवश्यक मानवीय समस्या के न्यायोचित हल के लिए हम दोनों सरकारें समुचित संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा २१ नवम्बर १९५८ को, श्री हजारनवीस द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ; अर्थात्

"कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक पर कि सरकार के अधीन कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने वाले ऐसे पदों को धारण करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्ह नहीं होगें संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये"।

१० घण्टे का समय आवण्टित था जिसमें से ६ घण्टे १३ मिन्ट व्यतीत हो चुके हैं और ३ घन्टे ४७ मिनट शेष हैं। पंडित ठाकुरदास भार्गव अपना भाषण जारी करें।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : श्रीमान् यह विधेयक इस कारण दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया है परन्तु इसी के साथ यह विधेयक अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है।

बहुत सी गलत धारणायें माननीय सदस्यों के हृदयों में इस कारण हैं कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों को देखकर इस विधेयक को ठीक तरह नहीं समझा। संविधान के अनुच्छेद ८४ के अनुसार वही व्यक्ति भारत की संसद् का सदस्य बन सकता है जो भारत का नागरिक हो २५ वर्ष की आयु से अधिक का हो और इसके अतिरिक्त इस सभा द्वारा निर्धारित सभी अर्हताओं को पूरा करता हो। मैं समझता हूं कि संसद् ने और अर्हतायें तो नहीं निर्धारित कीं ? इसके विपरीत कतिपय अनर्हतायें रखीं थीं। यदि किसी व्यक्ति में वे अतर्हायें नहीं हैं तो वह स्वतः अर्ह हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद १०२ के अनुसार एक सदस्य स्वस्थ चित्त होना चाहिये तथा दीवालिया न हो और भारत के प्रति निष्ठावान हो। यदि वह संसद् द्वारा निर्धारित पदों के अतिरिक्त सरकार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

के अधीन कोई लाभपद धारण करता हो तो भी वह सदस्य होने के लिये अर्ह नहीं रह जाता। सदस्य को मतदान की स्वतंत्रता है।

हमने अपना स्वतंत्र संविधान इंगलैण्ड के नमूने पर बनाया है और लाभ-पदों का विकास भी वहीं से होता है। माननीय सदस्य इंगलैण्ड की ४०० वर्ष पुरानी स्थिति से अवगत हैं। वह सम्राट तथा संसद् में सदैव एक महान संघर्ष चला करता था और अन्त में वहां संसद् की विजय रही। अत: हमें भी यहां यह देखना है कि संसद् सदस्य यहां भी सरकार के प्रभाव से पूर्णतया स्वतंत्र रहें। इसी कारण संविधान में अनुच्छेद १०२ रखा गया था। यह अनुच्छेद अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यदि आज भारत में कोई सदस्य लाभप्रद धारण करे तो उसे संसद् की सदस्यता से हटाया जा सकता है। इस संबध में दो तीन विधियां बनाकर हम उन्मुक्तियां दे चुके हैं। पहले यह आधार रखा गया था कि जो सदस्य २० रुपये अतिरिक्त भत्ता लें उन्हें अनर्ह कर दिया जाता था। अत: ऐसे मामलों की उन्मुक्ति के लिये उपबन्ध बनाना पड़ा। उसके पश्चात पुन: कतिपय उन्मुक्तियां दी गईं। संसद् सदस्य इस से असंतुष्ट हुए कि यह विधियां व्यापक नहीं हैं। श्री मावलंकर ने प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की और उस समिति ने बहुत समय तक सारे प्रश्न की जांच की और तत्पश्चात् अपना प्रतिवेदन दिया। वही प्रतिवेदन इस विधि का आधार बना है।

इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंप दिया गया।

अब सारे सदस्य सरकार को उठ-उठकर यह कह रहे हैं कि इस विधेयक को वापस लिया जाये।

दूसरे श्री गुह ने कहा है कि इस विधेयक को पुन: उसी संयुक्त समिति को सौंपा जाना चाहिये जिसने इस पर पहले विचार किया था। माननीय सदस्यों की यह तीव्र उत्कंठा है कि हमारे देश के संसद् सदस्य पूर्णतया स्वतंत्र हों।

हमारे संविधान में जहां यह उपबन्ध है कि लाभपदों का धारण सदस्यता के लिये अनर्हता होगी वहां यह उपबन्ध भी तो उसमें है कि संसद् जिन पदों को विमुक्ति प्रदान करना चाहे उन को वैसे भी कर ही सकती है।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : इस विधेयक से कितने सदस्यों की अनर्हताओं निवारण होंगी ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : संख्या बताना तो सरल नहीं है। मुझे इसका स्वत: पता नहीं है। मैं तो यह कह रहा था कि इस समस्या का उपचार भी हमारे हाथों में ही है।

कुछ सदस्यों ने सरकार पर इसी कारण आपत्ति की है कि उन्होंने "लाभ-पद" की परिभाषा ही नहीं की है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कोई भी शासन कभी भी "लाभ-पद" की परिभाषा नहीं कर सकता। श्री दुबे ने कहा कि अनुच्छेद ३६७ के अन्तर्गत समान्य खंड अधिनियम में दी गई सारी परिभाषाओं को ही इस प्रयोजन के लिये लिया जा सकता है। किन्तु जब तक इसे हम इस संदर्भ के पूर्ण अनुकूल नहीं बनाया जाता तब तक कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अत: "लाभ-पद" शब्द की परिभाषा करना अत्यधिक कठिन है। अस्थायी पद को हम 'पद' नहीं [illegible] है। पद का अर्थ ही यह है कि उसकी कोई अवधि हो कोई स्थापित्व हो। फिर 'लाभ' का अर्थ ही

केवल यह नहीं है कि धन ही उसके बदले में मिले। और कई प्रकार के लाभ उठाये जा सकते हैं। लाभ अनेक प्रकार के होते हैं। यह विधेयक केवल वित्तीय लाभ की धारणा पर ही आधारित नहीं है।

कई पद ऐसे होते हैं जिनके धारण करने से संसद् के सदस्य अपने प्रभाव से कई एक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार भी उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जो सदस्य ऐसे पदों पर काम करेंगे वे प्राकृतिक रूप से संसद् के लिये इतना कार्य न कर सकेंगे जितना कि उन्हें करना चाहिये। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।

श्री नौशीर भरूचा ने कहा था कि संसद् सदयों को निगमों में अवश्य ही रखा जाना चाहिये क्योंकि वहां करोड़ों रुपयों का काम होता है। मैं इस बात की सराहना करता हूं किन्तु हमें चित्र का दूसरा पहलू भी तो देखना चाहिये अर्थात १९५० में श्री रंगा ने जो बातें कहीं थीं उन्हें कैसे भूला जा सकता है। यदि सभा के सदस्यों के समक्ष प्रलोभन उपस्थित हों तो सभा का कार्य ही स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता।

इंगलैण्ड में तो सम्राट तथा संसद् का संघर्ष था किन्तु हमारे यहां परिस्थितियां भिन्न हैं। अतः आज तक तो कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने नहीं है कि किसी भ. सदस्य ने किसी समिति में नियुक्त होने के पश्चात् कोई ऐसी कार्यवाही की हो जिससे कि उसकी स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता हो। किन्तु इसके पश्चात् की बातों के बारे में भी हमें सोचना है। हमें राज्यों के बारे में भी सोचना है जहां सदस्य प्रभाव में आकर इधर उधर चले जाते हैं।

अब मैं आप लोगों का ध्यान अपने विमति टिप्पण की ओर दिलाता हूं। यदि हम इस विधेयक को इसी रीति से पारित कर दें तो इसका परिणाम क्या होगा ? माननीय मंत्री संसद् सदस्य को सलाहकार नियुक्त करने लगेंगे। जो लोग सलाहकार नियुक्त होंगे वे स्वतंत्र स्वतः ही न रह सकेंगे।

इंग्लैण्ड में भी इसी प्रकार की बातें एक समय चली थीं किन्तु वहां इसका उपचार हो गया। वहां की संसद् ने मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी। यहां तो यह हाल है कि जो व्यक्ति सदस्य निर्वाचित हो जाता है मंत्री बनने के स्वप्न देखने लगता है। यदि मंत्रियों की संख्या यहां भी सीमित न की गई तो हम स्वतंत्र नहीं रह सकते। जनता का ठीक प्रतिनिधित्व इस रीति से नहीं हो सकता।

किन्तु इस समय यहां की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं। यद्यपि संविधान के अनुसार एक मंत्री तभी तक मंत्री रह सकता है जब वह सरकार के साथ मतदान करता है किन्तु तद पि हमें यहां पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त है। हम यहां अपनी ही सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। इस संसद् का मामला वास्तव में विशेष है क्योंकि यहां ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में पूर्ण भाग लिया था।

किन्तु इस विधेयक में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अनिश्चितता का तत्व पर्याप्त रूप से विद्यमान है। यह कोई नहीं कह सकता कि चुनाव के पश्चात् भी वह सदस्य बना रह सकेगा या नहीं। इस से तो सदस्यों की उद्विग्नता तथा चिन्ता सदैव बनी रहेगी और उन्हें खटका लगा रहेगा। इस कारण जब तक एक पूर्ण अनुसूची तैयार नहीं की जाती तब तक विधि कभी भी संतोषप्रद नहीं बन सकती। दूसरा तो कोई तरीका ही नहीं है।

यह उपचार आप को मैं नहीं बता रहा हूं बल्कि यह उपचार तो हाउस ऑफ कामन्स ने किया था जिन्होंने एक अनुसूची बना कर सारी आशंकाओं को एक ही बार शान्त कर दिया। अनुसूची के

बिना कभी भी विधि में स्पष्टता नहीं आ सकती । अतः आप को अनर्हता या अर्हता वाले सारे पदों की सूची तैयार करनी चाहिए ।

एक सूची बना कर हमें विधेयक में यह व्यवस्था करनी चाहिए कि यह सूची में दर्ज पद अनर्हता वाले हैं तथा शेष सभी पद अर्हता वाले हैं अर्थात् उनके धारण से सदस्य अनर्ह नहीं हो सकता । इसी प्रकार का उपबन्ध हाउस आफ कामन्स में भी है । सूची आप चाहे कैसी भी बना लें एक ही पर्याप्त होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु संविधान में तो यह बात अपेक्षित नहीं है । संसद् यह खुली छुट्टी कैसे दे सकती है ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** संयुक्त समिति ने अनेक समितियों के गठन का परीक्षण करने के पश्चात् केवल १३७ पद ऐसे चुने हैं जो अनर्हता प्रदान करने वाले हैं । यदि यह पर्याप्त न हो तो सभी बातों का परीक्षण किया जा सकता है तथा सूची व्यापक बनाई जा सकती है । उसी से स्पष्टता आ सकती है । अन्यथा द्विविधा तथा घोटाला सा ही रहेगा । सूची वाला ढंग ही उस गड़बड़ में मार्ग दर्शक बन सकता है । और कोई भी तरीका नहीं है । श्रीमान् वास्तव में जब तक सभा सारी ही समितियों के गठन का अच्छी तरह परीक्षण नहीं कर लेती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक पद अर्हता प्रदान करने वाले हैं तथा अमुक अनर्हता वाले । यही तो इस प्रश्न की जड़ है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** समिति ने अनुसूची तो बनाई है । यदि कई माननीय सदस्यों को कुछ और सूझे उसे बाद में भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** जब तक सारी समितियों का परीक्षण नहीं हो जाता तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बड़ा व्यापक कार्य है । संसद् संविधान के अनुसार अनर्हता निवारण कर सकती है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** सभा इस प्रश्न की जांच करने में सक्षम है । हम आप को विद्यमान समिति की सूची समर्पित कर सकते हैं और उनका परीक्षण भी हो सकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी यहां हैं । वे समिति के सभापति थे । मैंने उनसे कहा था कि वे सूची बनायें । उन्होंने भरसक प्रयास किया था किन्तु तब भी समिति से मंत्रालयों ने पूरा सहयोग नहीं किया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय उपाध्यक्ष स्थिति पर तनिक प्रकाश डालें ।

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिन्डा) :** हम सब यह जानते हैं कि सूची व्यापक एवं पूर्ण नहीं है । हम ने इस पर पर्याप्त समय व्यतीत किया किन्तु यह पूरी न हो सकी और न ही ऐसा करना संभव है । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वे एक ही दिन में सूची दे सकते हैं ।

हमने ६ मास तक इस बात पर कोशिश की, मंत्रालयों को लिखा किन्तु हमें जानकारी न मिल सकी । मंत्रालयों ने हमारे साथ कोई सहयोग न किया अतः सूचियां अधूरी रहीं और तब हमने भी यही सोचा कि यह अधूरी ही रहेंगी । हम यही कर सकते थे कि यह सुझाव दें कि एक स्थायी समिति बना दी जाये जो बाद में कुछ प्रश्नों का परीक्षण करती रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों ने आपत्तियां तो की हैं। किन्तु किसी ने भी कोई प्रभावपूर्ण उपचार का सुझाव नहीं दिया है। हमारा तो यह विश्वास है कि हम दो वर्ष में भी पूरी सूचियां तैयार न हीं कर सकते थे। हमने सिद्धान्त निर्धारित करने का भी यत्न किया किन्तु ऐसा भी न हो सका। विभिन्न सदस्यों की विभिन्न रायें थीं इस कारण सिद्धान्तों का निर्धारण भी न हो सका। यदि सिद्धान्त रखे जाते तो विवाद उठते। इस कारण सब बातों को सोचकर हमने जैसे हुआ एक अनुसूची बनाई तथा यह सुझाव दिया कि एक संसदीय समिति भी बनाई जाये जो समय समय पर विभिन्न समितियों का परीक्षण करती रहे तथा विधि को आयतन करती रहे। हम केवल यही कर सकते थे।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने सारी बातों को बता दिया है। किन्तु मुझे भी आप को कुछ बातें बतानी हैं ताकि यह धारणा बन कर न रह जाये कि मंत्रालयों ने सहयोग की संभव कार्यवाही ही नहीं की। जानकारी फरवरी में मांगी गई। उप-समिति का निर्माण भी लगभग उसी समय हुआ था। उसका प्रतिवेदन जुलाई अथवा अगस्त में आया था। अतः ६ मास की अवधि में मंत्रालयों ने जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया। वास्तव में समितियों के गठन के लिए पूर्ण आयतन जानकारी की आवश्यकता थी। इन समितियों के निर्माण के बारे में जानकारी नस्तियों में विद्यमान है और इसे लेने में भी पर्याप्त समय लगा। मंत्रालयों ने पूरा प्रयास किया किन्तु जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा इस में समय लगता ही है। न तो राज्य सरकारों और न ही मंत्रालयों ने जानबूझ कर जानकारी देने से कोई आनाकानी की। उन्होंने हमें पर्याप्त समितियों तथा निगमों के बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद १०२ को देखते हुए पूर्ण सूची तो बनाई ही नहीं जा सकती। अतः इस विधेयक में कोई त्रुटि नहीं है। समिति पदों और अन्य समितियों का निरीक्षण करती रहेगी और यद्यपि कुछ लाभपद ऐसे भी हुए जिन पर विमुक्ति दी जानी हो, उन को लेकर विधेयक में उचित संशोधन किया जाया करेगा। यों तो सूची बनाने का कार्य ही पूरे १०० वर्ष तक सफल नहीं हो सकता।

इस शब्द की परिभाषा भी नहीं हो सकती क्योंकि संविधान के अनुसार संसद् विमुक्तियां भी प्रदान कर सकती है। जब तक संविधान की यह स्थिति है तब तक लाभपद की परिभाषा का लाभ ही नहीं है। यदि हम संविधान में ही संशोधन करें तो बात और है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वास्तविक कठिनाई यही है। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि व्यापक सूची बनना कठिन है खैर किन्तु माननीय विधि मंत्री ने भी जो बयान पेश किया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। किन्तु जब तक व्यापक सूची नहीं बनाई जाती तब तक काम ही नहीं चल सकता। इतनी अनुसूची की भी फिर क्या आवश्यकता है? संसद् को यह कहना चाहिए कि अमुक पद अर्हता वाले हैं अथवा अनर्हता वाले। दूसरे केन्द्रीय सरकार को ६ मास तक जानकारी देने में क्या कठिनाई थी? अब वह इस ग़लती का बचाव कैसे कर सकते हैं? जब तक पूर्ण सूची न बनाई जाये तब तक कोई लाभ नहीं है।

यदि यह नहीं हुआ है तो कम से कम संसद् को एक स्थायी संसदीय समिति तो बनानी चाहिए जो कि समय समय पर हर पद का निरीक्षण करती रहे। इस संबंध में भी विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है।

†**सरदार हुक्म सिंह** : यह कार्य तो केवल संसद् ही कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : तो क्या प्रत्येक बार सभा में एक नवीन विधेयक लाना पड़ेगा ।

†सरदार हुक्म सिंह : जी हां; जब तक विधि द्वारा घोषणा न की जाये । फिर स्थायी समिति का क्या लाभ होगा । वह तो होनी ही नहीं चाहिए । संविधान के अनुसार लाभपद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को संसद् का सदस्य नहीं रखा जा सकता । अतः हमें यह सारी कार्यवाही बड़ी सावधानी से करनी चाहिए । संसद् सदस्य ऐसे नहीं होने चाहिएं कि जिनकी एक टांग यहां हो और दूसरी कहीं और । अतः मैं तो स्थायी समिति को उचित नहीं समझता ।

†श्रीमती सुचेता कृपालानीः (नई दिल्ली) : यदि संसद् सदस्यों को समितियों में भेजा ही जाना है तो उनकी स्थिति मंझधार में न रखी जाये । स्थिति का स्पष्टीकरण होना चाहिए ।

†अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य विमुक्तियां चाहते हैं तो उन्हें यहां सूचना देनी चाहिए। आवेदन आने पर संयुक्त समिति उसे चाहे स्वीकार करे या न करे । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि सूची पूरी नहीं है । माननीय सदस्यों को सूची प्रदान करनी चाहिए थी ।

†श्रीमती सुचेता कृपालानी : ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में अनर्हता पदों की सूची है । सो सूची बिना कार्य अधूरा ही रहता है ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं कह रहा था कि सूची पूरी नहीं बन सकती । संविधान के अनुच्छेद १०२(१) को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि हमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है । मैं यह नहीं कहता कि कोई भी सदस्य समितियों पर काम न करे । यह मेरा आशय नहीं । संविधान ने भी इस बात की अनुमति दी है । संसद् अनर्हतायें निवारण कर सकती हैं ।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि समितियों की परीक्षा का मापदंड क्या होगा । पहली बात तो वित्तीय मुआवजा है । हाउस आफ कामन्स में ऐसे पदों को भी लाभपद समझा जा सकता है जिनके द्वारा सदस्य किसी को किसी प्रकार का संरक्षण दे सकता है । खैर यह तो हाउस आफ कामन्स की बात है किन्तु मैं तो ऐसा कोई भी पद नहीं समझता जिसको धारण करने के पश्चात् संसद् सदस्य किसी प्रकार का प्रभाव न रख सके ।अब प्रत्येक सदस्य विस्तार योजनाओं के भी सदस्य हैं । लगभग अपने अपने ज़िलों में सभी सदस्य हैं । इस प्रकार से तो उन की सदस्यता भी अनर्हता प्रदान करेगी । सदस्य तो समितियों में देशहित के लिए जाते हैं । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों अथवा कई इसी प्रकार के विभागों का भी सम्बन्ध है । जहां तक "सरकार के अधीन लाभपद" शब्दों की परिभाषा को देखा गया है, विश्वविद्यालय आदि उसके क्षेत्र में ही आते नहीं हैं । ब्रिटिश अधिनियम १७०७ में जो इसी प्रकार के शब्द थे उन में लिखा था, "सम्राट के अधीन तथा सम्राट से" । इन्हीं बातों पर पुस्तकें भरी पड़ी हैं । इस कारण जब तक इसी प्रकार की उचित रीति को नहीं अपनाया जाता तब तक काम ठीक नहीं बन सकता ।

यह ठीक है कि हमें सभा के सदस्यों को पूर्णतया स्वतन्त्र रखना है । सभा के स्तर की पावनता को बनाये रखना है । किन्तु इस का यह अर्थ तो नहीं कि सभा के सदस्यों के अनुभव से लाभ ही न उठाया जाये । जहां सदस्य की स्वतन्त्रता को कोई खतरा न हो वहां उसे काम करने देना चाहिये । यह ठीक है कि प्रत्येक मामले पर संसद् विचार करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

किन्तु इस में भी एक कठिनाई है कि भारत सरकार का काम सचिव चलाते हैं और सचिव क्लर्कों पर और क्लर्क चोकीदारों पर निर्भर हैं । इस लिय अच्छा तो यही है कि यहीं हम सारी समितियों

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार कर लें। हम ने १२०० समितियों का परीक्षण किया और लगभग सहमति से उन्हें नियुक्ति भी देते रहे। अतः कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि किसी एक समिति के गठन पर संतोषप्रद ढ़ंग से विचार नहीं किया गया। जितनी समितियों को गठन उस समय हमारे सामने रहा उन का परीक्षण हो गया। अतः उपसमिति को कोई भी सदस्य दोष नहीं दे सकता।

स्थायी समिति के निर्माण की प्रस्थापना को संयुक्त समिति ने स्वीकार किया है। यह समिति केवल सरकार को सिफारिशें करेगी और सरकार उन्हीं सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक प्रस्तुत कर देगी। ब्रिटिश संसद् तो यह कार्यवाही संकल्प द्वारा ही कर देती है किन्तु हम यहां पर एसा नहीं कर सकते। विधेयक खण्ड ३ (१) के अनुसार हम अब कई ऐसी समितियों को भी विमुक्ति दे देंगे जिन पर कि हम न विचार ही नहीं किया है। यह कार्यवाही नितान्त अनुचित है। हम यह बात किस आधार पर कर सकते हैं।

†**श्री तंगामणि :** (मदुरै) : यदि हम अनर्हता वाली एक सूची भी दे दें तब भी यदि न्यायालय किसी को अर्ह बना दे तब क्या होगा। इस पर भार्गव जी क्या कहते हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** संविधान के अनुच्छेद १०२(१) के प्रति विधि मंत्री ने कहा था कि लाभपद धारण करने वाले किसी भी सदस्य को संसद् की सदस्यता के योग्य न समझा जायेगा किन्तु संसद् विमुक्तियां भी प्रदान कर सकती है। यहां भी अनेक बार इसी प्रकार की विधियां आईं किन्तु सफलता न मिली। तब संसद् ने लाभपदों संबंधी समिति नियुक्त की और उस समिति ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया। समिति ने काम आरम्भ किया किन्तु मंत्रालयों से जानकारी न मिली। क्या ६ मास का समय भी कम होता है ? मुझे उप मंत्री के उत्तर से दुख हुआ है। यदि सब समितियों के बारे में जानकारी मिल जाती तो कोई कठिनाई ही न आती।

अब यदि स्थायी समिति बनाई जाये तो उसे २ मास में ही सारी सामग्री मिल सकती है। इस सामग्री को लेकर वह सरकार से सिफारिशें कर सकती है और सरकार थोड़े ही समय में एक और अनुपूरक विधेयक सभा में रख सकती है।

इस समय हम खण्ड ३ (१) को पारित नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी समितियों को हम कैसे विमुक्त कर सकते हैं जिन का परीक्षण ही नहीं किया गया है। अतः स्थायी समिति का निर्माण अत्यावश्यक है।

इस के अतिरिक्त दूसरी शिकायत मुझे यह है कि विधेयक में कुछ पदों के अतिरिक्त अन्य की बाबत कोई व्यवस्था ही नहीं है।

यहां सेवा निवृत्त व्यक्तियों के बारे में भी कुछ उपबन्ध नहीं है। अवैतनिक दंडाधिकारियों के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। कहन का तात्पर्य यह है कि विधेयक किसी भी प्रकार से पूरा नहीं है।

जहां तक होम गार्ड का सम्बन्ध है हमने वहां गलती खाई है। पहले मुझे इस के बारे में अधिक जानकारी न थी किन्तु अब मैं श्री महन्ती के भाषण के पश्चात् अपनी गलती को समझता हूं। अतः अब उसके बारे में मैं अपनी राय बदलता हूं। होम गार्ड वाले भी तो पुलिस वालों के समान होते हैं। ये सब लोग अच्छे हैं किन्तु हम इन्हें संसद् सदस्य बनने की अनुमति नहीं दे सकते। ये भी लगभग कार्यपालिका के कर्मचारी ही होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी तरह से 'शेरिफ' पद धारण करने वाले व्यक्ति को भी विमुक्ति नहीं दी जा सकती ।

उपकुलपति के पद के बारे में भी कहा जाता है कि वह सरकार से कुछ भी नहीं लेता किन्तु यह बात गलत है । सरकार बनारस विश्वविद्यालय को ५ करोड़ रुपये देती है । इस दृष्टि से उपकुलपति भी सरकारी पदाधिकारी ही के समान हैं । अतः हम उपकुलपति को सदस्य नहीं बना सकते क्योंकि सदस्य को सरकारी प्रभाव से दूर रखना है ।

इसी प्रकार निगमों के प्रभारी लोगों को भी यहां लाने की आवश्यकता नहीं है । न ही सिंडीकेटों तथा कार्यपालिका समितियों के सदस्यों को यहां सदस्य बनने की अर्हता प्रदान करनी चाहिये ।

जहां तक सदस्यों के शिष्ट मंडलों में आने जाने का सम्बन्ध है उस में मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि समय-सीमा निर्धारित हो । किन्तु यदि कोई सदस्य सदैव ही बाहर रहे तो उसे तो विमुक्ति नहीं दी जा सकती ।

इसी प्रकार से मंत्रियों के सलाहकार नियुक्त करने की बात भी मेरी समझ में नहीं आती । यह उपबन्ध भी यहां नहीं रहना चाहिये ।

इंगलैंड में इस तरह के सलाहकार नहीं होते । वहां तो मंत्रियों की संख्या भी सीमित कर दी गई है । अभी तक तो हम वहां पहुंचे ही नहीं हैं ।

यह भी सौभाग्य की बात है कि माननीय विधि मंत्री ने आंशिक रूप से काम करने वाले पदाधिकारियों की अर्हता वाला खण्ड वापस लेने का आश्वासन दिया है । लम्बरदारों और मालगुजारों को भी यहां लाने से क्या लाभ है । मालगुजार तो वे लोग होते हैं जो लगान देते हैं । अतः कोई भूमिधारी भी यहां आये तो इस में क्या हरज है । मैं भी एक गांव का स्वामी था अतः वहां और लम्बरदार न होने का प्रश्न ही उत्पन नहीं होता अतः मैं ही वहां का लम्बरदार था । मैं ने सात वर्ष हुए वहां से त्यागपत्र दे दिया । वैसे मैं आप को बताना चाहता हूं कि लम्बरदार वैसे बुरे आदमी नहीं होते ।

यह प्रश्न अर्थात लम्बरदारों, पटेलों तथा देशमुखों की समस्या हल हो जानी चाहिये थी । समिति में हमारे पास सारी सामग्री थी हम इस पर पूर्णतया विचार कर सकते थे ।

स्तरानुसार वह भी सामान्य सरकारी कर्मचारी की भांति ही होता है । उसे थोड़ा कमीशन मिल जाता है । अब यहां 'पुलिस कार्य' का भी शब्द रखा गया है । जो पुलिस कार्य न करे वह ठीक है । यह पुलिस कार्य क्या होता है । इस की परिभाषा तो कहीं प्राप्त ही नहीं हो सकती ।

लम्बरदार पुलिस कार्य नहीं करते ये तो पुलिस की सहायता करते हैं । इन लोगों ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के समय देशभक्तों के विरुद्ध साक्ष्य दिये । ये लोग पुलिस के पिट्ठू होते हैं । अतः इन लोगों को यहां सदस्य बनने के लिये आज्ञा देना गलत है । यदि वह लम्बरदारी छोड़ दें तो ठीक है ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : यह विधेयक दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है । पहिला हम सदस्यों की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं । दूसरे हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि सदस्य बिना किसी भय के विभिन्न समितियों में योगदान देते रहें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान के अनुच्छेद १०२ में इस सिद्धान्त का उल्लेख किया गया है कि संसद् सदस्य कोई लाभपद स्वीकार नहीं कर सकता है। तथापि हमें सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने में बहुत कठिनाइयां सामने आई हैं फलस्वरूप भार्गव समिति का निर्माण किया गया और उस की सिफारिशों के आधार पर यह विधेयक बनाया गया है।

तथापि इस से स्थिति में जरा भी सुधार नहीं हुआ है। स्थिति अब भी इतनी ही जटिल है जितनी पहिले थी। हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण सरकारी क्षेत्र में पूंजी की वृद्धि होती जा रही है और हमें उन के संचालन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की आवश्यकता है तब सदस्यों को उन से वंचित रखना कहां तक उचित होगा।

तथापि हमें इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट रखनी चाहिये। साथ ही यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिये कि एक सदस्य एक समय कितनी समितियों में काम कर सकता है और कौन सी समितियों में काम कर सकता है तथा वे कौन सी ऐसी समितियां हैं जिन में काम करने से उसे अनर्हता हो जायेगी। लाभपद की अभी तक स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकी है। क्योंकि इस शब्द का अर्थ बहुत जटिल है इसके अन्तर्गत केवल वित्तीय लाभ ही शामिल नहीं है अपितु प्रभाव, शक्ति, संरक्षण इत्यादि कई बातें शामिल हैं। अतः इसी कारण से समिति के कार्य का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका। अब मैं विधेयक को लेती हूं। विधेयक का सब से महत्वपूर्ण अंश खंड ३ है। उसके सभी उपखंडों पर आपत्ति उठाई गई है। अनुसूची बहुत आपत्ति जनक है। कुछ समितियों को कुछ राज्यों में छूट दी गई है तो उन्हीं समितियों को अन्य राज्यों में छूट प्रदान नहीं की गई है। उपकुलपतियों को छूट प्रदान की गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सभापति संसद सदस्य नहीं बन सकता है।

वस्तुतः हम चाहते थे कि इस विषय पर विधि बिल्कुल स्पष्ट रहे, क्योंकि अनर्हत होने का दंड बहुत कठोर है। हमारे पास डा० परमार का उदाहरण है। जिन का चुनाव केवल इसी कारण रद्द कर दिया गया कि किसी सुदूर मतदान केन्द्र में कोई कार्यकर्ता सेना से सम्बन्धित था। इतना ही नहीं उन्हें ६ वर्ष तक के लिये चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।

हम ने कुछ समय पुनर्वास वित्त निगम में काम किया। उस समय भी हमारी स्थिति बहुत संदिग्ध थी। हम ने वित्त मंत्रालय से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा था। उन्हों ने इसे आपत्तिजनक नहीं बताया लेकिन हमारे वकीलों ने इसे आपत्तिजनक कहा।

वस्तुतः इस विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त भी स्थिति इतनी ही अस्पष्ट और संदिग्ध है। इसलिये यदि सूची देनी है तो वह पूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिये या स्पष्ट रूप से कह देना चाहिये कि संसद् सदस्य किसी भी समिति में काम नहीं कर सकते हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहती हूं तथापि यह विधेयक त्रुटिपूर्ण है अतः मैं चाहती हूं कि पारित करने के पूर्व इस पर बहुत सावधानी से विचार किया जाये।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं विधेयक के कुछ विशेष पहलुओं पर ही ध्यान आकर्षित करूंगा। सर्व प्रथम म यह जानना चाहता हूं कि अनुसूची में कुछ लाभपदों को छूट नहीं दी गई है। तथापि क्या हम न्यायालयों को ऐसा निर्णय करने के लिये बाध्य कर सकते हैं। जब कि अनुच्छेद १०२ में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी लाभपद को धारण करने वाला व्यक्ति संसद् सदस्यता के लिये अनर्ह जायेगा।

यह विधेयक १६ दिसम्बर, १९५७ को संयुक्त समिति के सुपुर्द किया गया था तत्पश्चात् इस के सम्बन्ध में एक उपसमिति भी बनाई गई थी लेकिन इतनी अवधि के पश्चात् भी हम वहीं हैं जहां पर पहिले थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

अतः मेरा विचार है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाये और उस में लाभपद की स्पष्ट परिभाषा कर दी जाये ।

वस्तुतः इस विधेयक का आधार यह रखा गया है कि विधान मंडलों की स्वतन्त्रता बनी रहे तथा सदस्य कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रह कर काम कर सकें । इस के अलावा अन्य कार्यों का सदस्यों पर इतना बोझ न पड़े कि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्य का सही ढ़ंग से पालन न कर सकें ।

तथापि अनुसूची को देखने से यह ज्ञात होगा कि अनर्हता आरोपित करने में उक्त सिद्धान्तों पर ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसी संस्थाओं या संगठनों की सदस्यता भी अनर्ह करार दी गई है जिन पर सदस्य बिना किसी प्रभाव के कार्य कर सकते हैं । उदाहरण स्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो विशुद्ध रूप से एक सलाहकारी संस्था है उस की सदस्यता को भी छूट प्रदान नहीं की गई है । इसी प्रकार कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के गोदी श्रमिक बोर्ड को भी छूट प्रदान नहीं की गई है जब कि यह संस्था भी एक प्रतिनिधि संस्था के प्रकार की है जिस में श्रमिकों और सरकार दोनों के प्रतिनिधि रहते हैं । इस का प्रयोजन केवल मात्र परामर्श देना है तथा इस की सिफारिशों को स्वीकार करना या न करना अध्यक्ष पर निर्भर करता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । अब हम हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे ।

हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा

†**श्री नाथपाई** (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड १९५६-५७ के वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो २६ मार्च, १९५८ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार किया जाय ।"

चर्चा प्रारम्भ करने के दो प्रमुख कारण हैं । पहिला हमारी अर्थ व्यवस्था और प्रगति में इस्पात का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है इसी कारण सरकारी क्षेत्र में जितनी भी पूंजी विनियोजित की गई है उसका ६६ प्रतिशत इस्पात के उत्पादन में व्यय किया जायेगा । दूसरा कारण यह है कि प्राक्कलनों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन तीनों इस्पात संयंत्रों का कुल व्यय ३५३ करोड़ रुपया रखा गया था । पुनर्मुल्यांकन के पश्चात् इस में १५७ करोड़ की वृद्धि हो गई है और अब यह प्रावकलन ४९५ करोड़ रुपये हैं । इस प्रकार मूल प्राक्कलन में १५७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

इतना ही नहीं इन पर विलम्ब भी बहुत हो रहा है । रूरकेला के संयंत्र में मूल योजना के अनुसार १९५९ के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाना था । लेकिन अब उसमें १८ महीने का विलम्ब हो गया है । इस प्रकार अब रूरकेला संयंत्र को तैयार होने मे ७ वर्ष का, भिलाई को चार वर्ष और दुर्गापुर को ५ वर्ष का समय लगेगा । अन्य देशों में इतना ही कार्य करने में इससे बहुत कम समय लगता है । अमेरिका की फेयरलैस स्टील वर्कस की स्थापना १८ महीनों में हो गई थी । विशेषज्ञों का कथन है कि भारतीय स्थितियों में भी तीन वर्ष में एक इस्पात संयंत्र तैयार किया जा सकता है । चीन ने अपना इस्पात उत्पादन एक वर्ष में ५० लाख टन से १ करोड़ कर लिया है अब उसे २ करोड़ टन होने की सम्भा-

---

†मूल अंग्रेजी में

बना है। मिश्र ने अपना इस्पात उत्पादन बहुत बढ़ा लिया है। इसके विपरीत हमें प्रतिदिन के विलम्ब से १२½ लाख से १५ लाख रुपये प्रतिदिन की हानि ही नहीं हो रही है अपितु हमारी विदेशी मुद्रा का भी अपव्यय हो रहा है। विलम्ब के कई कारण हैं पहिला कारण संघीय नियन्त्रण है, हमें स्वायत्तशासी संस्थायें बनाने के बावजूद भी छोटी छोटी बातों के लिये संघ सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण यह है कि हमारे परामर्शदाताओं की संख्या बहुत है तीसरे हमारे ठेकेदार अनुभवहीन और अदक्ष हैं एक कारण यह भी है कि सर्वोत्तम प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है जो टैक्नीकल जानकारी से रहित हैं यह त्रुटिपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब हैं हमारा आयोजन भी त्रुटिपूर्ण है इन्हीं सब कारणों से हमारी परियोजनायों में विलम्ब हो रहा है।

इन परियोजनाओं में निरर्थक अपव्यय किया जा रहा है। रूरकेला में ३० जर्मन बढ़ई काम करते हैं जिनको ५००० रुपये माहवार दिया जाता है इसके अलावा हम परामर्शदाताओं को भी बहुत रुपया दे रहे हैं और तिस पर कई परामर्शदाता अपने कार्य में दक्ष नहीं हैं। ये परामर्शदाता स्वयं ठेकेदार भी हैं इसलिये वे ऐसी सलाह देते हैं जिनसे उनकी फर्म तथा देश का लाभ होता है। उदाहरण के लिये हाकशीफ गेमन हमारे परामर्शदाता भी हैं और ठेकेदार भी हैं। वे हम से अत्यधिक रुपया ले रहे हैं।

इतने परामर्शदाताओं के बावजूद भी विभिन्न विभागों के कार्य में अन्धेर मचा हुआ है। संयंत्र की योजना इस प्रकार नहीं बनी है कि वह भविष्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सके। न जर्मनी वाले हमारे देश के कर्मचारियों को उचित संख्या में इंजीनियरी इत्यादि का प्रशिक्षण ही दे रहे हैं। डिजाइन बनाने इत्यादि के कार्य में भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है।

इन सब बातों का यह परिणाम होगा कि हमको इस्पात उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में ३०० से ४०० तक टेक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

अब मैं एक विशेष ठेके पर आता हूं इण्डियन स्टील वर्क्स कनस्ट्रक्शन कम्पनी को १५ करोड़ रुपये पर ठेका दिया गया है। यह ठेका उन टेक्नीकल सेवाओं के लिये हैं जिनके अन्तर्गत खण्ड ५ के अधीन सारे ड्राइंग देने का कार्य आ जाता है तथापि खण्ड ५ में बिल्कुल इसके विपरीत उपबन्ध किया हुआ है। उसमें लिखा गया है कि ठेकेदार को ड्राइंग इत्यादि के लिये धनराशि लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि उनके कार्यालय का व्यय तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उनका प्रगति विवरण इत्यादि बनाने का व्यय सरकार देगी। यह अनुचित है। लगभग यही कार्य करने के लिये इण्टरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को २ करोड़ रुपये दिये जायेंगे यह रुपये लुटाना नहीं तो और क्या है। जिन टैक्नीकल सेवाओं के लिये ये १५ करोड़ रुपये दिये जायेंगे उनमें कोई भी सेवा टैक्नीकल नहीं कही जा सकती है।

वस्तुतः यह सारी कहानी ही हमारी अदूरदर्शिता, अदक्षता तथा बुद्धिहीनता को प्रगट करती है। मैं इस सम्बन्ध में इतना चिन्तित इस कारण हूं क्योंकि इन्हीं संयंत्रों पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है और इनके लिये हमने बहुत त्याग किया है। किन्तु यदि हम इस सम्बन्ध में सचेत न रहे तो हमारा सारा श्रम निरर्थक हो जायेगा।

तथापि मैं इसके लिये माननीय मन्त्री जी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। वे वहीं तक इसके जिम्मेदार हैं जहां तक े किसी सम्बद्ध व्यक्ति की त्रुटियों को छिपाना चाहते हैं। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सभा को विशेषज्ञों द्वारा जांच करवाने का पूरा अधिकार है। जांच से ही हमारी आशंकाओं की नि ृत्ति हो सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका (झुंझनूं): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस निगम पर जो कि भारत का सबसे बड़ा निगम है, चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। जब तीनों इस्पात संयंत्र तैयार हो जायेंगे उस समय इस निगम की प्रदत्त पूंजी १००० करोड़ रुपये हो जायेगी।

हिन्दुस्तान स्टील कारपोरेशन द्वारा दिए गए ठेकों के सम्बन्ध में विचार करने पर पता लग जाता है कि इस विशाल निगम के प्रबन्ध में कितनी धांधली चल रही है। पहला ठेका रूरकेला के रालिंग मिल के इंजीनियरिंग काम के लिए होचिफ़ गामन (इंडिया) लिमिटेड को दिया गया था। श्री होचिफ़ वही व्यक्ति हैं जो इन साथों को इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में परामर्श देते हैं। इस प्रकार जो टैण्डर मंगाये गये वह उनकी जांच इसी व्यक्ति ने की। इसलिए यह आवश्यक भी था कि अपनी साथ का टैण्डर स्वीकार करे। यद्यपि ब्रिटेनिया स्टील कनस्ट्रक्शन कम्पनी का टैंडर इस कम्पनी से १ करोड़ रुपये कम का था परन्तु उसको अस्वीकार करा दिया गया तथा एक निश्चित मूल्य अर्थात् सामान और श्रम के लिए ५ करोड़ रुपया तथा यन्त्रों को किराये पर लेने के लिए २.७५ करोड़ रुपया रखा गया। इसके साथ यह शर्त भी रखी गई कि ठेके का चाहे कुछ भी हो ठेकेदारों को ६२ लाख रुपया फीस दी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि वह निश्चित तिथि से कुछ पहले काम खत्म कर देंगे तो लाभांश के रूप में २ लाख रुपया और दिया जायेगा। इन सभी शर्तों को बनाने वाले तथा मानने वाले दोनों एक ही व्यक्ति थे, इसलिए इसमें कठिनाई क्या होनी थी।

कंक्रीट आदि मिलाने के लिए आवश्यक यन्त्रों को खरीदने के सम्बन्ध में सरकारी पदाधिकारियों ने कहा कि यह सामान किराये पर लिया जा सकता है। परन्तु किराये की धनराशि भी ७५ करोड़ रुपये रखी गई। बोर्ड के एक निदेशक ने इस पर आपत्ति भी उठाई क्योंकि उसको पता था कि यह यन्त्र भारत में कांडला में उपलब्ध थे। परन्तु उसको उत्तर दिया गया कि रूरकेला में यह यन्त्र उपलब्ध नहीं थे।

श्री होचिफ़ ने कांडला में भी एक काम का ठेका लिया था परन्तु वहां पर उसने काम को ठीक समय पर समाप्त नहीं किया। इसलिए उस पर २५ लाख रुपये का जुर्माना किया गया था इस सम्बन्ध में मैंने सभा में कुछ प्रश्न पूछे जिनका स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं दिया गया। आपकी अनुमति से मैं २० अगस्त, १९५८ को श्री राज बहादुर द्वारा दिए गए उत्तरों को यहां पर पढ़ता हूं जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्पष्ट उत्तर देने को तैयार नहीं थे :—

"प्रश्न—क्या इस फर्म पर दण्ड किया गया है; यदि हां, तो कितना दण्ड किया गया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं?

उत्तर—मैंने विवरण में यह पहले ही बता दिया है कि २५ लाख रुपये की कीमत की साधारण काम को छोड़ कर सम्पूर्ण कार्य पूरा कर लिया है। काम के इस अंश के बारे में इस आशय का नोटिस दिया गया है कि दण्ड किया जा सकता है और यह विषय सरकार के विचारार्थ है।

प्रश्न—क्या यह सच नहीं है कि इस फर्म पर पहले ही दण्ड किया जा चुका है, भुगतान रोक दिया गया है और यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंप दिया गया है?

उत्तर—यह सच है।

प्रश्न—कितना जुर्माना किया गया है?

उत्तर—तृतीय भाग की कुल अनुमानित लागत ५,०२,४५,०८३ रुपये का दसवां भाग जो लगभग २५ हजार रुपये हैं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर भी उसी ठेकेदार को बताया जाये कि उसने संतोषजनक काम किया है तो बड़ी अजीब सी बात है। माननीय मंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए।

दूसरे ठेकेदार श्री उत्तम सिंह दुग्गल की सार्थ को लीजिए। उन्होंने पंजाब में कुछ काम किया था। जिसके सम्बन्ध में पंजाब विधान सभा की लोक लेखा समिति के विचार मैं यहां पर उद्धृत करता हूं :—

"ठेकेदारों ने व्यवसाय के सिद्धान्तों को भंग किया है इसलिए उनको किसी भी सरकारी काम का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। समिति की सिफारिश है कि राज्य सरकार इस सार्थ को कोई काम न दें तथा भारत सरकार को भी इस सम्बन्ध में सूचना भेज दें।"

परन्तु फिर भी रूरकेला तथा भिलाई में उनको ३ करोड़ रुपये का नया काम दिया गया। रूरकेला में उनका इतना काम खराब रहा कि उनकी सहायता के लिए हमें २१ लाख रुपया व्यय करना पड़ा। परन्तु इतनी असफलताओं के होते हुए भी उनको ३ लाख रुपये का यह नया ठेका दिया गया जिसको बढ़ाकर ४२ लाख रुपये का कर दिया गया। इस प्रकार की कितनी ही घटनाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। मैं तो यह बताकर केवल इतना जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री कृपा करके हमें यह बतायें कि भारत सरकार अथवा हिन्दुस्तान स्टील (प्राइवेट) लिमिटेड के कौन कौन व्यक्ति इस प्रकार के कामों के लिए जिम्मेदार हैं। हमने परामर्शदाताओं को परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिए ढाई करोड़ रुपया दिया है। तो यह आवश्यक था कि हमें यह ठीक ठीक प्रतिवेदन तथा सुझाव देते।

इन संयंत्रों को दिए जाने वाले कच्चे माल को लीजिए। संयंत्रों के बनने में देरी हुई और उसी प्रकार कच्चे माल के संभरण में भी देरी होनी आवश्यक थी। रूरकेला की खानें १९६० तक तैयार होंगी और भिलाई की खानें भी १२ से १५ महीनों में तैयार होंगी इसलिए इनके लिए कच्चा माल भी दूर से लाना पड़ेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात कोयले के बारे में है। हम करगली तथा दुग्दा में कोयला धोने के कारखाने रखना चाहते हैं। करगली पर ढाई करोड़ रुपया तथा दुग्दा पर ४ से साढ़े चार करोड़ रुपया व्यय होगा। और यह समय पर बनकर तैयार भी नहीं होंगे। इस संयंत्र में हमें उत्तम प्रकार का कोयला जलाना होगा। अर्थात् व्यय बहुत बढ़ जायेगा। चूने के पत्थर के लिए भी हमें व्यय बढ़ाना पड़ रहा है। रूरकेला में भी स्थान बदलने में २.६ करोड़ रुपये व्यय करने पड़े थे। यह सब अपव्यय ही किया गया और यह सब परामर्शदाताओं के कारण हुआ। जल संभरण के बारे में परामर्शदाताओं ने कहा कि रूरकेला में ७० क्यूज़ेक्ज़ पानी चाहियेगा परन्तु अब उन्होंने इसमें भी परिवर्तन कर दिया है और बढ़ा कर १२५ क्यूजेक्ज़ कर दिया है जब कि ब्रह्माणी नदी भी सूख गई है। इस नदी के बारे में इसी समय पदाधिकारी का कहना था कि यह नहीं सूखेगी जबकि स्वर्गीय मेघनाद साहा ने बताया था कि यह सूख जाती है। मेरा कहना है कि सरकार को इन सब बातों से कुछ सीखना चाहिए जिससे भविष्य में इस प्रकार की ग़लतियां दोहराई न जायें।

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : हम १९५६–५७ के पहले प्रतिवेदन का १९५८ में विचार कर रहे हैं जब कि हमें चौथे प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिए था। इतने बड़े सार्थ का प्रतिवेदन भी केवल एक पृष्ठ का है जब कि इसकी पूंजी ५०० करोड़ रुपये है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हमारी योजना असफल रही है। यहां तक कि हमारे परामर्शदाता इसका भी ठीक पता नहीं लगा पाये कि चूने का पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्य होगा अथवा नहीं। इतना तो स्थिति को देखकर एक साधारण व्यक्ति भी बता सकता था। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात को स्पष्टतया बतायें कि यह परामर्शदाता क्या करते रहे। हम इन परामर्शदाताओं को १५ करोड़ रुपया दे रहे हैं तो क्या यह लोग प्रारंम्भिक काम भी ठीक प्रकार से करने में उपयुक्त नहीं थे।

तीनों संयंत्रों की लागत पुर्ननिर्माण के पश्चात ४३९ करोड़ रुपये हो गई है परन्तु इसमें नगर बसाने की लागत, चूने के पत्थर की खान की लागत, जलसंभरण की लागत आदि शामिल नहीं हैं। हमारे परामर्शदाता इसको भूल गये। इस प्रकार पता लग जाता है कि यह पुनरीक्षित लागत भी ग़लत है क्योंकि इसमें इतनी मदें तो छोड़ दी गई हैं। मेरा विचार है कि यदि इन सब व्ययों को मिलाया जाये तो इन तीनों संयंत्रों की लागत ६०० करोड़ रुपये से अधिक आयेगी। मैं ने कल जो सुझाव दिया था कि इन संस्थाओं में संसद् सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये वह इसी उद्देश्य को सामने रखकर दिया था कि जो यह संस्थायें अनुचित रूप में काम कर रही हैं वह नहीं कर पायेंगी। संसद् सदस्य उनके सभी कार्यों पर नजर रख कर अल्प व्यय में काम कराने का प्रयत्न करेंगें।

इस सम्बन्ध में हमारी तीन शिकायतें हैं। पहली तो यह है कि कच्चे माल के लिए बुद्धिमानी से योजना नहीं बनाई गई। दूसरे पुनरीक्षित प्राक्कलनों में भी आवश्यक मदें क्यों नहीं दिखाई गईं। तीसरे हिन्दुस्तान स्टील में करोड़ों रुपयों के ठेके इस सभा को बिना कुछ बताये दिए गए। ठेकों के बारे में प्रश्न पूछने पर उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। मेरा अनुरोध है कि इन सभी बातों की जांच की जानी चाहिए।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हम इन संयंत्रों को बनाने के सम्बन्ध में चर्चा करते थे कि इसके लिये योजनायें बनाई जानी चाहिएं। परन्तु सात वर्ष तक परिश्रम करते रहने पर भी किसी ने हमारी सहायता करने के लिए क़दम नहीं उठाया। इन सात वर्षों के पश्चात् रूसी हमारी सहायता करने को आगे बढ़े हैं। मैं ने इन सभी समझौतों को देखा है जिनके आधार पर वह भारत में आये। उनमें उन्होंने स्पष्टतया कह दिया है कि कुछ निश्चित प्रकार की मदों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और भारत सरकार को उनके बारे में स्वयं तैयारी करनी चाहिए। भारत सरकार इन संयंत्रों को इतनी शीघ्रता से लगाना चाहती थी कि उसने उनकी सभी बातों को मान लिया।

मुझे रूरकेला तथा भिलाई के सम्बन्ध में कुछ बातें पूछनी हैं जिसका उत्तर माननीय मंत्री से मिलने की आशा है। एक बात तो यह है कि रूरकेला भिलाई तथा दुर्गापुर क्षेत्र में बड़ी असुरक्षा है और दूसरी यह कि रेलवे प्राधिकारियों, पत्तन प्राधिकारियों तथा इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों में समन्वय नहीं है। इसीलिए आयात किया गया मूल्यवान सामान अधिकांशतः विशाखापटनम, जबलपुर, सम्बलपुर तथा अन्य कितने ही स्थानों पर बाज़ार में बिक रहा है। मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय को इससे सम्बन्धित सभी प्राधिकारियों की एक समिति बनानी चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व को सामने रख कर स्थानीय सरकारों, पत्तन तथा रेलवे प्राधिकारियों में समन्वय तथा सहकारिता की भावना का प्रादुर्भाव करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किन कारणों से इस संस्था का मुख्य कार्यालय बार बार बदलती रहती है। पहले दिल्ली में बनाया गया फिर कलकत्ता ले जाया गया। लेकिन कुछ समय पश्चात् वापस दिल्ली लाया गया। मैं तो समझता हूं कि इसका कलकत्ते में रखा जाना अधिक ठीक था। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि इस संस्था का सभापति एक प्रशिक्षित व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि इसके सामान्य प्रबन्धक भी अनुभवी व्यक्ति रखे जाने चाहिएं।

निवास स्थान तथा भांडागार बनाने में शीघ्रता करनी चाहिए। दुर्गापुर में दोनों प्रकार के भवन बनाये जा रहे हैं उसी प्रकार रूरकेला तथा मिलाई में भी इनके बनाने में शीघ्रता करनी चाहिए। रूरकेला में रूसी तथा भिलाई में जर्मनी के विशेषज्ञों की प्रतिद्वन्दिता के कारण शीघ्रता से काम में हो ही रहा है परन्तु समन्वय भी दोनों में होना अनिवार्य है।

मेरा सुझाव है कि हमें अपने डिज़ाइन विभाग का विकास करना चाहिए। हाल में ही मुझे बताया गया कि इस संस्था ने डिजाईनिग विभाग खोलने के सम्बन्ध में निर्णय किया है। परन्तु अपने विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए हमें अभी और धन व्यय करना है। हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमारे इंजिनियर विशेषज्ञ शीध्रता से प्रशिक्षित हो कर विदेशी सहायता के बिना इन तीनों संयंत्रों का निर्माण कर सकें।

†**श्री पाणिग्रही** (पुरी) : हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड की कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें तथा मंत्री महोदय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि हमारी कहां कहां ग़लती हुई है ताकि हम इन से कुछ सीख सकें और आगे चल कर तीसरी योजना में भारत स्वयं इस्पात संयंत्रों को लगा कर काम को आगे बढ़ा सकें। मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

इस्पात के उत्पादन में चीन पर्याप्त प्रगति कर रहा है। उस ने २०० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। जबकि योजना काल का हमारा लक्ष्य ६० लाख टन है। इस से पता लगता है कि चीन कितनी लगन से इस्पात बनाने में लगा हुआ है। परन्तु हमारे यहां १६५८ में इस्पात का उत्पादन बढ़ने के बजाये उल्टा घट गया।

विभिन्न विशेषज्ञों ने १० लाख टन का इस्पात संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में यह आंकड़े बताये हैं कि प्रति वर्ष इस प्रकार के संयंत्र के लिये २०० लाख टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी और लगभग २० लाख टन कोयला, ५,५०,००० हज़ार टन चूने का पत्थर, ३ लाख टन डोलोमाइट, एक लाख टन कच्चा मैंगनीज़ तथा अन्य प्रकार की सामग्री चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे भारतीय परामर्शदाताओं का इस संयंत्र से सम्पर्क स्थापित हो जाये और भविष्य में यह परामर्शदाता सहायक सिद्ध हो सकें।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

दुर्गापुर को लौह-अयस्क देने का ठेका बर्ड एण्ड को० को दिया गया है। यह समवाय श्रम विरोधी नीति के लिये कुख्यात है। रूरकेला को लौह अयस्क देने का ठेका एक अमरीकी सार्थ को दिया गया है। जापान को २० लाख टन लौह अयस्क देने का समझौता भारत सरकार ने किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह काम किसी भारतीय सार्थ को दिया जायेगा अथवा यह भी किसी विदेशी सार्थ को ही दिया जायेगा। परन्तु पता लगा है कि यह ठेका भी एक जापानी सार्थ को दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाणिग्रही]

भारत सरकार ने हिसाब लगाया है कि इन तीनों संयंत्रों के बन जाने के बाद इन में १२० उच्च अर्हता-प्राप्त और अनुभवी इंजीनियरों की ज़रूरत होगी । इस के अलावा १२०० अर्हता-प्राप्त इंजीनियरों, १०,००० प्रवीण कर्मचारियों की तथा ७,००० अर्द्ध-प्रवीण कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी । मैं जानना चाहता हूं कि जब विदेशी सलाहकार आदि अपने देश चले जायेंगे तो क्या भारत सरकार इन संयंत्रों को चला सकेगी ?

रूरकेला की दशा बड़ी शोचनीय है । वहां पर श्रम विरोधी नीति अपनाई जा रही है, जिस के कारण श्रमिकों में बड़ा रोष है । दोनों पक्षों में सहकारिता की भावना भरने पर ही काम ठीक प्रकार से हो सकेगा । दूसरे रूरकेला में विदेशी फिटरों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है और इस प्रकार के कार्य करते हैं जिन से देश की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचता है । उन पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिये ।

अन्त में मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री को जल संभरण के सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिये तथा भारतीय परामर्शदाताओं का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री सोमानी** (दौसा): देश में तीन इस्पात संयंत्रों का स्थापित किया जाना वास्तव में एक महत्वपूर्ण कार्य है । परामर्शदाताओं के साथ किये गये करारों आदि के संबंध में मुझे कुछ जानकारी नहीं है अतः मैं इन परियोजनाओं के संचालन के सम्बन्ध में ही कुछ सुझाव दूंगा । इन परियोजनाओं के प्रभारियों पर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे इन की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करें । मेरा सुझाव है कि तीनों परियोजनाओं को या तो स्वतंत्र समवाय बना दिया जाये या हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड में तीन स्वतंत्र बोर्ड बना दिये जायें जो इन तीनों परियोजनाओं का कार्य देखें । इस के बिना कार्यों के सम्बन्ध में अच्छी तरह विचार कर पाना सम्भव नहीं होगा । अतः इन परियोजनाओं के सफल संचालन के लिये कुछ विकेन्द्रीकरण आवश्यक है ताकि उन की समस्याओं पर अच्छी तरह विचार किया जा सके ।

मेरा एक सुझाव यह भीं है कि चूंकि अब वह समय नजदीक आ गया है जब इन परियोजनाओं में उत्पादन शुरू हो जायेगा । सरकार को चाहिये कि वह अधिमान्यता पूंजी या समन्याय पूंजी के रूप में जनता को इस के अंश दे । इस से दो लाभ होंगे—एक, सरकार को आर्थिक सहायता मिल जायेगी और दूसरे, जनता के लोग इन परियोजनाओं के संचालन में सक्रिय रुचि लेने लगेंगे तथा रचनात्मक सुझाव देने लगेंगे ।

इस के अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि इन परियोजनाओं को जो लौह अयस्क दिया जाता है वह राज्य व्यापार निगम के हाथ में ही क्यों रखा जाये । इस काम को स्वतंत्र रूप से क्यों न होने दिया जाये क्योंकि सामान्य व्यापार साधनों से यह काम अधिक अच्छी तरह चल सकेगा ।

इस्पात उद्योग द्वारा विदेशों को किये जाने वाले निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए मेरा यह भी सुझाव है कि हमें अनुभवी व्यापारियों तथा अन्य क्षेत्रों के कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग लेना चाहिये ताकि सभी लोगों के अनुभवों का लाभ हम उठा सकें ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : सब से पहली बात हमें यह कहना है कि यह प्रतिवेदन बहुत सूक्ष्म है । मेरा निवेदन माननीय मंत्री से यह है कि वे एक विस्तृत प्रतिवेदन उपस्थापित किया करें क्योंकि विनियोजन तथा उत्पादन क्षमता की दृष्टि से इस्पात परियोजनायें हमारी रेलवे के ही समान हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन को देखने पर मैं एक बात महसूस करता हूं कि इन परियोजनाओं के लिये जो प्राक्कलन तैयार किये गये थे वे बहुत ही गलत निकले। पहले मूलतः ३४५ करोड़ व्यय होने की आशा थी पर १९४८ में यह व्यय बढ़ा कर ४३९ करोड़ रु० कर दिया गया और लगता ऐसा है कि परियोजना को तैयार होते होते व्यय बढ़ कर ६०० करोड़ रुपये हो जायेगा। अतः समुचित प्राक्कलनों द्वारा हमें सब से पहले यह पता लगा लेना चाहिये कि कुल कितना व्यय होगा तथा बाद में उस से कितना लाभ होगा। हमारे देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत केवल २२ पौंड है जबकि अमरीका में १३१७ पौंड, ब्रिटेन में ८४२ पौंड और रूस में ४८६ पौण्ड। यदि आरम्भ में हम केवल एक संयंत्र को ले कर चलते तो हमें विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो गई होती और वह संयंत्र १९५४ या ५५ तक उत्पादन भी शुरू कर चुका होता। पर हम ने वह अवसर खो दिया और अब विदेशी संयंत्रों के दाम बढ़ जाने से हमें १९३ करोड़ के स्थान पर २५६ करोड़ रु० व्यय करने पड़ रहे हैं।

भिलाई परियोजना का कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है यदि अन्य करारों में भी हम ने उन बातों का ध्यान रखा होता जो भिलाई संयंत्र के करार में रखा था, तो हमें काफी बचत हो गई होती। प्रतिवेदन में बताया गया है कि तीनों संयंत्रों का प्रबन्ध एक समवाय द्वारा होगा। यह भी कहा गया है कि हिन्दुस्तान स्टील का मुख्यालय दिल्ली में रहे। मुझे आश्चर्य है कि लोग दिल्ली के प्रति इतने लालायित क्यों हैं ? क्यों न इस का मुख्यालय कहीं इस्पात क्षेत्र में ही रखा जाये। दूसरा सुझाव यह भी है कि निदेशकों तथा सभापति को न हटाया जाये। ये स्थायी पदाधिकारी होने चाहियें।

अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारे तीन संयंत्र तो लगभग पूर्ण हो रहे हैं। चौथा संयंत्र लगाने की तैयारी हम कर रहे हैं। पर जब तक हमारे यहां प्रारूप तैयार करने वाले तथा इंजीनियरों व मंत्रणादाताओं की व्यवस्था न हो जाये हमें चौथा संयंत्र आरम्भ नहीं करना चाहिये। यदि हम इन बातों पर विचार किये बिना ही चौथे संयंत्र का काम शुरू कर देंगे तो फिर हमें उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना होगा। हमें चीन के उदाहरण से लाभ उठाना चाहिये। चीन में अभी १०,००० टन के अनेक छोटे-छोटे संयंत्र बनायें गये हैं। हमें भी वैसा ही करना चाहिये। इस से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जागृति पैदा होगी। अतः अगले संयंत्र के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें इन बातों पर अवश्य विचार कर लेना चाहिये।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं इस अवसर का स्वागत करता हूं। जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उस से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। आप को याद होगा कि गत बजट वाद-विवाद के अवसर पर मंत्रालय के प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन में पूरी जानकारी दी गई थी। और चर्चा शुरू होने से पहले मैं ने उस में से एक विस्तृत विवरण पढ़ा भी था ताकि सदस्यों को अब तक के विकास और प्रगति का ज्ञान हो जाय और वे उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकें। यद्यपि इस समय हिन्दुस्तान स्टील के १९५६-५७ के प्रतिवदन का प्रश्न था, परन्तु फिर भी सदस्यों ने न केवल टिप्पणियां ही कीं प्रत्युत काम की प्रगति के सम्बन्ध में भी सामान्यतः अपना मत व्यक्त किया उन्हों ने दोष भी बताये और उन्हें सुधारने के लिये निगम के प्राधिकारियों के समक्ष कुछ सुझाव भी रखे। मैं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति इस बात के लिये आभार प्रदर्शन करता हूं।

हमारी औद्योगिक योजनाओं में इस्पात का जो महत्व है, उस के सम्बन्ध में सारा सदन एक-मत है। इस दिशा में हम ने जो अनुमान लगाये हैं वे न हमारे स्तर से ऊंचे हैं और न नीचे। हम ने कोई ऐसी बात नहीं की जोकि नहीं करनी चाहिये थी। कई दिशाओं से हमारी आलोचना भी हुई कि हम अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर रहे। परन्तु कारण यह था कि हम बहुत पहले

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

ही देश की आवश्यकता के अनुसार इस्पात की व्यवस्था करने में लगे हुए थे । इस से यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते समय हमारा इस्पात को महत्वपूर्ण स्थान देने का निश्चय ठीक ही था । आगे चल कर यह बात और स्पष्ट होती जायेगी कि हम ने इस्पात निर्माण को प्राथमिकता दे कर अच्छा ही किया । इस के बिना जिस औद्योगिक व्यवस्था को हम देश में लाना चाहते हैं, वह नहीं ला सकेंगे । कहा गया है कि इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में काफी देर और भूलें की गई हैं । परन्तु मैं यह कहूंगा कि परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में देरी हो जाना हानिकारक है और यह अच्छा नहीं । परन्तु इस्पात जैसी महत्वपूर्ण चीज के निर्माण के संबंध में, जोकि हमारी अर्थव्यवस्था की आवश्यक वस्तु है, थोड़ा गम्भीर अध्ययन करना जरूरी हो जाता है । मैं माननीय सदस्यों की इस इच्छा को समझता हूं । वे चाहते हैं कि देरी न हो और जितना सम्भव हो सके शीघ्रता से काम को आगे बढ़ाया जाये ।

हमें याद रखना चाहिए कि इतनी बड़ी परियोजना के लिये अपनी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना अति कठिन है, क्योंकि आवश्यकताओं में ही विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माण होते समय तक हम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान नहीं लगा सके थे । मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५ लाख की क्षमता के एक इस्पात संयंत्र का उल्लेख हुआ था । परन्तु जिस समय जांच आरम्भ हुई तो इस्पात आवश्यकताओं का परीक्षण किया गया । क्या इस बात की ओर काफी ध्यान दिया गया ? पता यह चला कि हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुमान बहुत ही कम लगाये थे । उनका पुनरीक्षण किया गया और सरकार ने यह निश्चय किया कि जमशेदपुर और बर्नपुर के गैर-सरकारी संयंत्रों का काफी सीमा तक विस्तार किया जाये । इससे टाटा और "इण्डियन आयरन" की उत्पादन क्षमता ५ लाख टन हो गयी । इस विस्तार कार्य-क्रम के अतिरिक्त हमें तीन अन्य इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता थी जो कि सरकारी क्षेत्रों में चालू किये जायेंगे और प्रत्येक की क्षमता १० लाख की होगी ।

आरम्भ में रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये सब से पूर्व रचनात्मक प्रयत्न किये गये । सामान और मशीनरी के सम्भरण के लिए विदेशी सहायता भी ली गयी । मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी प्रारम्भिक अवस्था ही प्रतिवेदन का मुख्य विषय थी और आज सदन में जो चर्चा हो रही है उसका आधार भी यही है । अन्य दो इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में भी जहां तक बातचीत करने का सम्बन्ध था प्रारम्भिक बातचीत पूरी की गयी थी, और यह सब सरकारी स्तर पर हुई । इसका कारण यह है कि दूसरी ओर रूस की सरकार थी, जो हमें ऋण की तथा प्राविधिक सहायता देने को तैयार थी । ब्रिटेन से भी, बैंकिंग संस्थाओं के बीच कुछ व्यवस्था करने से कर्जे की कुछ सुविधाओं की आशा हुई थी । इसकी गारण्टी ब्रिटेन की सरकार द्वारा दी जानी थी । इसीलिए उचित यही समझा गया था कि भिलाई तथा दुर्गापुर सम्बन्धी बातचीत प्रारम्भिक अवस्था में सरकारी स्तर पर ही होनी चाहिए । यही कारण है कि इस प्रतिवेदन में उन दो संयंत्रों का कोई उल्लेख नहीं । उस समय समवाय केवल रूरकेला परियोजना का कार्य ही कर रहा था । जब अप्रैल १९५७ में ब्रिटेन और रूस से बातचीत लगभग अन्तिम रूप में पहुंच गई, तो यह निश्चय किया गया कि ये तीनों संयंत्र एक ही समवाय को दे दिये जायें । यही समवाय इसकी सारी व्यवस्था करेगा और इन तीन इस्पात सन्यन्त्रों के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ायेगा । यह संक्षेप से इस्पात निगम की वर्तमान अवस्था की पृष्ठभूमि है ।

आज की चर्चा को आरम्भ करने वाले दो उत्साही वक्ताओं ने निर्माण पक्ष की ओर कोई ध्यान न देकर केवल एक दो ठेकों की ही बात की है, जिनके सम्बन्ध में मैं संक्षेप से आगे चल कर उल्लेख

करूंगा। यह कहना कि उनकी छानबीन नहीं की गयी, ठीक बात नहीं है। ऐसी बात कहने वाले महानुभाव सार्वजनिक मामले में काफी अनुभव रखते हैं और मेरे विचार में वे इन संयंत्रों को देखने भी गये थे। उन्होंने परियोजना की अच्छी बातें भी देखीं परन्तु उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का उन्हें समय ही नहीं मिला। गत एक दो वर्षों में जो लोग भी इन संयंत्रों को देखने गये हैं, वे इस महान् कार्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। वहां देशी और विदेशी कारीगर सहयोग से काम करके इन संयंत्रों के निर्माण कार्य को आगे ले जा रहे हैं। ये सन्यन्त्र हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए बड़े ही आवश्यक हैं।

मुझे विश्वास है कि सदन को निर्माण पक्ष की वर्तमान स्थिति जानने की इच्छा होगी और मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि वहां क्या हो रहा है और हम किस अवस्था में हैं। इन तीन महान इस्पात संयंत्रों का कार्य एक ही समय पर बड़ा ही रोमांचकारी प्रयास है। सदन को ज्ञात ही है कि प्रगतिशील देशों में शायद ही कहीं इस प्रकार का प्रयास हुआ हो। हमें संयंत्रों के अतिरिक्त और भी प्रत्येक प्रकार के कामों को करना पड़ा है। वास्तविकता यह है कि हम उन क्षेत्रों का जीवन ही बदल रहे हैं। मैं अपनी कमियों और कठिनाइयों को जानता हूं लेकिन आप सब सहमत होंगे कि इतने बड़े प्रयास में हम बुरे नहीं रहे। अब निर्माण कार्य अपने उच्चतम शिखिर पर पहुंच गया है। रूरकेला में ४५,००० भिलाई में ४५,००० और दुर्गापुर में २५,००० से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। भिलाई और रूरकेला में दो तिहाई सामान भी मौके पर पहुंच चुका है, और प्रथम भट्टी को चालू भी कर दिया गया है। दिसम्बर तक कोक का उत्पादन आरम्भ भी हो जायेगा और दिसम्बर के अन्त तक इस दिशा में सब काम पूर्ण कर लिया जायेगा। फिर भी उत्पादन तुरन्त तो आरम्भ हो नहीं जाता। भट्टी विद्युत् संयंत्र तथा सम्बद्ध सभी बातों का अच्छी प्रकार से परीक्षण करना पड़ता है और उसका ठीक ढंग से समन्वय करना होता है। यह बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि एक बार भट्टी को चालू कर दिया जाये तो उत्पादन कार्य दिन रात चालू रहता है। थोड़ी सी रुकावट से भी कई दिनों तक कार्य रुक जाता है। इसलिए कह नहीं सकते कि कब हम लोहा निर्माण का कार्य आरम्भ कर सकेंगे, परन्तु इस बात की पूरी आशा है कि वह दिन बहुत दूर नहीं। यह वास्तविक स्थिति है, इसमें शेखी मारने की कोई बात नहीं। मुझे आशा है कि इस योजना काल के अन्त तक हम इस्पात का काफी उत्पादन कर लेंगे और बिक्री भी काफी होने लगेगी।

इस सम्बन्ध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो लोग इन संयंत्रों को चलायेंगे, वे भी युवक ही हैं, और हाल ही में उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। ऐसे लोग बहुत कम ही होंगे जिन्हें इस्पात उत्पादन का बहुत अच्छा अनुभव हो। अतः कुछ थोड़े से विदेशी कर्मचारियों की सेवायें भी ली जायेंगी ताकि उत्पादन के कार्य की गति को ठीक किया जाये। यह भी संयंत्र निर्माण से कम कठिन कार्य नहीं। बहुत से सदस्यों ने प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव का उल्लेख किया है। इन तीन संयंत्रों के लिए योग्य प्राविधिक व्यक्तियों को तलाश करना कोई छोटा कार्य नहीं है। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की ओर समुचित ध्यान दिया गया है और कर्मचारियों को चुनने और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उचित प्रबन्ध किये गये हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि उन्हें ठीक प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हो। हमने इस कार्य के लिये सैकड़ों प्राविधिक योग्यता रखने वाले युवकों का चुनाव किया है। देश में अथवा विदेशों में विभिन्न स्थानों पर भेज कर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में मुझे विदेशी सरकारों और अन्य सम्बद्ध लोगों की सराहना करनी है और उन्हें धन्यवाद देना है कि उन्होंने कृपा करके हमें इसके लिए सुविधायें प्रदान कीं। प्रशिक्षण के लिए हमने सैकड़ों की संख्या में लोगों को रूस, अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा अथवा पश्चिमी जर्मनी और आस्ट्रेलिया में भेजा। अन्य देशों में भी हम प्रशिक्षण की सम्भव सुविधायें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे देश की कुछ इंजीनियरिंग सार्थों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहे इस्पात संयंत्रों ने भी प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान कीं। भद्रावती में चल रहे सरकारी इस्पात कारखाने

[सरदार स्वर्ण सिंह]

में भी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दिशा में देश में उपलब्ध सभी साधनों को प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया और काफी संख्या में लोगों को बाहर भी भेजा गया। लक्ष्य यही है कि हमारी आवश्यकतायें पूरी हो जायें। यह ठीक है कि प्रारम्भ में हमें ऐसे व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुये जो कि ठीक ढंग से कार्य कर सकें। विशेष रूप से उच्च स्तरों पर काम करने वालों का काफी अभाव था; इसके लिए योग्य भारतीयों की भर्ती का जहां तक प्रश्न है, हम, जो कुछ देश में उपलब्ध था, उसी पर ही आश्रित रह सकते थे। टाटा और इण्डियन आयरन वाले भी अपना विस्तार कर रहे थे। उनके लिए भी कुछ लोगों को इधर भेज देना सम्भव नहीं था जो कि उच्च स्तर का काम सम्भाल सकें। इस पर भी कोई ढंग निकाला गया और परस्पर बातचीत द्वारा हमें काफी अच्छे योग्य व्यक्ति उपलब्ध हो गये। यह ठीक है कि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया गया।

जब तक हमारे अपने नवयुवक पूरी तरह विश्वास और अनुभव से इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर न ले सकें, तब तक हमें विदेशियों पर आश्रित रहना ही होगा परन्तु यह कोई लज्जित होने की बात नहीं है। आज हमारे जो वर्तमान इस्पात संयंत्र चल रहे हैं, उनमें वर्षों तक विदेशी विशेषज्ञ उच्च स्तर के पदों पर कार्य करते रहे हैं। माननीय सदस्य शायद यह बताना चाहते थे कि हमें इन कमियों का पता ही नहीं और इन बातों का हमें एकाएक पता चला है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है। हमें प्रारम्भ से ही पता था कि हमें विदेशी प्रविधिकों की आवश्यकता होगी। वे न केवल कुछ समय के लिए उच्च स्तर के पदों को ही सम्भालेंगे प्रत्युत् हमारे लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे, ताकि अनुभव प्राप्त करके हम अपने उत्तरदायित्व को स्वयं सम्भाल सकें।

विदेशी विशेषज्ञों को उपलब्ध करने के मामले में भी हम व्यवस्था करने में सफल हो गये हैं, और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। मैं निराश नहीं हूं और विश्वास है कि हमें ठीक और समुचित प्रकार के व्यक्तियों को, जो कि इन संयंत्रों के लिये अपेक्षित हैं प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अन्य विषय, जिस पर सभा के विभिन्न भागों ने आलोचना की है, अनुमानों के बारे में है। इसके सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक बात कहना चाहता हूं। जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं समय समय पर सदन के समक्ष समस्त जानकारी प्रस्तुत करता रहा हूं। प्रश्नों के उत्तर में भी, मैं इससे सम्बन्धित जानकारी सदन में प्रस्तुत करता रहा हूं। यह जानकारी संयंत्र की लागत के अनुमान और अन्य खर्चे के सम्बन्ध में थी। प्रायः यह बात कही गयी कि प्रथम अनुमानों को प्रस्तुत करते समय हम कई बातों को छोड़ गये थे। मेरा निवेदन है कि क्या इस प्रकार की आलोचना को उचित कहा जा सकता है। सदन के समक्ष यह बता दिया गया था कि कई बातों का अनुमान अभी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं। यदि कुछ अन्य खर्चों इत्यादि को मिला कर आंकड़े बढ़ गये तो सरकार के विरुद्ध शिकायत नहीं होनी चाहिए इस सम्बन्ध में समय समय पर पूर्ण स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती रही है। जब भी कोई जानकारी प्राप्त हुई उसके आंकड़े संसद् के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये। यह ठीक है कि सन्यन्त्र के कुछ भागों के बारे में कई बार कई प्रकार के परिवर्तन अवश्य हुये हैं। इस कारण अनुमानों का भी उसके साथ साथ पुनरीक्षण करना पड़ा। परन्तु मैं यह बात कहना चाहता हूं कि इस काम को सम्भालते हुये जो अनुमान मैंने पहले प्रस्तुत किये थे उनमें और इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। माननीय सदस्य की यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो आंकड़े समय समय पर प्रस्तुत होते रहे हैं, उनमें हाल ही में भारी परिवर्तन किये गये हैं।

†**श्री नाथ पाई :** रोलिंग मिल के मामले में ४८ करोड़ रुपये से ७२ करोड़ रुपये की वृद्धि क्या छोटी सी बात है ? रूरकेला में 'सामान्य सेवाओं' के अन्तर्गत १३ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९ करोड़ रुपये हो गया है। क्या इस की उपेक्षा की जा सकती है ? क्या सदन का इस मामले में विश्वास प्राप्त किया गया था ? इस मामले में मंत्री महोदय ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरे माननीय मित्र कुछ अधिक अधीर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोलिंग मिल की कीमत में वृद्धि हुई है। यह तो प्रारम्भिक समय के बारे में मैं ने कहा था जब उस की स्थापना हुई थी ; अब उस में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति का सामना करने के लिये हमें जहां परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई, वहां ऐसा किया गया है। कीमतों इत्यादि का मामला एक सा नहीं रह सकता और कई कारणों के प्रभाव में परिवर्तन करना ही पड़ता है। हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण से मामले को सोचना था ; यह कहना गलत है कि जब चाहा अपनी मर्जी से आंकड़ों में परिवर्तन कर लिया गया है।

अब भी मैं स्थिति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार हूं। यह आंकड़े समय समय पर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। मैं आज जो कुछ संक्षेप से कह रहा हूं, उसे मैं कई बार प्रश्नों के उत्तर में अथवा विभिन्न चर्चाओं में यहां बता चुका हूं।

मैं ने कल एक प्रश्न के उत्तर में यह पूरा विवरण बताया था कि अभी तक इस्पात के कारखानों की कुल लागत में कितनी विदेशी मुद्रा लगी और उसमें कितनी की अदायगी की जा चुकी है। मैं ने बताया था कि इस्पात कारखानों पर ही जो कुल लागत होगी, उस में रूरकेला पर १६० करोड़, भिलाई पर १३१ करोड़ और दुर्गापुर पर १३८ करोड़ रुपये लगेंगे। इस के अलावा, इस्पात कारखानों से सम्बन्धित अन्य कार्यों पर लगभग १२० करोड़ रुपये लगेंगे। खुशी की बात यह है कि इन प्राक्कलनों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। इस में से अधिकांश व्यय इस योजना-काल की समाप्ति तक पूरा किया जायेगा, शायद कुछ थोड़ा ही अगली योजना के लिये रह जायेगा।

माननीय सदस्यों ने प्रावकलनों के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, उस सब का आशय यही निकलता है कि प्रारम्भिक प्राक्कलन करते समय हमारे सलाहकारों ने अधिक सतर्कता नहीं रखी और न अधिक सूझ-बूझ का ही परिचय दिया और इसलिये उन्हों ने व्यय को बहुत कम कर के आंका था, जिस के कारण ही अब समय-समय पर अतिरिक्त मदों पर व्यय में वृद्धि करने का प्रश्न उठता है।

इन इस्पात कारखानों की अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। रूरकेला के सम्बन्ध में तो सारा प्राक्कलन सलाहकारों ने ही किया था। इस सम्बन्ध में सलाहकारों ने बार-बार यह भी कहा है कि उन्होंने जान बूझकर प्राक्कलनों को कुछ कम ही रखा था, क्योंकि उस के आधार पर ही बाद में लोगों को अपने टेण्डर देने थे। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से यह कोई बुरा नहीं रहा, क्योंकि यदि उन के प्राक्कलन अधिक उदार होते तो टेण्डरों में भी अधिक राशि भरी जाती है और उससे देश को अधिक राशि व्यय करनी पड़ जाती।

भिलाई इस्पात कारखाने के सम्बन्ध में जो प्राक्कलन किये गये थे, वे सम्भरणकर्त्ताओं के मूल्य-कथनों के आधार पर ही थे।

†**श्री पाणिग्रही :** शायद रूरकेला में सलाहकार और सम्भरणकर्त्ता एक ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** हो सकता है कि एक-दो मदों में दोनों एक ही हों, लेकिन सभी में नहीं। उस में २४ या २५ सम्भरणकर्त्ता फर्में हैं। वे इस्पात कारखाने के लिये आवश्यक भिन्न-भिन्न उपकरणों का सम्भरण करती हैं। लेकिन वे सभी फर्में सलाहकार नहीं हैं।

सामान्यतया किया यह गया है कि यदि हिन्दुस्तान-स्टील या सरकार ने कारखाने के लिये किसी उपकरण के सम्भरण का ठेका किसी ऐसी फर्म को भी दिया जो सलाहकारों से सम्बन्ध रखती हो, तो फिर उस फर्म ने उस उपकरण विशेष के मूल्य-कथनों के बारे में विचार करने या सलाह देने से अपने आप को अलग कर लिया है। इसलिये उस पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कोई ग़लतफ़हमी हुई है। सम्भरणकर्त्ता फर्म को अपने उपकरणों के सम्बन्ध में सलाह देने का कार्य नहीं करने दिया गया है।

मैं इस समय इस के पूरे ब्यौरे को पेश नहीं कर सकता, क्योंकि इतना समय नहीं है। श्री मुरारका के साथ हुए पत्र-व्यवहार में, मैं ने उन को यथा सम्भव पूरी सूचना देने का प्रयास किया है।

श्री नाथ पाई और श्री मुरारका ने एक मोटे तौर पर दो ही ठेकों की आलोचना की है। उन में से एक ठेका तो असैनिक निर्माण-कार्यों के लिये होचिफ़-गामन को और दूसरा असैनिक इंजीनियरों की एक फर्म--डुग्गल्स-- को दिया गया था। ये दोनों मामले प्राक्कलन समिति के सामने रखे जा चुके हैं और श्री नाथ पाई भी उस के सदस्य हैं।

†**श्री नाथ पाई :** मैं उस समिति का सदस्य नहीं हूं।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे खेद है कि मेरी सूचना गलत है। मैं असल में कह यह रहा था कि इन दोनों ठेकों के मामले प्राक्कलन समिति के सामने पेश किये गये थे और हिन्दुस्तान स्टील कंपनी ने इन के बारे में पर्याप्त सूचना भी जुटाई थी। मैं फिर से आप के सामने वह पूरा ब्यौरा रख रहा हूं, जिस से कि सभा स्वयं ही निर्णय कर सके कि इन में कोई गोलमाल था भी या नहीं।

चर्चा के दौरान में होचिफ़-गामन को दिये जाने वाले ठेके का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में लोग यह अक्सर भूल जाते हैं कि रोलिंग मिल्स के असैनिक इंजीनियरिंग के कार्य का यह ठेका इस्पात कारखानों के कार्य की सब से बड़ी मदों में से एक है। यह काम बहुत बड़ा और पेचीदा था और कारखानें की इमारत खड़ी करने के कार्य के साथ इस कार्य का सह-कार्य होना बहुत आवश्यक था। इसलिये यह जरूरी था कि इस कार्य का ठेका किसी ऐसी फर्म को दिया जाये जिसे इस का व्यावहारिक ज्ञान भी हो और जिस के पास इस के लिये पर्याप्त संसाधन भी हों। इसी काम के लिये, पिछले साल, भिलाई में खुले टेण्डर मांगे गये थे, लेकिन उस का कोई फल नहीं निकला था। लेकिन फिर भी, अनुमोदित सूची में सम्मिलित सभी फर्मों से टेण्डर मांगे गये थे। समूचे कार्य या केवल एक ही हिस्से के लिये भी टेण्डर दिये जा सकते थे। समूचे कार्य के लिये दो फर्मों के टेण्डर आये थे। इन दो फर्मों में से एक फर्म के पास आवश्यक उपकरण और संसाधन नहीं थे, और दूसरी फर्म उस समय दुर्गापुर में कुछ काम कर रही थी और उसे भी समय पर पूरा नहीं कर पा रही थी। और चूंकि यह काम एक साथ ही और ठीक समय पर पूरा कराना जरूरी था, इसलिये हमारे सामने एक ही रास्ता रह गया था कि उन अन्य दो फर्मों के प्रस्तावों पर विचार किया जाये जिन्हों ने लक्ष्य-मूल्य के आधार पर काम करने की बात कही थी। इन दो फर्मों में से एक फर्म तो इंगलैंण्ड की थी, जिस का प्राक्कलन काफी अधिक होने के साथ-साथ उस में विदेशी मुद्रा का व्यय भी बहुत अधिक था। दूसरी फर्म थी--होचिफ़-गामन, जो एक जर्मन और एक भारतीय फर्म के सहयोग से बनी

†मूल अंग्रेजी में

थी । यह ठेका इसी दूसरी फर्म को लक्ष्य-मूल्य के आधार पर दिया गया था । केवल इसी आधार पर यह ठेका दिया जा सकता था । इस का कुल लक्ष्य-मूल्य ७७७.६ लाख रुपये है, और इस में सामग्री तथा श्रम (५०६.४ लाख रुपये), अधीक्षण तथा उपकरण (१५६.५ लाख रुपये) और निर्धारित ऊपरी व्यय तथा फीस (११५ लाख रुपये) शामिल हैं । दरों में कोई घटा-बढ़ी होने पर इस लक्ष्य-मूल्य को घटाया-बढ़ाया जा सकता है । यदि लक्ष्य-मूल्य से कम में ही यह काम पूरा हो जाये, तो फर्म को बोनस देने की व्यवस्था भी है । और यदि इस की वास्तविक लागत लक्ष्य-मूल्य से अधिक हो जाये, तो जुर्माने के रूप में उस अतिरिक्त लागत का केवल एक-तिहाई ही फर्म को दिया जायेगा । बोनस या जुर्माने की अधिकतम सीमा १५.५ लाख रुपये रखी गई है ।

श्री मुरारका ने कहा था कि इस ठेके में मशीनों के लिये बहुत अधिक दरें रखी गई हैं । इस काम के लिये एक बड़े पैमाने पर ऐसे मशीनी उपकरणों की आवश्यकता थी, जो हिन्दुस्तान स्टील के पास नहीं थे । और यदि वह उन को खरीदने जाती तो विदेशी मुद्रा के साथ ही उस में काफ़ी विलंब भी हो जाता । दूसरी ओर, होचिफ़-गामन के पास वह उपकरण भारत में ही मौजूद थे । इसलिये हम ने यही विकल्प चुना था ।

इस के अलावा दूसरी बात यह भी है कि इस प्रकार के उपकरण असैनिक इंजीनियरिंग का काम करने वाली फर्मों के पास रहते ही हैं । फर्म अपने उपकरण के उपयोग के लिये भी कुछ दर निर्धारित कर सकती है, और इस ठेके के प्राक्कलन में उसे भी अलग से दिखाया गया है, जिस से कि लक्ष्यों का मूल्यांकन यथार्थवादी ढंग से किया जा सके ।

व्यक्तिगत ठेकेदारों इत्यादि की ओर से इस तरह सफाई देना बड़ा बुरा लगता है । इसलिये मैंने एक वस्तुगत दृष्टि से सारी परिस्थितियां आप के सामने रख दी हैं । हम ने यह गलत किया है या सही, इस का निर्णय तो इस काम के पूरे होने पर ही उस के फल को देख कर ही किया जा सकेगा ।

केवल सैद्धान्तिक आधार पर या महज ख्याली बातों के फेर में पड़ कर, इस तरह किसी भी चीज़ को बुरा-भला कहना ठीक नहीं है । हमें उस की पृष्ठभूमि, उस की परिस्थितियों को भी पहले देख लेना चाहिये । हमें ठीक समय पर काम पूरा कराने की जरूरत को भी भुला नहीं देना चाहिये । यदि माननीय सदस्य को किसी एक मद से सन्तोष न हों, तो उन्हें कहना चाहिये कि उसे समझने में ग़लती की गई है । लेकिन यह तो अनुचित है कि इस तरह हर चीज़ को ग़लत बताया जाये ।

श्री भरूचा ने जर्मन बढ़इयों को दिये जाने वाले वेतनों का ज़िक्र किया था कि वे बहुत ऊंचे हैं । हमारे अपने देश में ही बड़े अच्छे बढ़ई मौजूद हैं । लेकिन इस काम में बड़े ही पेचीदा क़िस्म के लकड़ी के काम की आवश्यकता थी, इसलिये हमें जर्मनी से अधिक कुशल और अनुभवी बढ़इयों को बुलाना पड़ा है । विशेषज्ञता चाहने वाले कामों के लिये, हमें विदेशों से टेक्नीशियन बुलाने ही पड़ेंगे । हमें उन के अनुभव से लाभ उठाना ही चाहिये । और फिर उन्हें अधिक वेतन देने में भी संकोच नहीं करना चाहिये, क्योंकि अन्य देशों के वेतन-ढांचे भारत के वेतन-ढांचे के मुकाबले कहीं ऊंचे हैं । हर विदेशी टेक्नीशियन पर हमें सामान्यतया कम से कम ३,००० रुपये खर्च करने ही पड़ते हैं । एक बात यह भी है कि विदेशों से इतनी दूर अपना घर छोड़ कर आने वाले टेक्नीशियनों को कुछ अधिक तो देना ही पड़ेगा । उन के व्यावहारिक ज्ञान का लाभ उठाने के लिये यह करना ही पड़ता है । इसलिये हमें उन के वेतनों की तुलना अपने देश के वेतनों से नहीं करनी चाहिये । ऐसी आलोचना बड़ी अनुचित होती है । मैं तो उन की सभी प्रकार की सहायता के लिये कृतज्ञता प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

अब दूसरे ठेके की बात लीजिये । उस के उल्लेख के बिना यह विवरण अपूर्ण रहेगा । भट्टियों के काम का ठेका मेसर्स दुग्गल एण्ड कम्पनी को दिया गया था । उन का मूल्य-कथन ही सब से कम था । लेकिन वह फर्म निर्धारित समय-सूची के अनुसार काम आगे नहीं बढ़ा सकी, इसलिये वह ठेका रद्द कर दिया गया ।

इसका कारण यह था कि इस फर्म को इस प्रकार के कार्य का कोई अनुभव नहीं था । साथ ही, उसके पास आवश्यक उपकरण और टेक्नीशियन भी नहीं थे । १९५७ के मध्य तक यह फर्म अपने काम में काफ़ी पिछड़ गई थी । उसमें छैः महीने विलम्ब हो जाने का अनुमान था । अब हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के सामने दो ही रास्ते थे —— या तो मेसर्स दुग्गल एण्ड कम्पनी की क्षमता बढ़ाई जाये, या फिर किसी दूसरी फर्म को ठेका दिया जाये । इसी लिये, समय-सीमा की दृष्टि से, हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने सोचा कि यह काम किसी दूसरी फर्म को सौंपा जाये जिसे ऐसे काम का अनुभव हो और जिसके पास पर्याप्त संसाधन भी हों । ऐसी कोई भारतीय फर्म थी नहीं और यदि विदेशी फर्म को दिया जाता तो उसे नये सिरे से काम का संगठन करने में काफी समय लगता और साथ ही लागत भी बढ़ जाती । इसलिये, सिवा इसके कोई और चारा ही नहीं था कि मेसर्स दुग्गल एण्ड कम्पनी की ही क्षमता बढ़ाई जाये और उसके लिये किसी ऐसी विदेशी फर्म का सहयोग प्राप्त किया जाये जिसके पास व्यावहारिक ज्ञान भी हो और टेक्नीशियन भी हों ।

मेसर्स दुग्गल एण्ड कम्पनी इस बात पर सहमत हो गई कि वह छैः से बारह महीनों तक के लिये जर्मनी से भेजे जाने वाले ३६ फोरमैन और विशेषज्ञता प्राप्त बढ़ई रखेगी । इसका पूरा ब्यौरा बताने की जरूरत नहीं । ये जर्मन टेक्नीशियन दिसम्बर, १९५७ से फरवरी १९५८ तक भारत में आ गये थे । इन जर्मन विशेषज्ञता-प्राप्त बढ़इयों को ६०० भारतीय बढ़इयों का अधीक्षण करना था, इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह संख्या कोई बहुत बड़ी थी ।

कम्पनी को इन विदेशी टेक्नीशियनों का पूरा व्यय उठाने के साथ ही लकड़ी का व्यय भी उठाना पड़ा । इसके लिये उसे इन साधनों को जुटाने के लिये एक विशेष अग्रिमधन दिया गया, जिस पर वह ब्याज भी भरेगी ।

मैं ने एक वस्तुगत ढंग से सारी परिस्थिति आपके सामने रख दी है । मैं जानता हूं कि कुछ बातें फिर भी छूट गई हैं । मैं नहीं चाहता कि देश के लोग यह सोचें कि इन इस्पात कारखानों के संबंध में जो कुछ भी हो रहा है ग़लत हो रहा है । यह सारा काम बड़े उत्साह से आगे बढ़ाया जा रहा है । इतने बड़े काम में दो-तीन महीनों का विलम्ब कोई बड़ा नहीं होता ।

†**श्री नाथपाई** : मुझे माननीय मंत्री के भाषण से निराशा ही हुई है । मैं ने तो अपने कुछ संदेह ही प्रकट किये थे, किसी पर आक्षेप नहीं किया था ।

माननीय मंत्री ने किसी भी प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । यह कहने से क्या फायदा कि इस्पात का क्या महत्व है यह तो हम सभी जानते हैं । सबसे चिन्ताजनक बात तो यह है कि माननीय मंत्री को इस संबंध में बड़ी आत्म-तुष्टि है । वह समझते हैं कि सभी कुछ बड़ी अच्छी तरह चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री कहते हैं कि इसमें बहुत ही थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, जब कि विश्व बैंक की राय है कि इन कारखानों में १९६१–६२ में ही पूरे तोर से उत्पादन शुरू हो पायेगा। हमने १९५९ के अन्त तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा था। क्या यह थोड़ा सा विलम्ब ही है, खास तौर से जबकि प्रतिदिन इनकी लागत साढ़े बारह लाख पड़ती है ?

माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं दिये हैं।

माननीय मंत्री हमारे संदेहों का निराकरण नहीं कर सके हैं। उन्होंने तो दुग्गल और अन्य फर्मों के ठेकों का औचित्य ही बताने की कोशिश की है। क्या इस सम्बंध में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिये। जब ऊधम सिंह दुग्गल को लोक लेखा समिति ने अयोग्य समझा है तो फिर उसे और भी अधिक बड़ा ठेका देने की क्या ज़रूरत थी ? ऊधम सिंह दुग्गल की ग़लतियों के कारण हमें २१ लाख रुपये का नुक़सान उठाना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि लोकहित का ध्यान रखते हुए इस नुक़सान को उसी से पूरा करवाना चाहिये।

इसके अलावा माननीय मंत्री ने खंड १४ के उपखंड (१) का खंड ५ के साथ बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया है। यह १५ करोड़ रुपये का मामला है लेकिन उन्होंने पूरे तथ्य भी हमारे सामने नहीं रखे। उन्होंने कहा कि मैं इसे प्रश्नों के उत्तर में बता चुका हूं मगर मेरा कहना है कि उनके उत्तर अस्पष्ट हैं। उन्होंने खंड का कुछ भाग ही पढ़ कर सुनाया। १५ करोड़ रुपये देना कोई मामूली बात नहीं है और इसका कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

मुझे एक बात और कहनी है। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने अपने सारे काम एक छोटी सी उप-समिति के सुपुर्द कर दिये हैं, जिसमें प्रायः दो व्यक्ति होते हैं—एक उनके मंत्रालय का सचिव और दूसरा कोई अन्य सदस्य जो उस समय दिल्ली में होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि बोर्ड ने अपने कृत्य इस छोटी सी उप समिति को क्यों दे दिये हैं और किस प्रकार दो व्यक्ति इतने कड़े उपक्रम का संचालन कर पाते होंगे।

मुझे बड़ा अफ़सोस है कि माननीय मंत्री इस उपक्रम में होने वाली ग़लतियों के ठीक ठीक कारण नहीं बता पाये हैं। एक एक ग़लती से हमारे राष्ट्र को लाखों का नुक़सान हुआ है और हो रहा है। हमें सरकार के उत्तरों से ज़रा भी संतोष नहीं हुआ है और हमारा विश्वास है कि जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होगी, इस उपक्रम की स्थिति ठीक नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये सभा को एक अवसर दिया जाये।

(इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, २७ नवम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २५ नवम्बर, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६४५—६६९
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१३	सरकारी इमारतों का वातानुकूलन	६४५—४७
२१४	इटली को लौह अयस्क का संभरण	६४७—४९
२१५	स्ट्रोन्टियम—९०	६४९–५०
२१६	ग्वाडुर एनक्लेव (समावृत बस्ती)	६५०—५२
२१७	फिल्म एकक	६५२–५३
२१८	भूटान को सहायता	६५४–५५
२१९	अनबिका कपड़ा	६५५—५७
२२०	केन्द्रीय कार्यान्विति एवं मूल्यांकन समिति	६५८—६०
२२२	ट्राम्बे में उर्वरकों का बनाया जाना	६६१—६३
२२६	संयुक्त राष्ट्र का मानचित्र	६६३—६५
२२७	चाय पर उत्पादन और निर्यात शुल्क	६६५—६७
२२९	राष्ट्रीय विकास परिषद्	६६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६६९—७०९
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२१	लकड़ी का गूदा और कागज बनाने की मशीनों का निर्माण	६६९–७०
२२३	फर्नीचर की आवश्यकतायें	६७०
२२४	बहादुरगढ़ में औद्योगिक बस्ती	६७०
२२५	खेल के सामान का निर्यात	६७१
२२८	होजरी के सामान का निर्यात	६७१
२३०	आधारभूत औषधियों का विकास	६७२
२३१	हीराकुड में अल्युमिनियम की फैक्टरी	६७२
२३२	पश्चिमी बंगाल सरकार का पुनर्वास विभाग	६७३
२३३	सूती वस्त्र तथा पटसन उद्योगों का आधुनिकीकरण	६७३
२३४	मोटरगाड़ियों का उत्पादन	६७३–७४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२३५	कोदलिया आदि मौजों में विस्थापित व्यक्ति	६७४
२३६	कपास के भाव . . .	६७४
२३७	भारतीय चाय का ब्रिटेन तथा ईरान को निर्यात .	६७४—७५
२३८	भारत-पाक सीमा घटनायें .	६७५
२३९	रेडियोसक्रियता	६७५—७६
२४०	नेपाल के लिए विमान .	६७६
२४१	चाय उद्योग	६७६
२४२	केरल को विकिरण का खतरा . . .	६७७
२४३	छावनी बोर्ड के कर्मचारी . . .	६७७
२४४	चाय बागान के मजदूरों की मजूरी . . .	६७८
२४५	अणु शक्ति के सम्बन्ध में प्रशिक्षण . . .	६७८—७९
२४६	पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के कैम्प .	६७९
२४७	विस्थापित व्यक्तियों के लिए चारबतिया कैम्प . .	६७९
२४८	कोयला खान लाभांश योजना	६७९
२४९	परियोजना समन्वय समिति . . .	६७९—८०
२५०	ट्रैक्टर	६८०
२५१	झींगा (प्रौन) व मेंढक का मांस . .	६८०
२५२	पशुओं की खालों का निर्यात	६८०—८१
२५३	पाकिस्तान को भारतीय यात्री .	६८१
२५४	उड़ीसा में सीमेंट फैक्टरी	६८१
२५५	ब्रिटेन में भारतीय	६८२
२५६	बादली के निकट ग्राम्य औद्योगिक बस्ती . .	६८२
२५७	विकास ऋण निधि के अधीन अमरीकी सहायता .	६८२—८३
२५८	एक्स-रे उपकरण कारखाना . . .	६८३
२५९	वस्त्र आयुक्त	६८३
२६०	कनाडा के साथ व्यापार	६८३—८४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३७८	भारत का निर्यात व्यापार	६८४
३७९	किंग्ज़वे कैम्प, दिल्ली	६८४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३८०	कपड़े का उत्पादन	६८४-८५
३८१	पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार सन्तुलन	६८५
३८२	विदेशी दूतावासों में भारतीय कर्मचारी	६८५
३८३	सीमेंट का कोटा	६८६
३८४	कपड़ा	६८६
३८५	सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात	६८६-८७
३८६	उड़ीसा में कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत	६८७
३८७	अलौह धातुएं	६८७
३८८	उतर प्रदेश में कम्पनियां	६८७-८८
३८९	उतर प्रदेश में गन्दी बस्तियों की सफाई	६८८
३९०	हथकरघा उद्योग के प्रशिक्षण केन्द्र	६८८
३९१	उड़ीसा में कम्पनियां	६८९
३९२	उड़ीसा में बुनकरों की सहकारी समितियां	६८९
३९३	उतर प्रदेश में बिजली लगाना	६८९-९०
३९४	पाकिस्तान से व्यापार	६९०
३९५	औद्योगिक विस्तार केन्द्र	६९०
३९६	नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज़ कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड	६९०-९१
३९७	मराठवाड़ा (बम्बई) में छोटे पैमाने के उद्योग	६९१
३९८	बम्बई में उद्योग	६९१
३९९	बम्बई में कम्पनियां	६९१
४००	हथकरघे के कपड़े का निर्यात	६९२
४०१	बम्बई को केन्द्रीय सहायता	६९२
४०२	जम्मू तथा काश्मीर में उद्योग	६९२
४०३	विदेशी फिल्मों का आयात	६९३
४०४	सीमान्त दुर्घटनाएं	६९३
४०५	सिन्दरी में उर्वरकों का उत्पादन	६९४
४०६	हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने	६९४
४०७	नैनी औद्योगिक बस्ती योजना	६९४-९५
४०८	खेल का सामान	६९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४०९	मण्डी में नमक की खानें	६९५–९६
४१०	कुटीर उद्योग	६९६
४११	कपड़े की मिलें	६९६–९७
४१२	कपड़े का उत्पादन	६९७
४१३	खानों के उप-प्रमुख निरीक्षक	६९७
४१४	वाशिंगटन में भारत संभरण मिशन	६९७–९८
४१५	कार्यालयों का शिमला भेजा जाना	६९८
४१६	नकली रेशम का सूत	६९८–९९
४१७	आन्ध्र प्रदेश की राज्य योजना	६९९
४१८	औद्योगिक बस्तियां	६९९
४१९	श्रम न्यायाधिकरण	६९९–७००
४२०	नानकाना साहिब के लिये सिख तीर्थ-यात्री	७००
४२१	राष्ट्रीय रूपांकन प्रतियोगिता	७००
४२२	विदेशी अतिथि	७०१
४२३	चमड़ा कारखानों के श्रमिक	७०१
४२४	हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	७०१
४२५	आसाम की सिंचाई सम्बन्धी क्षमता .	७०१
४२६	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के सर्किल .	७०२
४२७	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर का कार्यालय .	७०२–०३
४२८	मैसूर राज्य में खादी के लिए सहकारी समितियां	७०३
४२९	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग .	७०३
४३०	श्रम लागत	७०४
४३१	इंग्लैंड जाने वाले भारतीय	७०४
४३२	कनाडा से अलौह-धातुओं का आयात .	७०४
४३३	बर्दवान जिले के शरणार्थी शिविरों के लिये चलता फिरता चिकित्सा-दल	७०५
४३४	खेल का सामान . . .	७०५
४३५	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अधीन कटक में श्रमिक बस्ती . .	७०५–६
४३६	अन्तर्देशीय परिवहन सेवाओं सम्बन्धी औद्योगिक समिति	७०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
४३७	पंजाब में शक्ति चालित करघे	७०६–७
४३८	पंजाब में कुटीरोद्योग	७०७
४३९	पंजाब में उद्योग	७०७
४४०	दस्तकारियां	७०७–८
४४१	ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजनाओं सम्बन्धी योजना	७०८–९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७१०–११

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :--

(१) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्य की पांचवें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५८ की, जो दिनांक ११ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० संख्या ९८५ में प्रकाशित हुए हैं, एक प्रति ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत सूती वत्र (हथकरघे द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण आदेश में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ८ नवम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३११ की एक प्रति ।

(४) काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत काफी नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००१ की एक प्रति ।

(५) पटसन उद्योग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५८१ पर श्री त्रिदिब कुमार चौधरी द्वारा २७ अगस्त, १९५८ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उतर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।

(६) काम दिलाऊ सेवा संगठन के सम्बन्ध में १९४८ में स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या ८८ की भारत द्वारा पुष्टि के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित--

तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . . ७११

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	७११—१३
श्री न० रा० मुनिस्वामी ने लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों की समस्या की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक विचाराधीन	७१३—२२
संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के बारे में चर्चा . .	७२२—७३७
श्री नाथ पाई ने हिन्दुस्तान स्टील प्राइवेट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन पर, चर्चा उठाई गई । इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई ।	
बृहस्पतिवार, २७ नवम्बर, १९५८ के लिए कार्यावली—	
२७ सितम्बर, १९५८ को श्री मी० रु० मसानी द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी संशोधन पर आगे चर्चा तथा संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।	

———